



**पहली
FIRST**

**अनुदानों की पूरक मांगें
SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS**

**केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए
FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT**

**(रेलवे को छोड़कर)
(Excluding Railways)**

2009-2010

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसार संसद में प्रस्तुत। राष्ट्रपति की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(क) और (2) के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है)
(Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

दिसम्बर December, 2009

परिचयक टिप्पणी

विषय : अनुदानों की पूरक मांगों का दूसरा बैच, 2009-2010

INTRODUCTORY NOTE

Subject : First Batch of Supplementary Demands for Grants, 2009-2010.

वर्ष 2009-2010 के लिए अनुदानों की पूरक मांगों के पहले बैच में 61 अनुदान और 2 विनियोग शामिल हैं। 30,942.62 करोड़ रुपए के सकल अतिरिक्त व्यय को प्राधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया है। इसमें से, निवल नकद व्यय के प्रस्तावों की कुल राशि 25,725.22 करोड़ रुपए है और मंत्रालयों/विभागों की बचतों द्वारा अथवा बढ़ी हुई प्राप्तियों/वसूलियों द्वारा पूरे किए गए सकल अतिरिक्त व्यय की राशि 5216.67 करोड़ रुपए है। इसके अलावा, 73 लाख रुपए के सांकेतिक प्रावधान की मांग की गई है जिसमें व्यय की प्रत्येक मद के लिए एक लाख रुपए है जिससे कि नई सेवा अथवा सेवा के नए लिखत वाले मामलों में बचतों का पुनर्विनियोजन किया जा सके।

The first batch of Supplementary Demands for Grants for 2009-2010 includes 61 Grants and 2 Appropriations. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of Rs. 30,942.62 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to Rs. 25,725.22 crore and technical supplementary proposals involving gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregates to Rs. 5,216.67 crore. Besides, token provision of Rs. 73 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling reappropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

2. 25,725.22 करोड़ रुपए के निवल नकद व्यय से सम्बद्ध प्रस्ताव के परिणामस्वरूप बजट अनुमान (आयोजना एवं आयोजना भिन्न) 2009-10 में कुल अनुमानित व्यय में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि अन्य अनुदानों में समकक्ष समग्र बचत होगी।

2. Proposal involving net cash outgo of Rs.25,725.22 crore will not result in any significant variation in total estimated expenditure in Budget Estimates (Plan and Non-Plan) 2009-2010, as there would be equivalent overall savings in other Grants.

3. अतिरिक्त व्यय जिसमें निवल नकद व्यय शामिल है, की मदें निम्नलिखित हैं :

3. The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
नकद व्यय	Cash Outgo			
कृषि मंत्रालय	MINISTRY OF AGRICULTURE			
2. कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	2 Department of Agricultural Research and Education			
सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वैज्ञानिकों के वेतनों के संशोधन के कारण वेतन और भत्तों के संबंध में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को सहायता अनुदान हेतु।	For Grants-in-aid to Indian Council of Agricultural Research on pay and allowances due to revision of Salaries of Scientists on implementation of the Sixth CPC recommendations as accepted by the Government.	-	19.96	19.96
परमाणु ऊर्जा विभाग	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY			
4. परमाणु ऊर्जा	4 Atomic Energy			
(क) स्थापना संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting establishment related expenditure.	-	1.08	1.08
(ख) नाभिकीय ईंधन परिसर, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र और अन्य यूनिटों के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting additional expenditure for Nuclear Fuel Complex, Bhabha Atomic Research Centre and other units.	-	242.10	242.10
(ग) साहा इंस्टीट्यूट आफ न्यूक्लीयर फिजिक्स, इंस्टीट्यूट आफ फिजिक्स, इंस्टीट्यूट फार प्लाज्मा रिसर्च, विश्वविद्यालयों को सहायता, एटोमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी को आयोजनागत परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान हेतु।	(c) For Grants-in-aid to Saha Institute of Nuclear Physics, Institute of Physics, Institute for Plasma Research, Assistance to Universities, Atomic Energy Education Society for Plan Projects.	42.97	-	42.97
(घ) लघु निर्माण कार्य, आपूर्ति और सामग्री आदि संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(d) For meeting additional expenditure on minor works, supplies and materials, etc.	-	136.33	136.33
(ङ) (i) यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड को इक्विटी सहायता (40 करोड़ रुपए) और (ii) बोर्ड आफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी द्वारा परियोजना के लिए व्यय (1.90 करोड़ रुपए) के लिए।	(e) For (i) equity assistance to Uranium Corporation of India Limited (Rs. 40 crore) and (ii) expenditure for the project by Board of Radiation and Isotope Technology (Rs. 1.90 crore).	41.90	-	41.90
(च) भारी जल संयंत्रों संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(f) For meeting additional expenditure towards Heavy Water Plants.	-	111.37	111.37

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(छ) भाभा एटामिक रिसर्च सेन्टर, राजा रमन्ना सेन्टर फार एडवांस्ड टेक्नोलोजी, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेन्टर और एटामिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फार एक्सप्लोरेशन रिसर्च की आयोजनागत परियोजना के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(g) For meeting additional expenditure for the plan project of Bhabha Atomic Research Centre, Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Variable Energy Cyclotron Centre and Atomic Minerals Directorate for Exploration Research.	44.85	-	44.85
(ज) भाभा एटामिक रिसर्च सेन्टर और डायरेक्टरेट आफ कन्स्ट्रक्शन, सर्विस एंड एस्टेट मैनेजमेंट की अनुसंधान और विकास गतिविधियों के तहत व्यय की पूर्ति हेतु।	(h) For meeting expenditure under Research and Development activities of Bhabha Atomic Research Centre and Directorate of Construction, Services & Estate Management.	-	1.71	1.71
5. नाभिकीय विद्युत योजनाएं	5 Nuclear Power Schemes			
(क) कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना के लिए नाभिकीय ईंधन संबंधी अतिरिक्त व्यय हेतु (97 करोड़ रुपए)।	(a) For additional expenditure on Nuclear Fuel for Kudankulam Nuclear Power Project (Rs. 97 crore).	30.00	-	30.00
(ख) (i) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड में इक्विटी निवेश (249.70 करोड़ रुपए) और (ii) परमाणु ऊर्जा विभाग की परियोजनाओं की अतिरिक्त व्ययित ईंधन भंडारण सुविधा के लिए।	(b) For (i) equity investment in Bharatiya Nabhikiya Vidyut Nigam Limited (Rs. 249.70 crore, and (ii) DAE Projects for additional 'Spent Fuel Storage Facility' (Rs. 5.20 crore).	254.90	-	254.90
(ग) कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना के लिए रूसी ऋण के पास ध्रु के लिए।	(c) For pass through of Russian Credit for Kudankulam Nuclear Power Project.	47.38	-	47.38
रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS			
6. रसायन और पेट्रोसायन विभाग	6 Department of Chemicals and Petrochemicals			
असम गैस परियोजना के लिए पूंजी सब्सिडी।	For capital subsidy for Assam Gas Project.	166.07	-	166.07
7. उर्वरक विभाग	7 Department of Fertilisers			
निम्नलिखित पर सब्सिडी के लिए (क) आयातित विकेंद्रित उर्वरक (1500 करोड़ रुपए), और (ख) स्वदेशी यूरिया (2300 करोड़ रुपए)।	For subsidy on (a) imported decontrolled fertilizers (Rs. 1500 crore), and (b) indigenous urea (Rs. 2300 crore).	-	3,000.00	3,000.00
नागर विमानन मंत्रालय	MINISTRY OF CIVIL AVIATION			
9. नागर विमानन मंत्रालय	9 Ministry of Civil Aviation			
(क) एयर इंडिया को हज आपरेशनों की बकाया राशि और हज चार्टरों के देय सेवाकर की बकाया राशि के भुगतान हेतु।	(a) For payment to Air India towards arrears of Haj Operations and for payment of arrears of Service Tax dues of Haj Charters.	-	281.00	281.00
(ख) नेशनल एविएशन कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड में इक्विटी मिलाने हेतु।	(b) For equity infusion in National Aviation Company of India Limited.	800.00	-	800.00
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
11. वाणिज्य विभाग	11 Department of Commerce			
(क) न्यायालय डिक्री से हुए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting additional expenditure arising out of court decrees.	-	2.05	2.05
(ख) (i) निर्यातकों को रुपया निर्यात ऋण के संबंध में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को 2 प्रतिशत ब्याज सहायता प्रदान करने हेतु (200 करोड़ रुपए); (ii) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (18.47 करोड़ रुपए), (iii) कैटीन स्टाफ के अन्य प्रशासनिक व्यय (0.10 करोड़ रुपए)।	(b) For (i) providing 2% Interest subvention to Scheduled Commercial Banks in respect of rupee export credit to exporters (Rs. 200 crore), (ii) meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth CPC recommendations (Rs. 18.47 crore), (iii) other administrative			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
रुपए), (iv) अपीडा के कार्यालय के कुछ भाग का स्थानांतरण और रखरखाव (0.50 करोड़ रुपए)।	expenses of Canteen Staff (Rs. 0.10 crore), (iv) shifting and maintenance of APEDA's part office (Rs. 0.50 crore).	-	159.55	159.55
दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी	MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY			
14. दूरसंचार विभाग	14 Department of Telecommunications			
(क) पेंशनों के भुगतान संबंधी अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु (420.99 करोड़ रुपए)।	(a) For meeting additional requirement towards payment of pensions (Rs. 420.99 crore).	-	249.24	249.24
(ख) रक्षा सेवाओं के ऑप्टिकल फाइबर केबल बेस्ड नेटवर्क के लिए अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting additional requirement for Optical Fibre Cable based Network for Defence Services.	171.75	-	171.75
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
17. खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग	17 Department of Food and Public Distribution			
निम्नलिखित के संबंध में सब्सिडियों के लिए (क) न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बोनस के भुगतान के कारण भारतीय खाद्य निगम को देय (1600 करोड़ रुपए), (ख) खाद्यान्नों के विकेन्द्रीकृत खरीद पर राज्य सरकारों को (2000 करोड़ रुपए)।	For subsidies (a) payable to Food Corporation of India on account of payment of bonus on minimum support price (Rs. 1600 crore) and (b) to State Governments on decentralised procurement of food grains (Rs. 2000 crore).	-	3,458.98	3,458.98
कारपोरेट कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS			
18. कारपोरेट कार्य मंत्रालय	18 Ministry of Corporate Affairs			
मंत्रालय और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के आधुनिकीकरण, कम्प्यूटरीकरण और नेटवर्किंग संबंधी परियोजना प्रचालनात्मक लागत और वचनबद्ध व्यय के भुगतान हेतु।	For payment of project operational cost and committed expenditure in respect of Modernisation, Computerisation and Networking of the Ministry and its field offices.	-	9.43	9.43
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
21. रक्षा पेंशन	21 Defence Pensions			
छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण पेंशन, परिवार पेंशन, उपदान, पेंशन का परिवर्तित मूल्य, छुट्टी नकदीकरण और 60 प्रतिशत बकाया राशि के भुगतान संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure towards pension, family pension, gratuity, commuted value of pension, leave encashment and payment of 60% arrears due to implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations	-	2,210.00	2,210.00
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
35 राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण	35 Transfers to State and Union Territory Governments			
राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि हेतु।	For National Calamity Contingency Fund.	-	1,200.00	1,200.00
38. व्यय विभाग	38 Department of Expenditure			
नई पेंशन योजना के तहत नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड को सेवा प्रभार के संबंध में अतिरिक्त भुगतान करने हेतु (5.74 करोड़ रुपए)।	For making additional payment (Rs. 5.74 crore) towards service charges to National Securities Depository Limited under New Pension Scheme.	-	3.94	3.94
39 पेंशन	39 Pensions			
सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों आदि के संबंध में निम्नलिखित पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (क) अधिवर्षिता (2070 करोड़ रुपए), (ख) परिवार पेंशन (818.33	For meeting additional expenditure on account of pensions and other retirement benefits, etc., on implementation of the Sixth Central Pay Commission's recommendations as accepted by the			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन Non Plan	जोड़ Total
करोड़ रुपए), (ग) पेंशन का परिवर्तित मूल्य (730 करोड़ रुपए), (घ) छुट्टी नकदीकरण (66 करोड़ रुपए), (ङ) उपदान (590 करोड़ रुपए), (च) अनुग्रह राशि (2 करोड़ रुपए), (छ) परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (157 करोड़ रुपए) और (ज) सिक्वोरिटी प्रिंटिंग एंड मिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पेंशन निधि (100 करोड़ रुपए)।	Government towards (a) Superannuation (Rs. 2070 crore), (b) Family Pension (Rs. 818.33 crore), (c) Commuted Value of Pension (Rs. 730 crore), (d) Leave Encashment (Rs. 66 crore), (e) Gratuity (Rs. 590 crore), (f) Ex-Gratia (Rs. 2 crore), (g) Defined Contribution Pension Scheme (Rs. 157 crore) and (h) Security Printing and Minting Corporation of India Limited Pension Fund (Rs. 100 crore).	-	4,533.33	4,533.33
44 विनिवेश विभाग पहचान की गयी सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के संबंध में व्यय हेतु राष्ट्रीय निवेश निधि को विनिवेश प्राप्ति के अंतरण हेतु (समतुल्य राशि गैर-ऋण पूँजी प्राप्ति के रूप में प्राप्त की गई है)।	44 Department of Disinvestment For transfer of disinvestment receipts to National Investment Fund (NIF) for expenditure in respect of identified Social Sector schemes (an equivalent amount has been received as Non-debt Capital receipts).	-	3,139.90	3,139.90
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
51 गृह मंत्रालय	51 Ministry of Home Affairs			
(क) न्यायालय डिक्री की वजह से विवाचन प्रभारों के भुगतान हेतु।	(a) For payment of arbitration charges arising out of court decrees.	-	0.39	0.39
(ख) निम्नलिखित की स्थापना संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु (i) आसूचना ब्यूरो (185 करोड़ रुपए), (ii) आप्रवासन ब्यूरो (16.04 करोड़ रुपए), (iii) क्षेत्रीय परिषद (0.07 करोड़ रुपए), (iv) अंतर राज्य परिषद सचिवालय (0.12 करोड़ रुपए), (v) सिविल रक्षा महानिदेशक (0.43 करोड़ रुपए), (vi) राष्ट्रीय सिविल रक्षा कॉलेज (0.34 करोड़ रुपए) (vii) राजभाषा विभाग (5.37 करोड़ रुपए)।	(b) For meeting establishment related expenditure of (i) Intelligence Bureau (Rs. 185 crore), (ii) Bureau of Immigration (Rs. 16.04 crore), (iii) Zonal Council (Rs. 0.07 crore), (iv) Inter State Council Secretariat (Rs. 0.12 crore), (v) Director General of Civil Defence (Rs. 0.43 crore), (vi) National Civil Defence College (Rs. 0.34 crore) and (vii) Department of Official Language (Rs. 5.37 crore).	-	120.82	120.82
(ग) जनगणना 2011 के संचालन के लिए स्थापना और अन्य संबंधित व्यय की पूर्ति हेतु (138 करोड़ रुपए)।	(c) For meeting the establishment and other related expenditure (Rs. 138 crore) for conducting Census 2011.	-	75.00	75.00
54 गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	54 Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs			
(क) राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल की स्थापना संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु (33.12 करोड़ रुपए) और (ख) भारत सरकार-यूएनडीपी आपदा जोखिम कमी कार्यक्रम का कार्यान्वयन (5 करोड़ रुपए)।	For (a) meeting establishment related expenditure of National Disaster Response Force (Rs. 33.12 crore) and (b) implementation of GOI-UNDP Disaster Risk Reduction Programme (Rs. 5 crore).	-	7.91	7.91
55 संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	55 Transfers to Union Territory Governments			
सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के लिए वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure on Salaries for Union Territory of Puducherry on account of implementation of the Sixth CPC recommendations as accepted by the Government.	-	105.67	105.67
विधि एवं न्याय मंत्रालय	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE			
61. चुनाव आयोग	61 Election Commission			
अतिरिक्त संस्थापना संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु (6.26 करोड़ रुपए)।	For meeting additional establishment related expenditure (Rs. 6.26 crore).	-	5.59	5.59
63. विनियोग-भारत का उच्चतम न्यायालय	63 Appropriation - Supreme Court of India			
निम्नलिखित पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु	For meeting additional expenditure (a) on			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(क) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन के कारण (7.59 करोड़ रुपए) और (ख) उच्चतम न्यायालय के भवनों में सुरक्षा हेतु दिल्ली पुलिस की सेवाएँ प्राप्त करने के लिए और तोड़-फोड़ रोधी उपस्कर, सीसीटीवी और अन्य सुरक्षा सम्बन्धी उपस्कर प्रदान करने हेतु (3.22 करोड़ रुपए)।	account of salaries on implementation of the Sixth CPC recommendations as accepted by the Government (Rs. 7.59 crore) and (b) for availing the services of Delhi Police for security and for providing of Anti Sabotage equipments, CCTV and other security related equipments in the Supreme Court Buildings (Rs. 3.22 crore).	-	10.81	10.81
खान मंत्रालय	MINISTRY OF MINES			
65. खान मंत्रालय	65 Ministry of Mines			
भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण (40.63 करोड़ रुपए) और भारतीय खान ब्यूरो (2.14 करोड़ रुपए) संबंधी वेतनों पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure on salaries in respect of Geological Survey of India (Rs. 40.63 crore) and Indian Bureau of Mines (Rs. 2.14 crore).	-	19.13	19.13
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS			
71 कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	71 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions			
(क) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth CPC recommendations as accepted by the Government.	-	39.12	39.12
(ख) केन्द्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना संबंधी व्यय हेतु।	(b) For establishment related expenditure of Central Vigilance Commission.	-	3.00	3.00
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE-PRESIDENT			
78 विनियोग - संघ लोक सेवा आयोग	78 Appropriation - Union Public Service Commission			
आयोग द्वारा संचालित परीक्षाओं और चयनों के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (20 करोड़ रुपए)।	For meeting additional expenditure on examinations and selections conducted by the Commission (Rs. 20 crore).	-	17.10	17.10
79 उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	79 Secretariat of the Vice-President			
सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय और अन्य व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure of account of salaries on implementation of the Sixth CPC recommendations as accepted by the Government and for other expenditure.	-	0.41	0.41
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT			
80 ग्रामीण विकास विभाग	80 Department of Rural Development			
(क) देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे व्यक्तियों (बीपीएल) के सर्वेक्षण के लिए प्रशासनिक व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting the administrative expenditure on carrying out Below Poverty Line (BPL) survey in the country.	1.35	-	1.35
(ख) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को बकाया राशि और सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के संबंध में संस्थान को सहायता अनुदान के लिए।	(b) For Grants-in-aid to National Institute of Rural Development towards payment of arrears and retirement benefits to the non-academic staff of the Institute on account of implementation of Sixth CPC recommendations as accepted by the Government.	-	3.27	3.27

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भित्त Non Plan	जोड़ Total
(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए योजनाओं/परियोजनाओं के तहत प्रावधान में बढ़ोतरी हेतु।	(c) For augmentation of provision under the schemes/projects for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.	15.00	-	15.00
(घ) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन संबंधी अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु।	(d) For meeting additional requirement of salaries on account of implementation of Sixth CPC recommendations as accepted by the Government.	-	1.18	1.18
(ङ) देश में बीपीएल सर्वेक्षण पूरा करने हेतु।	(e) For carrying out BPL survey in the Country.	133.65	-	133.65
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY			
84 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	84 Department of Scientific and Industrial Research			
सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् को वेतन और पेंशन सहायता संबंधी सहायता अनुदान पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (110.76 करोड़ रुपए)।	For meeting additional expenditure (Rs. 110.76 crore) on Grants-in-aid on account of Salaries and Pensions assistance to the Council for Scientific and Industrial Research on implementation of Sixth CPC recommendations as accepted by the Government.	-	6.76	6.76
कपड़ा मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
92 कपड़ा मंत्रालय	92 Ministry of Textiles			
(क) केन्द्रीय रेशम बोर्ड के वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (13.34 करोड़ रुपए)।	(a) For meeting additional expenditure on salaries of Central Silk Board (Rs. 13.34 crore).	-	13.27	13.27
(ख) कपास पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के कारण भारतीय कपास निगम को हानियों की प्रतिपूर्ति हेतु (500 करोड़ रुपए)।	(b) For reimbursement of losses (Rs. 500 crore) to Cotton Corporation of India on account of MSP operation on cotton.	-	499.91	499.91
(ग) सचिवालय के वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(c) For meeting the additional expenditure on salaries of the Secretariat.	-	1.24	1.24
शहरी विकास मंत्रालय	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT			
100 शहरी विकास विभाग	100 Department of Urban Development			
(क) निम्नलिखित संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (i) राष्ट्रमंडल खेल 2010 के संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई परियोजनाएँ (404.55 करोड़ रुपए) और (ii) चरण-II नेटवर्क संबंधी कार्य के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीएमआरसी) को अनुदानों के रूप में (10.20 करोड़ रुपए)।	(a) For meeting additional expenditure (i) on projects undertaken by Delhi Development Authority in connection with Commonwealth Games-2010 (Rs. 404.55 crore) and (ii) as Grants (Rs. 10.20 crore) to Delhi Metro Rail Corporation Limited (DMRC) for the work relating to Phase-II Network.	414.75	-	414.75
(ख) चरण-II नेटवर्क संबंधी कार्य के संबंध में डीएमआरसी को इक्विटी अंशदान हेतु।	(b) For equity contribution to DMRC in connection with work related to Phase-II Network.	350.00	-	350.00
(ग) (i) डीएमआरसी (1500 करोड़ रुपए), (ii) बंगलौर मेट्रो (135 करोड़ रुपए) और (iii) चेन्नई मेट्रो (40 करोड़ रुपए)।	(c) For providing loan as Pass Through Assistance to (i) DMRC (Rs. 1500 crore), (ii) Bangalore Metro (Rs. 135 crore) and (iii) Chennai Metro (Rs. 40 crore).	1,675.00	-	1,675.00
101 लोक निर्माण कार्य	101 Public Works			
केन्द्रीय लोक निर्माण कार्य विभाग के नियमित कर्मचारियों को वेतन और भत्तों पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (25.52 करोड़ रुपए)।	For meeting additional expenditure (Rs. 25.52 crore) on pay and allowances of the regular employees of Central Public Works Department.	-	12.10	12.10

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
महिला और बाल विकास मंत्रालय	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT			
104 महिला और बाल विकास मंत्रालय	104 Ministry of Women and Child Development			
(क) समेकित बाल विकास सेवा योजना के तहत अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु राज्य सरकारों को सहायता अनुदान हेतु।	(a) For Grants-in-aid to State Governments for meeting additional requirement under Integrated Child Development Services (ICDS) Scheme	1,080.00	-	1,080.00
(ख) समेकित बाल विकास सेवा योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting additional requirement for North Eastern Areas under ICDS Scheme	120.00	-	120.00
युवा मामले और खेल मंत्रालय	MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS			
105 युवा मामले और खेल मंत्रालय	105 Ministry of Youth Affairs and Sports			
(क) (i) भारतीय खेल प्रधिकरण के स्टेडियम (15 करोड़ रुपए), (ii) अखिल भारतीय टेनिस संघ (0.95 करोड़ रुपए), (iii) 'राष्ट्रमंडल खेल, 2010 हेतु टीमों की तैयारी' सम्बन्धी योजना (50 करोड़ रुपए), (iv) राष्ट्रमंडल खेल, 2010 हेतु रुपए का उन्नयन/निर्माण योजना (12 करोड़ रुपए) (ड) कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने हेतु महानगर टेलीफोन निगम लि. को (100 करोड़ रुपए), और (च) एकीकृत सुरक्षा समाधान के सम्बन्ध में अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने (120.05 करोड़ रुपए) के सम्बन्ध में सहायता अनुदान।	(a) For Grants-in-aid to (i) Sports Authority of India Stadia (Rs. 15 crore), (ii) All India Tennis Association (Rs. 0.95 crore), (iii) the scheme 'Preparation of Teams for Commonwealth Games, 2010' (Rs. 50 crore), (iv) the scheme 'Upgradation/Creation of Venue for Commonwealth Games, 2010' (Rs. 12 crore), (v) Mahanagar Telephone Nigam Limited to provide connectivity (Rs. 100 crore), and (vi) provide additional amount in respect of Integrated Security Solution (Rs. 120.05 crore).	268.00	-	268.00
(ख) राष्ट्रीय लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (2.22 करोड़ रुपए) और भारतीय खेल प्राधिकरण को सहायता अनुदान (10.60 करोड़ रुपए)।	(b) For Grants-in-aid to Laxmibai National Institute of Physical Education (Rs. 2.22 crore) and Sports Authority of India (Rs. 10.60 crore).	-	12.82	12.82
(ग) स्थापना सम्बन्धी व्यय हेतु	(c) For establishment related expenditure.	-	1.60	1.60
(घ) राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए आयोजन समिति को ऋण और अग्रिम हेतु।	(d) For loans and advances to Organising Committee for Commonwealth Games, 2010.	-	350.58	350.58
जोड़ नकद व्यय	Total Cash Outgo	5,657.57	20,067.65	25,725.22

4. अनुदानों की पूरक मांगों के इस बैच में 5,216.67 करोड़ रुपए के तकनीकी पूरक अनुदान/विनियोग हेतु प्रस्ताव शामिल हैं जिनकी प्रतिपूर्ति मंत्रालयों/विभागों की अतिरिक्त प्राप्तियों/वसूलियों द्वारा की जाती है। मदें निम्नलिखित हैं :

4. This Batch of Supplementary Demands for Grants includes proposals for technical supplementary grants/appropriations for Rs. 5,216.67 crore which are matched by additional receipts/recoveries or corresponding savings of the Ministries/Departments. The items are as follows:

अनुदानों की तकनीकी पूरक मांगें
कृषि मंत्रालय

Technical Supplementary Demands for grants
MINISTRY OF AGRICULTURE

1. कृषि तथा सहकारिता विभाग

1 Department of Agriculture and Cooperation

(क) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोजना की सिफारिशों के कारण बकाया वेतन के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु

(a) For meeting additional expenditure under salaries on account of arrears of Sixth CPC recommendations as accepted by the Government.

- 8.93 8.93

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) सरकार सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण बकाया वेतन के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (6 करोड़ रुपए) तथा मूल्य समर्थन योजना के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि. (नेफेड) के दावों की प्रतिपूर्ति (425 करोड़ रुपए)।	(b) For meeting additional expenditure under salaries (Rs. 6 crore) on account of arrears of Sixth CPC recommendations as accepted by the Government and reimbursement of claims of National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited (NAFED) for Price Support Scheme (Rs. 425 crore).	-	5.27	5.27
परमाणु ऊर्जा विभाग	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY			
5. नाभिकीय विद्युत योजना	5 Nuclear Power Schemes			
कुडानकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना हेतु नाभिकीय ईंधन पर अतिरिक्त व्यय हेतु (97 करोड़ रुपए)।	For additional expenditure on Nuclear Fuel for Kudankulam Nuclear Power Project (Rs. 97 crore).	25.67	-	25.67
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
11. वाणिज्य विभाग	11 Department of Commerce			
सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर वेतन के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (i) कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (0.50 करोड़ रुपए) और (ii) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (0.50 करोड़ रुपए)।	For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth CPC recommendations as accepted by the Government to (i) Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (Rs. 0.50 crore) and (ii) Marine Products Export Development Authority (Rs. 0.50 crore).	1.00	-	1.00
संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY			
13 डाक विभाग	13 Department of Posts			
कोर्ट डिक्री के कारण भुगतान की पूर्ति हेतु	For meeting payment arising out of court decrees	0.10	4.03	4.13
उपभोक्ता कार्य, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
17 खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग	17 Department of Food and Public Distribution			
(क) चीनी उपक्रम-2007 से सम्बद्ध वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी योजना के अन्तर्गत ब्याज सरकारी सहायता दावों के कारण चीनी विकास निधि से अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting additional expenditure from Sugar Development Fund on account of interest subvention claims under Scheme for Extending Financial Assistance to Sugar Undertakings-2007.	-	201.83	201.83
(ख) चीनी मिलों का पुनर्वास/आधुनिकीकरण (25 करोड़ रुपए) और (ii) चीनी मिलों को गन्ना विकास के लिए अतिरिक्त ऋण (125 करोड़ रुपए)।	(b) For additional loans for (i) Rehabilitation/ Modernisation of Sugar Mills (Rs. 25 crore) and (ii) Cane Development to Sugar Mills (Rs. 125 crore).	-	150.00	150.00
कारपोरेट कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS			
18. कारपोरेट कार्य मंत्रालय	18 Ministry of Corporate Affairs			
नई दिल्ली और इलाहाबाद में मरम्मत कार्य तथा चंडीगढ़ प्लॉट के लिए भू-किराया और हैदराबाद में निर्माण कार्य।	For payment of renovation work in New Delhi and Allahabad, ground rent for Chandigarh plot and construction work at Hyderabad.	1.00	-	1.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
संस्कृति मंत्रालय	MINISTRY OF CULTURE			
19. संस्कृति मंत्रालय	19 Ministry of Culture			
(क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अतिरिक्त निर्माण सम्बन्धी व्यय (4 करोड़ रुपए), (ख) भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के भवन की मरम्मत/नवीनीकरण कार्य हेतु अतिरिक्त निधियां (0.33 करोड़ रुपए), और (ग) राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी के नए स्कन्ध तथा मनिकावेलु मिशन को पूरा करने हेतु अतिरिक्त निधियों (4.67 करोड़ रुपए) हेतु।	For (a) additional construction related expenditure of Archaeological Survey of India (Rs. 4 crore), (b) additional funds for repair/renewal work of National Archives of India building (Rs. 0.33 crore), and (c) additional funds for completion of new Wing of National Gallery of Modern Art and Manikavelu Mansion (Rs. 4.67 crore).	9.00	-	9.00
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
20. रक्षा मंत्रालय	20 Ministry of Defence			
(क) संस्थापना सम्बन्धी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु	(a) For meeting additional establishment related expenditure.	-	17.67	17.67
(ख) 'जम्मू तथा कश्मीर लाइट इन्फैंट्री' के सम्बन्ध में सेनाओं हेतु आयुध की अधिप्राप्ति के लिए प्रचालनात्मक तथा अन्य व्यय की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting operational and other expenses for procurement of Ordnance Stores for troops, etc in respect of 'Jammu and Kashmir Light Infantry'.	-	12.14	12.14
(ग) न्यायालय डिक्री के कारण व्यय की पूर्ति हेतु।	(c) For meeting expenditure arising out of court decree.	-	0.40	0.40
23. रक्षा सेवाएं - नौसेना	23 Defence Services - Navy			
न्यायालय डिक्री के कारण व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure arising out of court decree.	-	2.50	2.50
24. रक्षा सेवाएं - वायुसेना	24 Defence Services - Air Force			
न्यायालय डिक्री के कारण व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure arising out of court decree.	-	1.45	1.45
विदेश मंत्रालय	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS			
31. विदेश मंत्रालय	31 Ministry of External Affairs			
विभिन्न पन बिजली परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ करने हेतु भूटान सरकार को ऋण प्रदान करने हेतु।	For extending loans to Government of Bhutan for undertaking various Hydro-Electric Projects.	297.50	-	297.50
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
33. वित्तीय सेवा विभाग	33 Department of Financial Services			
(क) भारग्रस्त परिसम्पत्ति स्थिरीकरण निधि को जारी प्रतिभूतियों के उन्मोचन के लिए व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting expenditure towards redemption of securities issued to Stressed Asset Stabilisation Fund.	-	400.00	400.00
(ख) यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की चुकता इक्विटी पूंजी को सरकार को अतिरिक्त चुकता पूंजी लौटाकर पुनर्संचित करने हेतु तथा सरकार द्वारा बैंक की पूंजी प्रारक्षित और चुकता पूंजी की सदृश राशि को साथ-साथ मिलाना।	(b) For restructuring the paid up equity capital of United Bank of India by return of excess paid up capital to the Government and simultaneous infusion of the similar amount by the Government to the capital reserve and paid up capital of the bank.	-	1,266.00	1,266.00
35. राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अन्तरण	35 Transfers to State and Union Territory Governments			
विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता।	For Additional Central Assistance for Externally Aided Projects.	1,400.00	-	1,400.00
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
53 पुलिस	53 Police			
भारत-पाक सीमा निर्माण कार्यों के अन्तर्गत विवाचन फैसलों के भुगतान हेतु।	For payment of Arbitration Awards under Indo-Pak Border Works.	-	0.70	0.70

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
54 गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	54 Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs			
रेपको बैंक में शेयर पूंजी पर व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting expenditure on share capital in the Repco Bank.	-	48.00	48.00
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT			
58 उच्च शिक्षा विभाग	58 Department of Higher Education			
(क) सहायता अनुदान हेतु (i) दिल्ली विश्वविद्यालय (33.75 करोड़ रुपए), (ii) मैसूर विश्वविद्यालय (33.33 करोड़ रुपए) (iii) पंजाब विश्वविद्यालय (20 करोड़ रुपए) (iv) डा. जाकिर हुसैन मेमोरियल कालेज, दिल्ली को निधियों के अन्तरण हेतु विश्व विद्यालय अनुदान आयोग (2 करोड़ रुपए) (v) वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग (0.80 करोड़ रुपए)।	(a) For Grants-in-aid to (i) University of Delhi (Rs. 33.75 crore), (ii) University of Mysore (Rs. 33.33 crore), (iii) University of Punjab (Rs. 20 crore), (iv) University Grants Commission for transfer of funds to Dr. Zakir Hussain Memorial College, Delhi (Rs. 2 crore), (v) Commission for Scientific and Technical Terminology (Rs. 0.80 crore).	87.08	-	87.08
(ख) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास अनुसंधान पार्क को ऋण हेतु।	(b) For loan to Indian Institute of Technology, Madras Research Park.	100.00	-	100.00
खान मंत्रालय	MINISTRY OF MINES			
65 खान मंत्रालय	65 Ministry of Mines			
भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण (40.63 करोड़ रुपए) और भारतीय खान ब्यूरो (2.14 करोड़ रुपए) के सम्बन्ध में वेतन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure on salaries in respect of Geological Survey of India (Rs. 40.63 crore) and Indian Bureau of Mines (Rs. 2.14 crore).	-	2.00	2.00
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS			
71 कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय	71 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions			
(क) न्यायालय निर्देशों के अनुसार केंद्रीय जांच ब्यूरो के सम्बन्ध में व्यय हेतु।	(a) For expenditure on Central Bureau of Investigation as per court directives.	-	0.05	0.05
(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो के मुख्यालय भवन के निर्माण पर व्यय।	(b) For expenditure on construction of Headquarter building of Central Bureau of Investigation.	15.10	-	15.10
(ग) कर्मचारी चयन आयोग के पूर्वोत्तर क्षेत्र कार्यालय हेतु कार्यालय भवन की खरीद हेतु।	(c) For purchase of office building for North Eastern Region office of the Staff Selection Commission.	-	0.11	0.11
विद्युत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER			
74 विद्युत मंत्रालय	74 Ministry of Power			
(क) राष्ट्रीय पन विद्युत निगम के सम्बन्ध में गारंटी शुल्क और गारंटी शुल्क पर अधिभार की माफी के सम्बन्ध आवश्यक लेखाकरण समायोजन के निष्पादन हेतु।	(a) For carrying out necessary accounting adjustments relating to waiver of guarantee fee and surcharge on guarantee fee in respect of National Hydro Electric Power Corporation.	-	75.74	75.74
(ख) विश्व बैंक से प्राप्त सहायता को टिहरी पन-विकास निगम लिमिटेड को अग्रेषित करना।	(b) For passing on aid received from World Bank to Tehri Hydro Development Corporation Limited.	0.19	-	0.19
सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
87 सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय	87 Ministry of Road Transport and Highways			
(क) सड़क स्कन्ध द्वारा किए जाने वाले राष्ट्रीय	(a) For allocation in the North Eastern			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
राजमार्ग विकास के सम्बन्ध में पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम में आवंटन हेतु।	Region and Sikkim on development of National Highways Works undertaken by Roads Wing.	52.00	-	52.00
(ख) सड़क स्कन्ध (948 करोड़ रुपए) तथा सीमा विकास बोर्ड (156 करोड़ रुपए) द्वारा किए जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्यों के विकास पर व्यय की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting expenditure on development of National Highways Works undertaken by Roads Wing (Rs. 948 crore) and by Border Roads Development Board (Rs. 156 crore).	259.00	-	259.00
इस्पात मंत्रालय				
91 इस्पात मंत्रालय				
(क) निम्नलिखित के सम्बन्ध आवश्यक लेखा समायोजन करने के लिए - बिसरा स्टोन लाइम कम्पनी लिमिटेड के सम्बन्ध में बकाया ब्याज की माफी (624.20 करोड़ रुपए), (ख) करनपुरा विकास कम्पनी लिमिटेड और इसकी सहायक स्टॉक तथा सेक्सबाई लिमिटेड के सम्बन्ध में ऋण को बड़े खाते डालना (8.06 करोड़ रुपए) और ब्याज माफी (96.43 करोड़ रुपए)।	For carrying out necessary accounting adjustments relating to (a) waiver of outstanding interest (Rs. 624.20 crore) in respect of Bisra Stone Lime Company Limited, (b) write-off of loan (Rs. 8.06 crore) and waiver of interest (Rs. 96.43 crore) in respect of Karanpura Development Company Limited and its subsidiary Scott & Saxby Limited.	-	728.69	728.69
शहरी विकास मंत्रालय				
100 शहरी विकास विभाग				
डीएमआरसी से सम्बन्धित अधीनस्थ ऋण।	For Subordinate Debt to DMRC.	0.10	-	0.10
101 लोक निर्माण कार्य				
केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के नियमित कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के सम्बन्ध में अतिरिक्त व्यय (25.52 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure (Rs. 25.52 crore) on pay and allowances of the regular employees of Central Public Works Department.	-	13.42	13.42
युवा कार्य तथा खेल मंत्रालय				
105 युवा कार्य तथा खेल मंत्रालय				
(क) भारतीय खेल प्राधिकरण के स्टेडियम (15 करोड़ रुपए), (ख) अखिल भारतीय टेनिस संघ (0.95 करोड़ रुपए) (ग) 'राष्ट्रमंडल खेल, 2010 हेतु टीमों की तैयारी' सम्बन्धी योजना (50 करोड़ रुपए) (घ) राष्ट्रमंडल खेल, 2010 हेतु स्थान का उन्नयन/निर्माण योजना (12 करोड़ रुपए) (ङ) कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने हेतु महानगर टेलीफोन निगम लि. को (100 करोड़ रुपए), और (च) एकीकृत सुरक्षा समाधान के सम्बन्ध में अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने (120.05 करोड़ रुपए) के सम्बन्ध में सहायता अनुदान	For Grants-in-aid to (a) Sports Authority of India Stadia (Rs. 15 crore), (b) All India Tennis Association (Rs. 0.95 crore), (c) the scheme 'Preparation of Teams for Commonwealth Games, 2010' (Rs. 50 crore), (d) the scheme 'Upgradation/Creation of Venue for Commonwealth Games, 2010' (Rs. 12 crore), (e) Mahanagar Telephone Nigam Limited to provide connectivity (Rs. 100 crore), and (f) provide additional amount in respect of Integrated Security Solution (Rs. 120.05 crore).	30.00	-	30.00
जोड़ तकनीकी	Total Technical	2,277.74	2,938.93	5,216.67

5. नीचे सूचीबद्ध मदों के संबंध में 1 लाख रुपए प्रत्येक का पूरक अनुदान लिया जाना भी प्रस्तावित है, उनके समाने दर्शाए गए व्यय की पूर्ति संगत अनुदान के राजस्व अथवा पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों, जैसा भी मामला है, के पुनर्विनियोग से की जाएगी।

5. Supplementary grants of Rs.1 lakh each are also proposed to be taken in respect of items listed below, the expenditure indicated against which will be met by reappropriation of savings within the Revenue or Capital Section, as the case may be, of the relevant grant.

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन Non Plan	जोड़ Total
सांकेतिक पूरक अनुदानों की मांगें कृषि मंत्रालय	Token Supplementary Demands for grants MINISTRY OF AGRICULTURE			
1. कृषि तथा सहकारिता विभाग	1 Department of Agriculture and Cooperation			
(क) दावों की संवितरण हेतु राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के कार्यान्वयन हेतु कृषि बीमा कम्पनी के भुगतान (250 करोड़ रुपए), सहायता अनुदान (ii) एकीकृत तिलहन, पॉम ऑइल, दालें तथा मक्का विकास के अन्तर्गत बीज उपलब्धता का सुनिश्चय करने हेतु बीज मिनीकटों का वितरण तथा वर्धित उत्पादन योजना (70 करोड़ रुपए), (iii) 'कृषि आर्थिक नीति तथा विकास सम्बन्धी सूचना पर अध्ययन' के अन्तर्गत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में कार्यान्वयनकारी एजेंसियां (853 करोड़ रुपए) और (iv) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत संघ राज्य क्षेत्रों (विधानसभा रहित) (1.79 करोड़ रुपए)।	(a) For (i) payment to Agriculture Insurance Company for implementation of National Agricultural Insurance Scheme for disbursement of claims (Rs. 250 crore), Grants-in-aid (ii) for distribution of seed minikits and enhanced production plan to ensure seed availability under Integrated Oilseed, Oil Palm, Pulses and Maize Development (Rs. 70 crore), (iii) to implementing agencies towards implementation of Sixth CPC recommendations under 'Studies on input for Agricultural Economic Policy and Development (Rs. 8.53 crore) and (iv) to Union Territories (without legislature) under Rashtriya Krishi Vikas Yojana (Rs. 1.79 crore).	330.32	-	330.32
(ख) 'सूखा तथा कम वर्षा प्रभावित क्षेत्रों में डीजल सब्सिडी' पर राज्य सरकारों के दावों की प्रतिपूर्ति हेतु।	(b) For reimbursement of claims of State Governments on 'Diesel Subsidy in Drought and Deficit Rainfall Affected Areas'.	-	100.00	100.00
(ग) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत संघ राज्य क्षेत्रों (विधानसभा सहित) को अनुदान।	(c) For Grants to Union Territories (with legislature) under Rashtriya Krishi Vikas Yojana.	0.24	-	0.24
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
11. वाणिज्य विभाग	11 Department of Commerce			
(क) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (9.55 करोड़ रुपए) और कैंटीन स्टाफ का अन्य प्रशासनिक व्यय (0.45 करोड़ रुपए)।	(a) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth CPC recommendations as accepted by the Government (Rs. 9.55 crore) and other administrative expenses of Canteen Staff (Rs. 0.45 crore).	-	10.00	10.00
(ख) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन के कारण अतिरिक्त व्यय वेतन तथा पेंशन सम्बन्धी सहायता के कारण सहायता अनुदान (i) चाय बोर्ड (2 करोड़ रुपए) (ii) कॉफी बोर्ड (2 करोड़ रुपए), (iii) रबर बोर्ड (3 करोड़ रुपए) तथा (iv) मसाला बोर्ड (2 करोड़ रुपए)	(b) For Grants-in-aid on account of salaries and pension related assistance to (i) Tea Board (Rs. 2 crore), (ii) Coffee Board (Rs. 2 crore), (iii) Rubber Board (Rs. 3 crore), and (iv) Spices Board (Rs. 2 crore) on implementation of the Sixth CPC recommendations as accepted by the Government.	9.00	-	9.00
(ग) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(c) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth CPC recommendations as accepted by the Government.	-	2.00	2.00
12 औद्योगिक नीति तथा प्रोत्साहन विभाग	12 Department of Industrial Policy and Promotion			
सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण वेतन बकाया तथा भत्तों की वजह से व्यय की पूर्ति हेतु	For providing additional Grants-in-aid to National Council for Cement and Building Material for meeting expenditure on account of			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
राष्ट्रीय सीमेंट तथा भवन निर्माण सामग्री परिषद को अतिरिक्त सहायता अनुदान उपलब्ध कराने के लिए।	arrears of pay and allowances due to implementation of Sixth CPC recommendations as accepted by the Government.	-	4.50	4.50
उपभोक्ता कार्य, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
17 खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग	17 Department of Food and Public Distribution			
भांडागार विकास तथा विनियामक प्राधिकरण को सहायता देने हेतु सहायता अनुदान उपलब्ध कराना।	For providing Grants-in-aid for assistance to Warehousing Development and Regulatory Authority.	1.50	-	1.50
संस्कृति मंत्रालय	MINISTRY OF CULTURE			
19 संस्कृति मंत्रालय	19 Ministry of Culture			
कला और संस्कृति से सम्बद्ध विभिन्न संस्थाओं तथा योजनाओं को सहायता अनुदान हेतु।	For Grants-in-aid to various institutions and schemes relating to Art and Culture.	41.30	60.00	101.30
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
20 रक्षा मंत्रालय	20 Ministry of Defence			
कोस्ट गार्ड्स संगठन के लिए एयरक्राफ्ट्स के अधिग्रहण के लिए।	For acquisition of Air Crafts for Coast Guards Organisation.	-	50.00	50.00
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION			
28 पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	28 Ministry of Development of North Eastern Region			
पूर्वोत्तर क्षेत्र आजीविका परियोजना के कार्यान्वयन के लिए प्रारंभिक कार्यकलापों के लिए निधियां प्रदान करने हेतु।	For providing funds for the preparatory activities for implementation of North Eastern Region Livelihood Project.	4.50	-	4.50
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	MINISTRY OF EARTH SCIENCES			
29 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	29 Ministry of Earth Sciences			
(क) निम्नलिखित हेतु (i) 'समुद्र से औषधि' योजना से संबंधित उपस्करों की अधिप्राप्ति (3 करोड़ रुपए) (ii) राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थान, गोवा और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद के संयुक्त तत्वधान में 'ओशन बायोकेमिस्ट्री इन द इंडियन ओशन' की क्रिया का कार्यान्वयन (3 करोड़ रुपए) (iii) समुद्री जीव संसाधन और मात्स्यिकी महासागरीय अनुसंधान पोत के लिए सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (0.35 करोड़ रुपए)	(a) For (i) procurement of equipments relating to the scheme 'Drugs from Sea' (Rs. 3 crore), (ii) implementation of an activity 'Ocean Biogeochemistry in the Indian Ocean' jointly by National Institute of Oceanography, Goa and Physical Research Laboratory, Ahmedabad (Rs. 3 crore), (iii) meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth CPC recommendations as accepted by the Government for Marine Living Resources and Fishery Oceanographic Research Vessel (Rs. 0.35 crore).	6.35	-	6.35
(ख) महासागरीय अनुसंधान वेसेल और जलीय जीव संसाधन की योजनाओं से संबंधित संविदा सेवाओं को भुगतान हेतु।	(b) For payments to contractual services relating to schemes Oceanographic Research Vessel and Marine Living Resources.	-	1.11	1.11
(ग) भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान पूणे के लिए सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(c) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth CPC recommendations as accepted by the Government for Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune.	-	3.00	3.00

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(घ) मौसम विज्ञान की विभिन्न योजनाओं के लिए सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(d) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of Sixth CPC recommendations as accepted by the Government for different schemes of Meteorology.	-	26.89	26.89
(ङ) एकीकृत तटीय और जलीय क्षेत्र प्रबंधन योजना से संबंधित 'इकोसिस्टम मॉडलिंग' परियोजना से सम्बद्ध मशीनरी और उपकरणों की अधिप्राप्ति के लिए।	(e) For procurement of machinery and equipments relating to project 'Ecosystem Modelling' relating to scheme Integrated Coastal and Marine Area Management.	1.50	-	1.50
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय				
30. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय				
30 (क) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth CPC recommendations as accepted by the Government.	-	5.00	5.00
(ख) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना जापानी इन्टरनेशनल कॉऑपरेशन एजेन्सी द्वारा निधिपोषित कार्मिक वन प्रबंधन और प्रशिक्षण के लिए क्षमता निर्माण पर व्यय के लिए।	(b) For expenditure on Externally Aided Project-Capacity Building for Forest Management and Training of Personnel to be funded by Japanese International Cooperation Agency.	0.30	-	0.30
(ग) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के लिए 'पशु कल्याण' हेतु सहायता अनुदान के सम्बन्ध में अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(c) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid for 'Welfare of Animals' on account of salaries on implementation of the Sixth CPC recommendations as accepted by the Government.	-	0.55	0.55
(घ) निम्नलिखित पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (i) नए वैज्ञानिक उपकरण, प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण, भण्डारण प्रणालियों आदि के लिए भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण में अवसंरचना सुविधाओं में वृद्धि (6 करोड़ रुपए) और (ii) जूलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया में नए वैज्ञानिक उपकरणों की खरीद, प्रयोगशालाओं, भण्डारण प्रणालियों आदि का आधुनिकीकरण (5 करोड़ रुपए)।	(d) For meeting additional expenditure on (i) augmentation of infrastructure facilities in Botanic Survey of India for purchase of new scientific instruments, modernisation of laboratories, storage systems, etc (Rs. 6 crore) and (ii) purchase of new scientific instruments, modernisation of laboratories, storage systems, etc (Rs. 5 crore) in Zoological Survey of India.	11.00	-	11.00
(ङ) निम्नलिखित पर अतिरिक्त व्यय (i) 'सतत विकास हेतु उद्यमों को सहायता' की सदस्यता के लिए अन्तराष्ट्रीय सहयोग (0.52 करोड़ रुपए), (ii) क्योटो प्रोटोकॉल के कोर बजट को वार्षिक सदस्यता अंशदान (0.93 करोड़ रुपए), (iii) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सहायता अनुदान (4.14 करोड़ रुपए) (iv) राज्यों और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जल उपकरण की प्रतिपूर्ति (17.60 करोड़ रुपए) और (v) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के लिए भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण को	(e) For additional expenditure on (i) International Cooperation for membership of 'Supporting Enterprises for Sustainable Development' (Rs. 0.52 crore), (ii) annual membership contribution to core budget of Kyoto Protocol (Rs. 0.93 crore), (iii) Grants-in-aid to Central Pollution Control Board on account of Salaries on implementation of Sixth CPC recommendations as accepted by the Government (Rs. 4.14 crore), (iv) reimbursement of water cess to States (Rs. 110.56 crore) and to Central Pollution Control Board (Rs. 17.60 crore), and (v) Grants-in-			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
सहायता अनुदान (6 करोड़ रुपए)।	aid to Botanic Survey of India on account of Salaries on implementation of Sixth CPC recommendations as accepted by the Government (Rs. 6 crore).	-	139.75	139.75
(च) निम्नलिखित हेतु (i) शहरी विकास मंत्रालय के भूमि और विकास कार्यालय को भूमि लागत के लिए भुगतान करना (0.49 करोड़ रुपए) और (ii) अलीगंज (जोरबाग), नई दिल्ली स्थित कार्यालय भवन निर्माण (1.51 करोड़ रुपए)।	(f) For (i) making payment towards cost of land to the Land and Development Office of the Ministry of Urban Development (Rs. 0.49 crore) and (ii) construction of office building at Aliganj (Jorbagh), New Delhi (Rs. 1.51 crore).	2.00	-	2.00
वित्त मंत्रालय				
32 आर्थिक कार्य विभाग				
निम्नलिखित को भुगतान हेतु (क) विश्व बैंक द्वारा प्रशासित अफगानिस्तान पुनर्निर्माण न्यास निधि को अंशदान (1 करोड़ रुपए) और (ख) पूंजी बाजार सुधार और पेंशन प्रशासन के लिए विश्व बैंक तकनीकी सहायता ऋण (3 करोड़ रुपए)।	MINISTRY OF FINANCE 32 Department of Economic Affairs For making payment towards (a) contribution to Afghanistan Reconstruction Trust Fund administered by World Bank (Rs. 1 crore) and (b) World Bank Technical Assistance loan (Rs. 3 crore) for Capital Market Reforms and Pension Administration.	-	4.00	4.00
33 वित्तीय सेवा विभाग				
(क) निम्नलिखित को अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (i) समुदाय आधारित सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कम्पनियों को सब्सिडी (21.61 करोड़ रुपए) और (ii) वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को ब्याज सब्सिडी (98.82 करोड़ रुपए)	33 Department of Financial Services (a) For meeting additional expenditure towards (i) subsidy to public sector general insurance companies for Community Based Universal Health Insurance Scheme (Rs. 21.61 crore) and (ii) interest subsidy to Life Insurance Corporation of India for pension plan for senior citizen (Rs. 98.82 crore).	-	120.43	120.43
(ख) निम्नलिखित हेतु (i) अल्पावधिक सहकारी ऋण ढांचे को सशक्त बनाने के लिए पुनरुत्थान पैकेज हेतु सरकारी अंशदान के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को सहायता अनुदान (800 करोड़ रुपए) का भुगतान (ii) विकास एवं संवर्धन हस्तक्षेप लागत की पूर्ति हेतु वित्तीय समावेशन निधि के लिए सरकारी अंशदान के लिए नाबार्ड को भुगतान (10 करोड़ रुपए) और (iii) विकास एवं संवर्धन हस्तक्षेप लागत की पूर्ति हेतु वित्तीय समावेशन निधि के लिए सरकारी अंशदान के लिए नाबार्ड को भुगतान (10 करोड़ रुपए)।		-	820.00	820.00
35 राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण				
(क) वर्ष 2005-06 की बाढ़ों के दौरान क्षतिग्रस्त संपत्तियों के दीर्घावधिक पुनर्निमाण के लिए।	35 Transfers to State and Union Territory Governments (a) For Long Term reconstruction of assets damaged during 2005-2006 Floods. (b) For Grants-in-aid to Government of Arunachal Pradesh.	179.64	-	179.64
(ख) अरुणाचल प्रदेश सरकार को सहायता अनुदान के लिए।		-	100.00	100.00

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
41. राजस्व विभाग निम्नलिखित को सहायता अनुदान के लिए भुगतान हेतु (क) गैर-सरकारी संगठन (1.81 करोड़ रुपए) और (ख) नशामुक्ति क्रियाकलापों से संबंधित अन्य संगठन (0.19 करोड़ रुपए)।	41 Department of Revenue For making payment towards Grants-in-Aid to (a) Non-Governmental Organisations (Rs. 1.81 crore) and (b) other organisations (Rs. 0.19 crore) towards undertaking activities for Control of Drug Abuse.	-	2.00	2.00
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
46. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (क) निम्नलिखित हेतु (i) स्वाइनफ्लू (एच1एन1) की दवा खरीद और स्वाइनफ्लू-रूधी मीडिया अभियान की वर्धित लागत और संबंधी व्यय की पूर्ति (227 करोड़ रुपए) (ii) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन के संबंध में चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं को सहायता अनुदान (312.22 करोड़ रुपए)। (ख) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन सम्बन्धी चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य के तहत विभिन्न संस्थाओं को सहायता अनुदान के लिए। (ग) निम्नलिखित हेतु (i) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर परिवार कल्याण के तहत विभिन्न संस्थाओं को सहायता अनुदान (3.67 करोड़ रुपए) और (ii) ओरल पोलियो टीकों की अधिप्राप्ति के लिए लम्बित देयता निपटान (0.53 करोड़ रुपए)।	46 Department of Health and Family Welfare (a) For (i) meeting expenditure for procurement of drugs for Swine flu (H1N1) and increased cost of anti-Swine-flu media campaign (Rs. 227 crore) and (ii) Grants-in-aid to various Institutes (Rs. 312.22 crore) towards salary on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government under Medical and Public Health. (b) For Grants-in-aid to various Institutes towards salary on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government under Medical and Public Health. (c) For (i) Grants-in-aid to various Institutes towards salary (Rs. 3.67 crore) on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government under Family Welfare and (ii) pending liability settlement for procurement of oral polio vaccines (Rs. 0.53 crore).	539.22	-	539.22
		-	173.97	173.97
		-	4.20	4.20
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES			
49. भारी उद्योग विभाग (क) निम्नलिखित को सहायता अनुदान (i) भारत यंत्र निगम लिमिटेड (2.52 करोड़ रुपए) (ii) कर्मचारियों के वेतन मजदूरी और सांविधिक बकायों के भुगतान के लिए भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (2.30 करोड़ रुपए) और (iii) 1.4.2009 से 31.3.2010 तक की अवधि के लिए ऑफिशियल लिक्विडेटर के वेतनों और प्रशासनिक खर्चों के भुगतान के लिए राष्ट्रीय और औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (0.09 करोड़ रुपए)। (ख) अनुमोदित पुनर्निर्माण योजना के भाग के रूप में इन्स्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड कोटा के सन्दर्भ में ऋण का तरजीही शेयर पूंजी में परिवर्तन से संबंधित आवश्यक लेखा समायोजन करने हेतु।	49 Department of Heavy Industry (a) For Grants-in-aid to (i) Bharat Yantra Nigam Limited (Rs. 2.52 crore), (ii) Bharat Wagon and Engineering Company Limited (Rs. 2.30 crore) for payment of salaries/wages and statutory dues of employees and (iii) National Industrial Development Corporation Limited (Rs. 0.09 crore) for payment of salaries to the Official Liquidator and administrative expenses for the period 1.4.2009 to 31.3.2010. (b) For carrying out necessary accounting adjustments relating to conversion of loan into preference share capital in respect of Instrumentation Limited, Kota as a part of approved restructuring plan.	-	4.91	4.91
		38.36	-	38.36

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
51. गृह मंत्रालय	51 Ministry of Home Affairs			
विभागीय लेखा संगठन पर व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting expenditure on Departmental Accounting Organisation.	-	9.46	9.46
53. पुलिस	53 Police			
(क) निम्नलिखित को अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (i) घरेलू यात्रा व्यय (74.11 करोड़ रुपए), (ii) राशन लागत (221.77 करोड़ रुपए), (iii) वस्त्र और टेंट व्यवस्था (63.48 करोड़ रुपए) (iv) केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों के विभागीय लेखा संगठन (26.51 करोड़ रुपए) (v) इन्टरनेशनल बाईलेटरल ट्रेनिंग प्रोग्राम ((0.70 करोड़ रुपए) (vi) केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों के कार्मिकों के निकटतम रिश्तेदार को अनुग्रह राशि की क्षतिपूर्ति (30 करोड़ रुपए) और (vii) राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड (1.47 करोड़ रुपए)	(a) For meeting additional expenditure on (i) Domestic Travel Expenses (Rs. 74.11 crore), (ii) Cost of Ration (Rs. 221.77 crore), (iii) Clothing and Tentage (Rs. 63.48 crore), (iv) Departmental Accounting Organisation of Central Para Military Forces (Rs. 26.51 crore), (v) International Bilateral Training Programme (Rs. 0.70 crore), (vi) ex-gratia compensation to the Next of Kins of Central Para Military Forces personnel (Rs. 30 crore) and (vii) National Intelligence Grid (Rs. 1.47 crore).	-	418.04	418.04
(ख) राष्ट्रमण्डल खेल 2010 के लिए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को बैंडविड्थ प्रभारों के भुगतान के लिए।	(b) For payment of Bandwidth charges to Mahanagar Telephone Nigam Limited for Commonwealth Games, 2010.	30.00	-	30.00
(ग) पुलिस आवास पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति।	(c) For meeting additional expenditure on Police Housing.	23.62	-	23.62
(घ) निम्नलिखित पर व्यय की पूर्ति हेतु (i) दिल्ली पुलिस की सीसीटीवी परियोजना (37.25 करोड़ रुपए) (ii) राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड ग्रिड (0.03 करोड़ रुपए) (iii) केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों के कार्यालय भवन के लिए भूमि अधिग्रहण (163.54 करोड़ रुपए) और (iv) असम राइफल्स के आवासीय भवन (18 करोड़ रुपए)।	(d) For meeting expenditure on (i) CCTV project of Delhi Police (Rs. 37.25 crore), (ii) National Intelligence Grid (Rs. 0.03 crore), (iii) acquisition of land for Office Building of Central Para Military Forces (Rs. 163.54 crore), and (iv) Residential Building of Assam Rifles (Rs. 18 crore).	-	218.82	218.82
54. गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	54 Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs			
लेफ्ट विंग उग्रवाद-प्रभावित राज्यों में मीडिया प्लान पर व्यय की पूर्ति।	For meeting expenditure on Media Plan in Left Wing Extremism affected States.	7.00	-	7.00
55. संघ राज्य क्षेत्र का सरकारों को अंतरण	55 Transfers to Union Territory Governments			
राष्ट्रमण्डल खेल 2010 पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए।	For additional expenditure on Commonwealth Games 2010.	1,000.00	-	1,000.00
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT			
57. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	57 Department of School Education and Literacy			
निम्नलिखित को सहायता अनुदान (क) राष्ट्रीय बाल भवन (0.87 करोड़ रुपए) (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (272.61 करोड़ रुपए) (ग) नवोदय विद्यालय (34.91 करोड़ रुपए) और (घ) तिब्बती स्कूल सोसायटी (2.33 करोड़ रुपए)।	For Grants-in-aid to (a) National Bal Bhavan (Rs. 0.87 crore), (b) Kendriya Vidyalaya Sangathan (Rs. 272.61 crore), (c) Navodaya Vidyalaya (Rs. 34.91 crore) and (d) Tibetan School Society (Rs. 2.33 crore).	-	310.72	310.72
58. उच्च शिक्षा विभाग	58 Department of Higher Education			
(क) निम्नलिखित को सहायता अनुदान हेतु (i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (134 करोड़ रुपए) (ii) केन्द्रीय विश्वविद्यालय (363.85 करोड़ रुपए) (iii) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (3.05	(a) For Grants-in-aid (i) to University Grants Commission (Rs. 134.64 crore), (ii) to Central Universities (Rs. 363.85 crore), (iii) to Indian Council of Social Science Research (Rs. 3.05 crore), (iv)			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
करोड़ रुपए)। (iv) ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना (0.20 करोड़ रुपए) (v) भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद (0.60 करोड़ रुपए), (vi) हिन्दी शिक्षण मण्डल, आगरा (2.33 करोड़ रुपए) (vii) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (3.68 करोड़ रुपए), (viii) औरोविल प्रबंधन (0.09 करोड़ रुपए) (ix) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर बकाया राशि के भुगतान के लिए राष्ट्रीय शिक्षा योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय (2.36 करोड़ रुपए) (x) डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल कॉलेज दिल्ली को निधियां प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (0.55 करोड़ रुपए) (xi) संपत्ति कर भुगतान के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालय (29.13 करोड़ रुपए) (xii) "राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर" योजना के तहत मानदेय, पेंशन और आकस्मिकता अनुदान आदि का भुगतान (0.70 करोड़ रुपए) (xiii) कर प्रतिपूर्ति के लिए भारत में यूनाइटेड स्टेट्स एड्युकेशन फाउन्डेशन की आयकर और सीमा शुल्क वापसी योजना के तहत (0.44 करोड़ रुपए) (xiv) यूके के सम्वन्ध में छात्रवृत्ति पर किए जाने वाले व्यय के कारण विदेशी करकार/संगठनों द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्तियों के लिए विदेश जाने वाले भारतीय स्कॉलर स्कीम तहत (0.19 करोड़ रुपए) और (xv) विश्व पुस्तक मेला के लिए पुस्तक संवर्धन हेतु राष्ट्रीय बुक ट्रस्ट/संस्थानों की योजना के तहत (3.19 करोड़ रुपए)।	to Establishment of Rural Universities (Rs. 0.20 crore), (v) to Indian Council of Philosophical Research (Rs. 0.60 crore), (vi) to Hindi Shikshan Mandal, Agra (Rs. 2.33 crore), (vii) to Rashtriya Sanskrit Sansthan (Rs. 3.68 crore), (viii) to Auroville Management (Rs. 0.09 crore), (ix) to National University of Education Planning and Administration (Rs. 2.36 crore) towards payment of arrears on implementation of Sixth CPC recommendations, (x) to University Grants Commission for providing funds to Dr. Zakir Hussain Memorial College, Delhi (Rs. 0.55 crore), (xi) to Central Universities for payment of property tax (Rs. 29.13 crore), (xii) to payment of honararium, pension and contingency grant, etc under the scheme 'National Research Professors' (Rs. 0.70 crore), (xiii) under the scheme Refund of Income tax and Customs Duty to United States Education Foundation in India for reimbursement of Tax (Rs. 0.44 crore), (xiv) under the scheme Indian Scholars going abroad against scholarships offered by Foreign Government/ Organisations on account of expenditure to be incurred on Scholarship for U.K. (Rs. 0.19 crore) and (xv) under the scheme of National Book Trust/Institutions for Book Promotion for organising World Book Fair (Rs. 3.19 crore).	-	545.00	545.00
(ख) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन/ बकाया के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु निम्नलिखित को सहायता अनुदान हेतु (i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (30.69 करोड़ रुपए) (ii) भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलूरु (6.28 करोड़ रुपए), (iii) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान ग्वालियर (1.34 करोड़ रुपए) (iv) नेशनल इस्टीमेट फॉर फाउन्ड्री एंड फोर्ज टेक्नोलोजी (3.43 करोड़ रुपए) (v) स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, दिल्ली (6.96 करोड़ रुपए), (vi) संत लॉगोवाल आभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (10.03 करोड़ रुपए) और (vii) प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड (0.50 करोड़ रुपए)।	(b) Grants-in-aid for meeting additional expenditure on account of salaries/ arrears on implementation of Sixth CPC recommendations as accepted by the Government to (i) Indian Institute of Technology (Rs. 30.69 crore), (ii) Indian Institute of Science, Bengaluru (Rs. 6.28 crore), (iii) Indian Institute of Information Technology and Management, Gwalior (Rs. 1.34 crore), (iv) National Institute for Foundry and Forge Technology (Rs. 3.43 crore), (v) School of Planning and Architecture, Delhi (Rs. 6.96 crore), (vi) Sant Longowal Institute of Engineering & Technology (Rs. 10.03 crore), and (vii) Board of Apprenticeship Training (Rs. 0.50 crore).	-	59.23	59.23
(ग) केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान को सहायता अनुदान के लिए	(c) For Grants-in-aid to Central Institute of Technology.	14.00	-	14.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(घ) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग का सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान को सहायता अनुदान के लिए।	(d) For Grants-in-aid to North Eastern Regional Institute of Science and Technology for meeting additional expenditure on account of Salaries on implementation of Sixth CPC recommendations as accepted by the Government.	-	7.00	7.00
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING			
59. सूचना और प्रसारण मंत्रालय	59 Ministry of Information and Broadcasting			
डॉक्यूमेंटरी फिल्म निर्माण के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान के लिए।	For Grants-in-aid to the Non Government Organisations for production of documentary films.	1.00	-	1.00
श्रम और रोजगार मंत्रालय	MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT			
60. श्रम और रोजगार मंत्रालय	60 Ministry of Labour and Employment			
कार्यालय व्यय, घरेलू यात्रा व्यय और श्रम और रोजगार सांख्यिकी प्रणाली व्यावसायिक सेवाओं के लिए रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षण के सम्बन्ध में अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure towards survey of employment and unemployment for Office Expenses, Domestic Travel Expenses and Professional Services of Labour and Employment Statistical System.	10.39	-	10.39
विधि एवं न्याय मंत्रालय	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE			
62. विधि एवं न्याय	62 Law and Justice			
‘ग्राम न्यायालयों की स्थापना और संचालन के लिए राज्य सरकारों को सहायता’ पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure on ‘Assistance to State Governments for establishing and operating Gram Nyayalayas’.	10.00	-	10.00
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES			
64 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	64 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises			
(क) निम्नलिखित पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (i) ‘विपणन विकास सहायता कार्यक्रम’ योजना के सम्बन्ध में सब्सिडियां (1.50 करोड़ रुपए) (ii) प्रौद्योगिकी सहायता संस्थान और कार्यक्रम की गुणवत्ता (55.41 करोड़ रुपए) (iii) डाटाबेस का अद्यतन (1.60 करोड़ रुपए) (iv) संवर्धनात्मक सेवा संस्थान और कार्यक्रम (1.41 करोड़ रुपए) और (v) निष्पादन और क्रेडिट रेटिंग योजना पर व्यय की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को अतिरिक्त सहायता अनुदान (20.40 करोड़ रुपए)।	(a) For meeting the additional expenditure on (i) subsidies (Rs. 1.50 crore) towards the scheme ‘Marketing Development Assistance Programme’, (ii) Quality of Technology Support Institution and Programme (Rs. 55.41 crore), (iii) Updation of Data base (Rs. 1.60 crore), (iv) Promotional Services Institutions and Programmes (Rs. 1.41 crore), and (v) additional Grants-in-aid (Rs. 20.40 crore) to National Small Industries Corporation for meeting the expenditure on Performance and Credit Ratings scheme.	80.32	-	80.32
(ख) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण वेतनों और पेंशनों की बकाया राशि के भुगतान के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (63.24 करोड़ रुपए) और कोइर बोर्ड (2.86 करोड़ रुपए) के अन्य प्रशासनिक	(b) For meeting the additional expenditure on Other Administrative Expenses of Khadi and Village Industries Commission (Rs. 63.24 crore) and Coir Board (Rs. 2.86 crore) for payment of arrears of salaries and pensions on			

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भित्त Non Plan	जोड़ Total
व्यय पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	account of implementation of the Sixth CPC recommendations as accepted by the Government.	-	66.10	66.10
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY			
67. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय निम्नलिखित को अंशदान (क) अन्तरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (0.57 करोड़ रुपए) और (ख) यूनाइटेड नेशनल इकॉनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक (0.40 करोड़ रुपए)।	67 Ministry of New and Renewable Energy For contribution to (a) International Renewable Energy Agency (Rs. 0.57 crore) and (b) United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific (Rs. 0.40 crore).	-	0.97	0.97
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS			
71 कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के संस्थापन संबंधी व्यय के लिए।	71 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions For establishment related expenditure of Indian Institute of Public Administration.	-	5.94	5.94
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY			
84 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वैज्ञानिक और और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को वेतन और पेंशन सहायता के लिए सहायता अनुदान पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	84 Department of Scientific and Industrial Research For meeting additional expenditure on Grants-in-aid on account of Salaries and Pensions assistance to the Council for Scientific and Industrial Research on implementation of Sixth CPC recommendations as accepted by the Government.	47.90	-	47.90
पोत परिवहन मंत्रालय	MINISTRY OF SHIPPING			
86 पोत परिवहन मंत्रालय (क) अन्तर्देशीय जलमार्ग विकास के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (ख) बांग्लादेश सरकार को अन्तर्देशीय जलमार्ग के प्रोटोकॉल रूट के अनुरक्षण के लिए देय अनुदानों हेतु। (ग) इन्टरनेशनल कन्टेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, कोचिन पोर्ट ट्रस्ट (7.69 करोड़ रुपए) पर रेल कनेक्टिविटी परियोजना पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति और अंदमान द्वीप समुह में सुनामी से क्षतिग्रस्त सुविधाओं के पुनर्निर्माण पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (60 करोड़ रुपए)। (घ) मुख्य बन्दरगाहों के लिए बेव बेस्ट डाटा इंटरचेंज के विकास पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। (ङ) हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजिनियर्स लिमिटेड को अर्थोपाय ऋण हेतु।	86 Ministry of Shipping (a) For meeting additional expenditure for development of Inland Waterways. (b) For Grants payable to the Government of Bangladesh for maintenance of protocol routes of Inland Waterways. (c) For meeting additional expenditure on the Rail-connectivity project at the International Container Transshipment Terminal, Cochin Port Trust (Rs. 7.69 crore) and for meeting additional expenditure on Reconstruction of facilities wrecked by Tsunami in the Andaman Islands (Rs. 60 crore). (d) For meeting additional expenditure on development of Web Based Data Interchange for Major Ports. (e) For Ways and Means loan to Hoogly Dock and Port Engineers Limited.	19.85 - 67.69 3.00 -	- 1.90 - - 2.60	19.85 1.90 67.69 3.00 2.60
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
87 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय विभिन्न सीमावर्ती राज्यों में सामरिक महत्व की	87 Ministry of Road Transport and Highways For meeting additional expenditure on			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
और सीमा सड़कों पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	Strategic and Border Roads falling in various border States.	40.00	-	40.00
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT			
88 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	88 Ministry of Social Justice and Empowerment			
(क) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यालय को सहायता अनुदान देने हेतु।	(a) For Grants-in-aid to the Office of National Commission of Backward Classes.	-	0.15	0.15
(ख) दीनदयाल पुनर्वास योजना के तहत विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान हेतु।	(b) For Grants-in-aid to various Voluntary Organisations under the Deendayal Rehabilitation Scheme.	16.99	-	16.99
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION			
90 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	90 Ministry of Statistics and Programme Implementation			
(क) 'सचिवालय सामान्य सेवाएं' शीर्ष के तहत सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth CPC recommendations as accepted by the Government under the head 'Secretariat General Services'.	-	0.97	0.97
(ख) 'सचिवालय आर्थिक सेवाएं' शीर्ष के तहत सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth CPC recommendations as accepted by the Government under the head 'Secretariat Economic Services'.	-	0.71	0.71
(ग) (i) प्रशासनिक मंत्रालय के सन्दर्भ में सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों (11.63 करोड़ रुपए) संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु और (ii) भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता को सहायता अनुदान (20.65 करोड़ रुपए)।	(c) (i) For meeting additional expenditure on account of salaries (Rs. 11.63 crore) on implementation of the Sixth CPC recommendations as accepted by the Government in respect of Administrative Ministry and (ii) Grants-in-aid to Indian Statistical Institute, Kolkata (Rs. 20.65 crore).	-	32.28	32.28
इस्पात मंत्रालय	MINISTRY OF STEEL			
91 इस्पात मंत्रालय	91 Ministry of Steel			
बिसरा स्टोन लाइम कम्पनी लिमिटेड के सन्दर्भ में ऋण का इक्विटी में परिवर्तन से संबंधित आवश्यक लेखा समायोजनों हेतु।	For carrying out necessary accounting adjustments relating to conversion of loan into equity in respect of Bisra Stone Lime Company Limited.	86.79	-	86.79
कपड़ा मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
92 कपड़ा मंत्रालय	92 Ministry of Textiles			
(क) निम्नलिखित हेतु (i) केन्द्रीय रेशम बोर्ड को सहायता अनुदान प्रदान करना (40 करोड़ रुपए) (ii) विद्युत करघा उद्योगों (3.64 करोड़ रुपए) और मिल गेट प्राइस स्कीम (4.22 करोड़ रुपए) पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति।	(a) For (i) providing Grants-in-aid to Central Silk Board (Rs. 40 crore), (ii) meeting additional expenditure on Powerloom Industries (Rs. 3.64 crore) and Mill Gate Price Scheme (Rs. 4.22 crore).	47.86	-	47.86
(ख) निम्नलिखित हेतु (i) टीयूएफएस के सर्वेक्षण और अध्ययन के अन्तर्गत प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) संबंधी प्रशासनिक	(b) For (i) administrative expenses (Rs. 7.35 crore) under Technology Upgradation Fund Scheme (TUFS) for			

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
व्यय (7.35 करोड़ रुपए) (ii) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के केन्द्रों का उन्नयन (77.64 करोड़ रुपए) (iii) तकनीकी कपड़ों पर अतिरिक्त व्यय (12 करोड़ रुपए) (iv) विदेशी निवेश संवर्धन योजना को सहायता अनुदान (4.20 करोड़ रुपए)।	survey and study of TUFs, (ii) upgradation of National Institute of Fashion Technology Centers (Rs. 77.64 crore), (iii) meeting additional expenditure (Rs. 12 crore) on Technical Textiles and (iv) Grants-in-aid (Rs. 4.20 crore) to Foreign Investment Promotion Scheme.	101.19	-	101.19
(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में कपड़ा (26.75 करोड़ रुपए), हस्तशिल्प (0.76 करोड़ रुपए) और रेशम कीट पालन (30.40) करोड़ रुपए के संबंध में परियोजनाओं/योजनाओं के तहत प्रावधान में वृद्धि के लिए।	(c) For augmentation of provision under the projects/schemes for North Eastern Region and Sikkim towards Textiles (Rs. 26.75 crore), Handicrafts (Rs. 0.76 crore) and Sericulture (Rs. 30.40 crore).	57.91	-	57.91
पर्यटन मंत्रालय	MINISTRY OF TOURISM			
93 पर्यटन मंत्रालय	93 Ministry of Tourism			
(क) राज्य सरकारों को चालू योजनाओं पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए केन्द्रीय सहायता।	(a) For Central Assistance to State Governments to meet additional expenditure on ongoing schemes.	12.00	-	12.00
(ख) संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को चालू योजनाओं पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु।	(b) For Central Assistance to Union Territory Governments to meet additional expenditure on ongoing schemes.	1.50	-	1.50
शहरी विकास मंत्रालय	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT			
100 शहरी विकास मंत्रालय	100 Department of Urban Development			
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure on implementation of Sixth CPC recommendations as accepted by the Government by the National Capital Region Planning Board.	-	0.45	0.45
जल संसाधन मंत्रालय	MINISTRY OF WATER RESOURCES			
103 जल संसाधन मंत्रालय	103 Ministry of Water Resources			
वनसाधारा जल विवादों को निपटाने के लिए न्यायाधिकरण के गठन हेतु संस्थान स्थापना संबंधी व्यय हेतु।	For establishment related expenditure for constitution of a Tribunal to resolve the Vansadhara Water Disputes.	-	1.02	1.02
जोड़ सांकेतिक	Total Token	0.35	0.38	0.73
6. तत्काल आवश्यकता की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से कुल 231.44 करोड़ रुपए के पांच अग्रिमों की मंजूरी दी गई थी। इनकी प्रतिपूर्ति अनुदानों की पूरक मांगों की मंजूरी प्राप्त होने के पश्चात कर दी जाएगी।	6. Five advances aggregating Rs. 231.44 crore were sanctioned from the Contingency Fund of India for meeting immediate requirement. These will be recouped to the Fund after the Supplementary Demands for Grants are sanctioned.			
कुल जोड़	GRAND TOTAL	7,935.66	23,006.96	30,942.62
निवल नगद व्यय	Net Cash Outgo	5,657.57	20,067.65	25,725.22
तकनीकी पूरक	Technical Supplementary	2,277.74	2,938.93	5,216.67
सांकेतिक पूरक	Token Supplementary	0.35	0.38	0.73

विषय सूची CONTENTS

				(करोड़ रुपए Rupees in crore)				
मांग संख्या और शीर्षक			No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
कृषि मंत्रालय			MINISTRY OF AGRICULTURE					
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	स्वीकृत	1. Department of Agriculture and Cooperation	Voted	14.23	...	14.23	1-2
2.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	स्वीकृत	2. Department of Agricultural Research and Education	Voted	19.96	...	19.96	3
परमाणु ऊर्जा विभाग			DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY					
4.	परमाणु ऊर्जा	स्वीकृत	4. Atomic Energy	Voted	422.48	199.83	622.31	4-5
5.	न्यूक्लीयर विद्युत योजनाएं	स्वीकृत	5. Nuclear Power Schemes	Voted	55.67	302.28	357.95	6
रसायन और उर्वरक मंत्रालय			MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS					
6.	रसायन और पेट्रोरसायन विभाग	स्वीकृत	6. Department of Chemicals and Petrochemicals	Voted	166.07	...	166.07	7
7.	उर्वरक विभाग	स्वीकृत	7. Department of Fertilisers	Voted	3000.00	...	3000.00	8
नागर विमानन मंत्रालय			MINISTRY OF CIVIL AVIATION					
9.	नागर विमानन मंत्रालय	स्वीकृत	9. Ministry of Civil Aviation	Voted	281.00	800.00	1081.00	9
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय			MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY					
11.	वाणिज्य विभाग	भारित स्वीकृत	11. Department of Commerce	Charged Voted	2.05 160.58	...	2.05 160.58	10-11
12.	औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	स्वीकृत	12. Department of Industrial Policy and Promotion	Voted	0.01	...	0.01	12
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय			MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY					
13.	डाक विभाग	भारित	13. Department of Posts	Charged	4.03	0.10	4.13	13
14.	दूरसंचार विभाग	स्वीकृत	14. Department of Telecommunications	Voted	249.24	171.75	420.99	14
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय			MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION					
17.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	स्वीकृत	17. Department of Food and Public Distribution	Voted	3660.82	150.00	3810.82	15-16
कारपोरेट कार्य मंत्रालय			MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS					
18.	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	स्वीकृत	18. Ministry of Corporate Affairs	Voted	9.43	1.00	10.43	17
संस्कृति मंत्रालय			MINISTRY OF CULTURE					
19.	संस्कृति मंत्रालय	स्वीकृत	19. Ministry of Culture	Voted	0.02	9.00	9.02	18-20
रक्षा मंत्रालय			MINISTRY OF DEFENCE					
20.	रक्षा मंत्रालय	भारित स्वीकृत	20. Ministry of Defence	Charged Voted	... 29.81	0.40 0.01	0.40 29.82	21
21.	रक्षा पेंशन	स्वीकृत	21. Defence Pensions	Voted	2210.00	...	2210.00	22
23.	रक्षा सेवा-नौसेना	भारित	23. Defence Services - Navy	Charged	2.50	...	2.50	23
24.	रक्षा सेवा-वायु सेना	भारित	24. Defence Services - Air Force	Charged	1.45	...	1.45	24

		(करोड़ रुपए Rupees in crore)				
मांग संख्या और शीर्षक	No. and Title of Demand	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page	
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION					
28. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	28. Ministry of Development of North Eastern Region	Voted	0.01	...	0.01	25
	स्वीकृत					
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	MINISTRY OF EARTH SCIENCES					
29. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	29. Ministry of Earth Sciences	Voted	0.04	0.01	0.05	26-27
	स्वीकृत					
पर्यावरण और वन मंत्रालय	MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS					
30. पर्यावरण और वन मंत्रालय	30. Ministry of Environment and Forests	Voted	0.05	0.01	0.06	28-29
	स्वीकृत					
विदेश मंत्रालय	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS					
31. विदेश मंत्रालय	31. Ministry of External Affairs	Voted	...	297.50	297.50	30
	स्वीकृत					
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE					
32. आर्थिक कार्य विभाग	32. Department of Economic Affairs	Voted	0.01	...	0.01	31
33. वित्तीय सेवा विभाग	33. Department of Financial Services	Voted	400.02	1266.00	1666.02	32-33
35. राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण	35. Transfers to State and Union Territory Governments	Charged	...	1400.00	1400.00	34
	भारित					
	स्वीकृत	Voted	1200.02	...	1200.02	
38. व्यय विभाग	38. Department of Expenditure	Voted	3.94	...	3.94	35
39. पेंशन	39. Pensions	Voted	4533.33	...	4533.33	36
41. राजस्व विभाग	41. Department of Revenue	Voted	0.01	...	0.01	37
44. विनिवेश विभाग	44. Department of Disinvestment	Voted	...	3139.90	3139.90	38
	स्वीकृत					
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE					
46. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	46. Department of Health and Family Welfare	Voted	0.03	...	0.03	39-40
	स्वीकृत					
भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES					
49. भारी उद्योग विभाग	49. Department of Heavy Industry	Voted	0.01	0.01	0.02	41
	स्वीकृत					
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS					
51. गृह मंत्रालय	51. Ministry of Home Affairs	Charged	0.39	...	0.39	42-43
	भारित					
	स्वीकृत	Voted	195.83	...	195.83	
53. पुलिस	53. Police	Charged	...	0.70	0.70	44-45
	भारित					
	स्वीकृत	Voted	0.02	0.02	0.04	
54. गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	54. Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs	Voted	7.92	48.00	55.92	46
55. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	55. Transfers to Union Territory Governments	Voted	105.68	...	105.68	47
	स्वीकृत					
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT					
57. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	57. Department of School Education and Literacy	Voted	0.01	...	0.01	48
58. उच्चतर शिक्षा विभाग	58. Department of Higher Education	Voted	87.12	100.00	187.12	49-51
	स्वीकृत					
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING					
59. सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	59. Ministry of Information and Broadcasting	Voted	0.01	...	0.01	52
	स्वीकृत					

				(करोड़ रुपए Rupees in crore)				
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page	
श्रम और रोजगार मंत्रालय		MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT						
60.	श्रम और रोजगार मंत्रालय	स्वीकृत	60. Ministry of Labour and Employment	Voted	0.01	...	0.01	53
विधि और न्याय मंत्रालय		MINISTRY OF LAW AND JUSTICE						
61.	निर्वाचन आयोग	स्वीकृत	61. Election Commission	Voted	5.59	...	5.59	54
62.	विधि और न्याय	स्वीकृत	62. Law and Justice	Voted	0.01	...	0.01	55
63.	विनियोग-भारत का उच्चतम न्यायालय	भारित	63. Appropriation - Supreme Court of India	Charged	10.81	...	10.81	56
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय		MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES						
64.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	स्वीकृत	64. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises	Voted	0.02	...	0.02	57
खान मंत्रालय		MINISTRY OF MINES						
65.	खान मंत्रालय	स्वीकृत	65. Ministry of Mines	Voted	21.13	...	21.13	58
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय		MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY						
67.	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	स्वीकृत	67. Ministry of New and Renewable Energy	Voted	0.01	...	0.01	59
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय		MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS						
71.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	भारित	71. Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions	Charged	3.05	...	3.05	60-61
		स्वीकृत		Voted	39.13	15.21	54.34	
विद्युत मंत्रालय		MINISTRY OF POWER						
74.	विद्युत मंत्रालय	स्वीकृत	74. Ministry of Power	Voted	75.93	...	75.93	62
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय		THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE-PRESIDENT						
78.	विनियोग-संघ लोक सेवा आयोग	भारित	78. Appropriation - Union Public Service Commission	Charged	17.10	...	17.10	63
79.	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	स्वीकृत	79. Secretariat of the Vice-President	Voted	0.41	...	0.41	64
ग्रामीण विकास मंत्रालय		MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT						
80.	ग्रामीण विकास विभाग	स्वीकृत	80. Department of Rural Development	Voted	154.45	...	154.45	65
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय		MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY						
84.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	स्वीकृत	84. Department of Scientific and Industrial Research	Voted	6.77	...	6.77	66
पोत परिवहन मंत्रालय		MINISTRY OF SHIPPING						
86.	पोत परिवहन मंत्रालय	स्वीकृत	86. Ministry of Shipping	Voted	0.02	0.03	0.05	67-68
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय		MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS						
87.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	स्वीकृत	87. Ministry of Road Transport and Highways	Voted	0.01	311.00	311.01	69-70

		(करोड़ रुपए Rupees in crore)					
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय		MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT					
88. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	स्वीकृत	88. Ministry of Social Justice and Empowerment	Voted	0.02	...	0.02	71
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय		MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION					
90. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	स्वीकृत	90. Ministry of Statistics and Programme Implementation	Voted	0.03	...	0.03	72
इस्पात मंत्रालय		MINISTRY OF STEEL					
91. इस्पात मंत्रालय	स्वीकृत	91. Ministry of Steel	Voted	728.69	0.01	728.70	73
कपड़ा मंत्रालय		MINISTRY OF TEXTILES					
92. कपड़ा मंत्रालय	स्वीकृत	92. Ministry of Textiles	Voted	514.45	...	514.45	74-75
पर्यटन मंत्रालय		MINISTRY OF TOURISM					
93. पर्यटन मंत्रालय	स्वीकृत	93. Ministry of Tourism	Voted	0.02	...	0.02	76
शहरी विकास मंत्रालय		MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT					
100. शहरी विकास विभाग	स्वीकृत	100. Department of Urban Development	Voted	414.76	2025.10	2439.86	77-78
101. लोक निर्माण कार्य	स्वीकृत	101. Public Works	Voted	25.52	...	25.52	79
जल संसाधन मंत्रालय		MINISTRY OF WATER RESOURCES					
103. जल संसाधन मंत्रालय	स्वीकृत	103. Ministry of Water Resources	Voted	0.01	...	0.01	80
महिला और बाल विकास मंत्रालय		MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT					
104. महिला और बाल विकास मंत्रालय	स्वीकृत	104. Ministry of Women and Child Development	Voted	1200.00	...	1200.00	81
युवा मामले और खेल मंत्रालय		MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS					
105. युवा मामले और खेल मंत्रालय	स्वीकृत	105. Ministry of Youth Affairs and Sports	Voted	312.42	350.58	663.00	82-83
कुल जोड़		GRAND TOTAL		20354.17	10588.45	30942.62	
	भारित		Charged	41.38	1401.20	1442.58	
	स्वीकृत		Voted	20312.79	9187.25	29500.04	
अनुबंध		Annexure					84-90

मांग संख्या DEMAND NO. 1

कृषि एवं सहकारिता विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 1 देखिए)।

(See page 1 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	11822.67	92.55	11915.22	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	14.23	...	14.23	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	11836.90	92.55	11929.45	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3451-सचिवालय-आर्थिक		3451-Secretariat-Economic				
सेवाएं	स्वीकृत	Services	Voted:	...	7.41 (का)	7.41
2401-फसल कार्य	स्वीकृत	2401-Crop Husbandry	Voted:	0.01 (खb)	5.27 (गc)	5.28
2435-अन्य कृषि कार्यक्रम		2435-Other Agricultural				
	स्वीकृत	Programmes	Voted:	...	1.52 (घd)	1.52
3601-राज्य सरकारों को		3601-Grants-in-aid to State				
सहायता अनुदान	स्वीकृत	Governments	Voted:	...	0.01 (ङe)	0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों		3602-Grants-in-aid to Union				
को सहायता अनुदान	स्वीकृत	Territory Governments	Voted:	0.01 (चf)	...	0.01
जोड़ (परक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.02	14.21	14.23

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित है :

The supplementary grant is required for the following purposes :

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(क) और (घ) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की बकाया राशि के कारण कार्यान्वयन के वेतन के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। चूंकि समतुल्य राशि अनुदान के पूंजी भाग से अभ्यर्पित की जाएगी, अतः इसमें कोई नगद व्यय नहीं होगा।</p> <p>(ख) (i) साधारण बीमा कम्पनी (जीआईसी)/कृषि बीमा कम्पनी (एआईसी) को दावों के संवितरण के लिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए भुगतान (250 करोड़ रुपए);</p> <p>(ii) एकीकृत आइलसीड, आइल पाम, दाल और मक्का विकास के तहत बीज उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए वर्धित उत्पादन योजना और बीज मिनिकिटों के वितरण के लिए सहायता अनुदान (70 करोड़ रुपए);</p> <p>(iii) "कृषि आर्थिक नीति और विकास हेतु निविष्टि संबंधी सूचना के अध्ययन" के अन्तर्गत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण कार्यान्वयनकारी एजेंसियों को सहायता अनुदान (8.53 करोड़ रुपए); और</p> <p>(iv) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्रों (विधान सभा रहित) को अनुदान (1.79 करोड़ रुपए)।</p> | <p>(a) and (d) For meeting additional expenditure under salaries on account of arrears of Sixth Central Pay Commission. As an equivalent amount will be surrendered from the Capital Section of the Grant, this will not entail any cash outgo.</p> <p>(b) (i) Payment to General Insurance Company (GIC)/Agriculture Insurance Company (AIC) for implementation of National Agricultural Insurance Scheme for disbursement of claims (Rs.250 crore);</p> <p>(ii) Grants-in-aid for distribution of seed minikits and enhanced production plan to ensure seed availability under Integrated Oilseeds, Oil Palm, Pulses and Maize Development (Rs.70 crore);</p> <p>(iii) Grants-in-aid to implementing agencies owing to implementation of recommendations of Sixth Central Pay Commission under 'Studies on input for Agricultural Economic Policy and Development' (Rs. 8.53 crore); and</p> <p>(iv) Grants to Union Territories (without legislature) under Rashtriya Krishi Vikas Yojna (Rs. 1.79 crore).</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

- (ग) छठे वेतन आयोग की बकाया राशि के कारण वेतन के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय (6.00 करोड़ रुपए) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन परिसंघ लि. (नेफेड) को मूल्य समर्थन योजना के लिए दावों की प्रतिपूर्ति (425.00 करोड़ रुपए) के रुप में। चूंकि अनुदान के पूंजी भाग से 5.27 करोड़ रुपए की राशि अभ्यर्पित की जाएगी और अनुदान के उसी भाग में 425.73 करोड़ रुपए की बचत उपलब्ध है, इसलिए इसमें कोई नगद व्यय नहीं होगा।
- (ङ) राज्य सरकारों को "सूखा और कम वर्षा प्रभावित क्षेत्रों में डीजल सब्सिडी" के सम्बन्ध में दावों की प्रतिपूर्ति हेतु (100 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अंतर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक मांगा गया है।
- (च) राष्ट्रीय कृषि विकास के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्रों (विधान सभा सहित) को सहायता अनुदान (0.24 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अंतर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

As savings are available within the same Section of the Grant, a token Supplementary is sought.

- (c) As additional expenditure under salaries on account of arrears of Sixth Central Pay Commission (Rs. 6.00 crore) and reimbursement of claims of National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited (NAFED) for Price Support Scheme (Rs. 425.00 crore). As an amount of Rs. 5.27 crore will be surrendered from the Capital Section of the Grant and savings of Rs. 425.73 crore is available in the same Section of the Grant, this will not entail any cash outgo.
- (e) For reimbursement of claims of State Governments on 'Diesel Subsidy in Drought and Deficit Rainfall Affected Areas' (Rs.100 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (f) Grants to Union Territories (with legislature) under Rashtriya Krishi Vikas Yojana (Rs. 0.24 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 2

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 2 देखिए)।

(See page 2 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)					
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान	I. ORIGINAL GRANT				
स्वीकृत	Voted:	3314.77	...	3314.77	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	19.96	...	19.96	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	3334.73	...	3334.73	
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:					

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2415-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	2415- Agricultural Research and Education			
स्वीकृत	Voted:	...	19.96	19.96

यह पूरक अनुदान की आवश्यकता छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर कृषि विज्ञान के तहत वैज्ञानिकों के वेतन संशोधन और उनकी पिछली बकाया राशि वेतन और भत्तों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) को सहायता अनुदान के लिए है।

इसमें नगद व्यय होगा।

The supplementary grant is required as grants-in-aid to Indian Council of Agricultural Research (ICAR) for pay and allowances due to revision of salaries of Scientists on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations and arrears thereof under Crop Science.

This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.4

परमाणु ऊर्जा
ATOMIC ENERGY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 4 देखिए)।

(See page 4 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	1.00	1.00	2.00
	स्वीकृत	Voted:	4108.08	2387.70	6495.78
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	422.48	199.83	622.31
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		4531.56	2588.53	7120.09
	भारित	Charged:	1.00	1.00	2.00
	स्वीकृत	Voted:	4530.56	2587.53	7118.09

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat Economic Services	Voted:	...	1.08 (का)	1.08
2852-उद्योग	2852-Industries	Voted:	...	242.10 (खb)	242.10
3401-परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	3401-Atomic Energy Research	Voted:	42.97 (गc)	136.33 (घd)	179.30
जोड़ राजस्व भाग	Total Revenue Section	Voted:	42.97	379.51	422.48
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4861-परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4861-Capital Outlay on Atomic Energy Industries	Voted:	41.90 (जे)''	111.37 (चf)	153.27
5401-परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	5401-Capital Outlay on Atomic Energy Research	Voted:	44.85 (छg)	1.71 (जh)	46.56
जोड़ पूंजी भाग	Total Capital Section	Voted:	86.75	113.08	199.83
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		129.72	492.59	622.31

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant is sought:

- (क) अन्य संस्थापन सम्बन्धी व्यय पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। (a) For meeting additional expenditure on other establishment related expenditure.
- (ख) न्यूक्लीयर फ्यूल कॉम्प्लेक्स के लिए यूरेनियम खरीद, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र और अन्य इकाइयों के लिए कच्ची सामग्री और रसायन की खरीद पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। (b) For meeting additional expenditure on purchase of uranium for Nuclear Fuel Complex, purchase of raw material, chemicals for Bhabha Atomic Research Centre and other units.
- (ग) आयोजना परियोजनाओं के लिए परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसायटी, विश्व विद्यालयों को सहायता, साह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लीयर फिजिक्स, इन्स्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स एवं इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च को सहायता अनुदान के सम्बन्ध में व्यय की पूर्ति के लिए। (c) For meeting expenditure towards Grants-in-aid to Saha Institute of Nuclear Physics, Institute of Physics, Institute for Plasma Research, Assistance to Universities and Atomic Energy Education Society for plan projects.
- (घ) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, राजा रमन्ना सेन्टर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, वेरिग्वल एनर्जी सायक्लोट्रॉन सेन्टर, खरीद एवं स्टोर निदेशालय, सामान्य सेवा संगठन, निर्माण निदेशालय, सेवा और संपदा प्रबंधन, खोज एवं अनुसंधान के लिए परमाणु खनिज निदेशालय और परमाणु (d) For meeting additional expenditure on minor works, supplies and materials, etc. for Bhabha Atomic Research Centre, Indira Gandhi Centre for Atomic Research, Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Variable Energy Cyclotron Centre, Directorate of Purchase and Stores, General Services

ऊर्जा विनियामक बोर्ड के लघु निर्माण कार्य, आपूर्ति और सामग्री आदि, अन्तर राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को अंशदान के लिए सहायता अनुसंधान के सम्बन्ध में व्यय की पूर्ति हेतु।

Organisation, Directorate of Construction, Services and Estate Management, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research and Atomic Energy Regulatory Board, Contributions to International Atomic Energy Agency and R&D Projects.

(ड) (i) यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड में इक्विटी सहायता (40.00 करोड़ रुपए) और (ii) बोर्ड ऑफ रेडिएशन एण्ड आइसोटोप टेक्नोलॉजी द्वारा परियोजना के लिए व्यय (1.90 करोड़ रुपए)।

(e) For (i) equity assistance in Uranium Corporation of India Limited (Rs. 40.00 crore); and (ii) expenditure for the project by Board of Radiation and Isotope Technology (Rs. 1.90 crore).

(च) गुरु जल कारखानों के लिए कोयला आपूर्ति एवं सामग्री, लघु निर्माण कार्य, रसायन, परामर्श शुल्क इत्यादि के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।

(f) For meeting additional expenditure for coal, supplies and materials, minor works, chemicals, consultancy charges, etc. for the Heavy Water Plants.

(छ) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, राजा रमन्ना सेन्टर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी बेरिएबल एनर्जी सायक्लोट्रॉन सेन्टर, परमाणु खनिज खोज एवं अनुसंधान निदेशालय के आयोजना परियोजना के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।

(g) For meeting additional expenditure for the plan project of Bhabha Atomic Research Centre, Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Variable Energy Cyclotron Centre and Atomic Minerals Directorate for Exploration Research.

(ज) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र और निर्माण निदेशालय, सेवा ओर संपदा प्रबंधन की अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के तहत व्यय की पूर्ति हेतु।

(h) For meeting expenditure under Research and Development activities of Bhabha Atomic Research Centre and Directorate of Construction and Services and Estate Management.

इसमें नगद व्यय होगा।

This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 5

न्यूक्लीयर विद्युत योजनाएं

NUCLEAR POWER SCHEMES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 5 देखिए)।

(See page 5 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान	I. ORIGINAL GRANT				
स्वीकृत	Voted:	2363.90	1412.12	3776.02	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	55.67	302.28	357.95	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	2419.57	1714.40	4133.97	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2801-विद्युत	2801-Power	Voted:	55.67(का)	...	55.67
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी भाग	4801-Capital Outlay on Power Projects	Voted:	254.90(खब)	...	254.90
6801-विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	6801-Loans for Power Projects	Voted:	47.38(गक)	...	47.38
जोड़ पूंजी भाग	Total Capital Section	Voted:	302.28	...	302.28
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	357.95	...	357.95

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित के लिए है:

- (क) कुडनकुलम न्यूक्लीयर विद्युत परियोजना के लिए न्यूक्लीयर ईंधन संबंधी अतिरिक्त व्यय (97.00 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग 41.33 करोड़ रुपए की बचतें उपलब्ध हैं और 25.67 करोड़ रुपए की पूर्ति वर्धित प्रप्तियों द्वारा की गई है, अतः इसमें 30.00 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।
- (ख) निम्नलिखित पर अतिरिक्त व्यय (i) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड में इक्विटी निवेश (249.70 करोड़ रुपए); तथा (ii) अतिरिक्त व्ययित ईंधन भंडारण सुविधा के लिए डीएई परियोजनाएं (5.20 करोड़ रुपए)। इसमें नकद व्यय होगा।
- (ग) कुडनकुलम न्यूक्लीयर विद्युत परियोजना के लिए रूसी ऋण के पास थ्रू के एवज में ऋण। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for:

- (a) Additional expenditure on Nuclear Fuel for Kudankulam Nuclear Power Project (Rs. 97.00 crore). As savings of Rs. 41.33 crore are available within the same section of the Grant and Rs. 25.67 crore is matched by enhanced receipts, this will entail cash outgo of Rs. 30.00 crore.
- (b) Additional expenditure on (i) equity investment in Bharatiya Nabhikiya Vidyut Nigam Limited (Rs. 249.70 crore); and (ii) DAE Projects for Additional Spent Fuel Storage Facility (Rs. 5.20 crore). This will entail net cash outgo.
- (c) Loan against pass through of Russian Credit for Kudankulam Nuclear Power Project. This will entail net cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.6

रसायन और पेट्रोसायन विभाग

DEPARTMENT OF CHEMICALS & PETROCHEMICALS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 6 देखिए)।

(See page 6 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूँजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	220.36	55.25	275.61	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	166.07	...	166.07	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	386.43	55.25	441.68	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2852-उद्योग	2852-Industries				
स्वीकृत	Voted:	166.07	...	166.07	

यह पूरक अनुदान असम गैस परियोजना हेतु, पूँजी सब्सिडी के लिए
अपेक्षित है। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required towards capital subsidy
for Assam Gas Project. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 7

उर्वरक विभाग

DEPARTMENT OF FERTILISERS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 7 देखिए)।

(See page 7 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010)

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	53604.46	196.04	53800.50	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	3000.00	...	3000.00	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	56604.46	196.04	56800.50	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2401-फसल कार्य	स्वीकृत 2401-Crop Husbandry	Voted: ...	1500.00 (क)	1500.00	
2852-उद्योग	स्वीकृत 2852-Industries	Voted: ...	1500.00 (ख)	1500.00	
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत Total (Supplementary)	Voted: ...	3000.00	3000.00	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है:

The supplementary grant is required for the following purposes:

(क) आयातित विनियंत्रित उर्वरकों पर सब्सिडी (1500.00 करोड़ रुपए); तथा (a) subsidy on imported decontrolled fertilizers (Rs. 1500.00 crore);

(ख) स्वदेशी यूरिया पर सब्सिडी (2300.00 करोड़ रुपए)।

(b) subsidy on indigenous urea (Rs. 2300.00 crore).

अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत उपलब्ध 800.00 करोड़ रुपए की बचत को ध्यान में रखते हुए, इसमें 3000.00 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा।

Taking into account savings of Rs. 800.00 crore available within the same Section of the Grant, this will entail a net cash outgo of Rs. 3000.00 crore.

मांग संख्या DEMAND NO.9
नागर विमानन मंत्रालय
MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 9 देखिए)।

(See page 9 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूँजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	731.09	155.95	887.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	281.00	800.00	1081.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			
स्वीकृत	Voted:	1012.09	955.95	1968.04

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3053-नागर विमानन	3053-Civil Aviation	Voted:	...	281.00(का) 281.00
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5053-नागर विमानन पर पूँजी परिव्यय	5053-Capital Outlay on Civil Aviation	Voted:	800.00(खb) ...	800.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		800.00 281.00	1081.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-

- (क) एयर इंडिया को हज ऑपरेशनों (वर्ष 2007 और 2008) की बकाया राशि के भुगतान हेतु तथा वर्ष 2006 से 2008 की अवधि के लिए हज चार्टरों से सम्बद्ध देय सेवा कर की बकाया राशि के भुगतान हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।
- (ख) भारतीय राष्ट्रीय विमानन कम्पनी लिमिटेड (एनएसीआईएल) में इक्विटी को शामिल करने हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for following purpose:-

- (a) Payment to Air India towards arrears of Haj Operations (2007 and 2008) and for payment of arrears of Service Tax due for the period 2006 to 2008 relating to Haj Charters. This will entail cash outgo.
- (b) For equity infusion in National Aviation Company of India Limited (NACIL). This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 11

वाणिज्यिक विभाग
DEPARTMENT OF COMMERCE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 11 देखिए)।

(See page 11 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010)

			(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	0.50	...	0.50
	स्वीकृत	Voted:	3047.84	612.22	3660.06
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित	Charged:	2.05	...	2.05
	स्वीकृत	Voted:	160.58	...	160.58
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		3210.97	612.22	3823.19
	भारित	Charged:	2.55	...	2.55
	स्वीकृत	Voted:	3208.42	612.22	3820.64

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2057-आपूर्ति और निपटान	भारित	2057-Supplies and Disposals	Charged:	...	2.05 (का)	2.05
	स्वीकृत		Voted:	...	0.01 (खb)	0.01
2407-पौधरोपण	स्वीकृत	2407-Plantations	Voted:	0.01 (गc)	...	0.01
3451-सचिवालय-आर्थिक		3451-Secretariat-Economic				
सेवाएं	स्वीकृत	Services	Voted:	...	0.01 (घd)	0.01
3453-विदेश व्यापार और निर्यात		3453-Foreign Trade and				
संवर्धन	स्वीकृत	Export Promotion	Voted:	1.00 (ङe)	159.55 (चf)	160.55
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)		1.01	161.62	162.63
	भारित		Charged:	...	2.05	2.05
	स्वीकृत		Voted:	1.01	159.57	160.58

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित के लिए मांगा गया है:

The supplementary grant/appropriation is sought:

- (क) न्यायालय की डिक्रियों से होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा। (a) For meeting additional expenditure arising out of Court decrees. This will entail cash outgo.
- (ख) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (9.55 करोड़ रुपए); तथा (ii) कैंटीन स्टाफ का अन्य प्रशासनिक व्यय (0.45 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं; अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है। (b) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs. 9.55 crore); and (ii) Other Administrative Expenses of Canteen Staff (Rs. 0.45 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (ग) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर चाय बोर्ड (2.00 करोड़ रुपए); कॉफी बोर्ड (2.00 करोड़ रुपए); रबड़ बोर्ड (3.00 करोड़ रुपए); और मसाला बोर्ड (2.00 करोड़ रुपए) को वेतन और पेंशन संबंधी सहायता अनुदान के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं; अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है। (c) For meeting additional expenditure of grants-in-aid on account of Salaries and Pensions to the Tea Board (Rs. 2.00 crore); Coffee Board (Rs. 2.00 crore); Rubber Board (Rs. 3.00 crore); and Spices Board (Rs. 2.00 crore) on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government. As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (घ) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय (2.00 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक मांगा गया है।
- (ङ) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर अपीडा (0.50 करोड़ रुपए) और एमपीडा (0.50 करोड़ रुपए) को वेतन और पेंशन संबंधी अतिरिक्त सहायता अनुदान हेतु। चूंकि अनुदान के पूंजी भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, अतः इसमें नकद व्यय नहीं होगा।
- (च) (i) निर्यातकों को रुपया निर्यात क्रेडिट संबंधी अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों को 2 प्रतिशत ब्याज सहायता प्रदान करने हेतु (200.00 करोड़ रुपए); (ii) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (18.47 करोड़ रुपए); (iii) कैंटीन स्टाफ के अन्य प्रशासनिक व्यय हेतु (0.10 करोड़ रुपए); तथा (iv) अपीडा के कार्यान्वयन के कुछ भाग का जीवन तारा भवन में स्थानांतरण और रखरखाव हेतु (0.50 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग में 59.52 करोड़ रुपए की बचतें उपलब्ध हैं, अतः 159.55 करोड़ रुपए की नकद व्यय होगा।
- (d) For meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs. 2.00 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (e) For additional grants-in-aid on account of Salaries and Pensions assistance to APEDA (Rs. 0.50 crore) and MPEDA (Rs. 0.50 crore) on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government. As matching savings are available in the Capital Section of the Grant, this will not entail cash outgo.
- (f) (i) For providing 2% Interest subvention to Scheduled Commercial Banks in respect of rupee export credit to exporters (Rs. 200.00 crore); (ii) meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs. 18.47 crore); (iii) Other Administrative Expenses of Canteen Staff (Rs. 0.10 crore); and (iv) shifting and maintenance of APEDA's part office to Jeevan Tara Building (Rs. 0.50 crore). As savings of Rs. 59.52 crore are available within the same section of the Grant, this will entail cash outgo of Rs. 159.55 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 12

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 12 देखिए)।

(See page 12 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:
	स्वीकृत	Voted:	1131.03	55.00	1186.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1131.04	55.00	1186.04	
	भारित	Charged:
	स्वीकृत	Voted:	1131.04	55.00	1186.04

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852-उद्योग	2852-Industries			
	स्वीकृत	Voted:	...	0.01
			0.01	0.01

यह पूरक अनुदान राष्ट्रीय सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री परिषद को छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण वेतन और भत्तों की बकाया राशि संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु 4.50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु मांगा गया है। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is sought for providing additional grants-in-aid of Rs.4.50 crore to National Council for Cement and Building Material for meeting expenditure on account of arrears of pay and allowances due to implementation of the recommendations of 6th Central Pay Commission. This will not entail cash outgo as savings are available in the same section of the Grant.

मांग संख्या DEMAND NO.13

डाक विभाग
DEPARTMENT OF POSTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 13 देखिए)।

(See page 13 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
भारित	Charged:	0.10	...	0.10
स्वीकृत	Voted:	12090.10	388.80	12478.90
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
भारित	Charged:	4.03	0.10	4.13
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	12094.23	388.90	12483.13
भारित	Charged:	4.13	0.10	4.23
स्वीकृत	Voted:	12090.10	388.80	12478.90

II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3201-डाक सेवाएं	3201-Postal Services			
भारित	Charged:	...	4.03 (का)	4.03
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5201-डाक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	5201-Capital Outlay on Postal Services			
भारित	Charged:	0.10 (ख)	...	0.10
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	0.10	4.03	4.13

इस पूरक विनियोग की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनार्थ है:

The supplementary appropriation is required for the following purposes:

(क) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण अर्नाकुलम बेंच द्वारा दिए गए लाभ-विस्तार निर्णय की वजह से मजदूरी की बकाया राशि के भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (4.03 करोड़ रुपए)।

(a) For meeting additional expenditure towards payment of arrears of wages arising out of extension of the benefit of the judgement awarded by Central Administrative Tribunal, Ernakulam Bench (Rs.4.03 crore).

(ख) 'स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण' (0.04 करोड़ रुपए) तथा 'डाकघरों के निर्माण' (0.06 करोड़ रुपए) की गतिविधियों के अन्तर्गत कोर्ट डिक्रियों के कारण भुगतान की पूर्ति हेतु।

(b) For meeting payment arising out of court decrees under the activities - 'Construction of Staff Quarters' (Rs.0.04 crore) and 'Construction of Post Offices' (Rs.0.06 crore).

चूंकि समतुल्य बचतें अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध हैं, अतः इसमें कोई नगद व्यय नहीं होगा।

As equivalent savings are available within the voted section of the grant, this will not entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.14

दूरसंचार विभाग DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 14 देखिए)।

(See page 14 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:
	स्वीकृत	Voted:	10150.00	104.00	10254.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	249.24	171.75	420.99
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	10399.24	275.75	10674.99	
	भारित	Charged:
	स्वीकृत	Voted:	10399.24	275.75	10674.99

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2071-पेंशन तथा अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ	2071-Pensions and Other Retirement benefits				
स्वीकृत	Voted:	...	249.24 (का)	249.24	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5275-अन्य दूरसंचार सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	5275-Capital Outlay on Other Telecommunication Services				
स्वीकृत	Voted:	150.75 (खब)	...	150.75	
4552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas				
स्वीकृत	Voted:	21.00 (गक)	...	21.00	
जोड़ पूंजी भाग	Total Capital Section	Voted:	...	171.75	
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	249.24	420.99	

इन पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनार्थ हैं:

The supplementary grant is required for the following purposes:

(क) पेंशन के संबंध में भुगतान हेतु 420.99 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु। चूंकि अनुदान के राजस्व भाग में 171.75 करोड़ रुपए की बचत उपलब्ध है, इसलिए शेष 249.24 करोड़ रुपए की राशि हेतु पूरक मांगा गया है।

(a) To meet the additional requirement of Rs.420.99 crore towards payment of pensions. As saving of Rs.171.75 crore is available in the revenue section of the grant, supplementary for the balance amount of Rs.249.24 crore is sought;

(ख) और (ग) रक्षा सेवाओं के नेटवर्क पर आधारित ऑप्टिकल फाइबर केबिल (ओएफसी) की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु (171.75 करोड़ रुपए)।

(b) & (c) To meet the additional requirement for Optical Fibre Cable (OFC) based Network for Defence Services (Rs.171.75 crore).

उपर्युक्त पूरक में 420.99 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।

The above supplementary will entail cash outgo of Rs.420.99 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 17

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 17 देखिए)।

(See page 17 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
भारित	Charged:	0.94	...	0.94
स्वीकृत	Voted:	54023.78	749.55	54773.33
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
भारित	Charged:
स्वीकृत	Voted:	3660.82	150.00	3810.82
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	57685.54	899.55	58585.09
भारित	Charged:	0.94	...	0.94
स्वीकृत	Voted:	57684.60	899.55	58584.15

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2408-खाद्य, भंडारण और भंडागारण	2408-Food, Storage and Warehousing	Voted:	0.01 (का)	3660.81 (खb)
जोड़ (राजस्व)	Total Revenue Section	Voted:	0.01	3660.81
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण	6860-Loans for Consumer Industries	Voted:	...	150.00 (गc)
जोड़ (पूंजी)	Total Capital Section	Voted:	...	150.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	0.01	3810.81

टिप्पणी: उपर्युक्त अनुमानों में निम्नलिखित वसूलियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates do not include the recoveries, which are adjusted in reduction of expenditure.

पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण	6860-Loans for Consumer Industries	Voted:	...	351.83

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant is sought for the following purposes:

- (क) भंडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण को सहायता हेतु सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (1.50 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (ख) (i) न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधी बोनस के भुगतान के कारण भारतीय खाद्य निगम को देय सब्सिडियां (1600 करोड़ रुपए)।

- (a) For providing Grants-in-Aid (Rs. 1.50 crore) for Assistance to Warehousing Development and Regulatory Authority. As savings are available within the same Section, a token supplementary is sought.
- (b) (i) Subsidies payable to Food Corporation of India on account of payment of bonus on minimum support price (Rs. 1600 crore).

(ii) खाद्यान्नों की विकेन्द्रीकृत खरीद पर राज्य सरकारों को सब्सिडी (2000.00 करोड़ रुपए)।

(iii) केन्द्रक बैंकों के ब्याज सहायता दावों के कारण चीनी विकास निधि से अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (201.83 करोड़ रुपए)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध 141.02 करोड़ रुपए की बचतों को ध्यान में रखने तथा 201.83 करोड़ रुपए के व्यय की प्रतिपूर्ति चीनी विकास निधि से प्राप्त वसूलियों द्वारा करने के पश्चात् इस पूरक अनुदान में 3458.98 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा

(ग) निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त ऋण (i) चीनी मिलों के पुनर्वास/आधुनिकीकरण हेतु (25.00 करोड़ रुपए) तथा चीनी मिलों को गन्ना विकास के लिए (125.00 करोड़ रुपए)। चूंकि 150.00 करोड़ रुपए के व्यय की प्रतिपूर्ति चीनी विकास निधि से प्राप्त वसूलियों द्वारा की जाएगी, अतः इस पूरक अनुदान में नकद व्यय नहीं होगा।

(ii) Subsidy to State Governments on decentralized procurement of food grains (Rs. 2000.00 crore).

(iii) For meeting additional expenditure from Sugar Development Fund on account of interest subvention claims of the Nodal banks (Rs. 201.83 crore).

After taking into account savings of Rs. 141.02 crore available in the same Section of the Grant and the expenditure of Rs. 201.83 crore matched by recoveries from the Sugar Development Fund, the supplementary will entail cash outgo of Rs. 3458.98 crore.

(c) Additional loans (i) For Rehabilitation/Modernisation of Sugar Mills (Rs. 25.00 crore) and (ii) For Cane Development to Sugar Mills (Rs. 125.00 crore). As the expenditure of Rs. 150.00 crore will be matched by recoveries from the Sugar Development Fund, the supplementary will not entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.18

कारपोरेट कार्य मंत्रालय
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 18 देखिए)।

(See page 18 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
भारित	Charged:	
स्वीकृत	Voted:	189.62	40.00	229.62	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	9.43	1.00	10.43	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	199.05	41.00	240.05	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ	3451-Secretariat-Economic Services				
स्वीकृत	Voted:	...	9.43 (का)	9.43	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	5475-Capital Outlay on other General Economic Services				
स्वीकृत	Voted:	1.00 (खब)	...	1.00	
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	1.00	9.43	10.43	

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनार्थ अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु है:

- (क) कारपोरेट कार्य मंत्रालय तथा इसके फील्ड कार्यालयों के आधुनिकीकरण, कम्प्यूटरीकरण तथा नेटवर्किंग के सम्बन्ध में परियोजना प्रचालन लागत तथा वचनबद्ध व्यय के भुगतान हेतु (9.43 करोड़ रुपए)। इसमें नकद व्यय होगा।
- (ख) नई दिल्ली तथा इलाहाबाद में मरम्मत कार्य, चंडीगढ़ प्लॉट हेतु जमीन किराया तथा हैदराबाद में निर्माण कार्य के लिए भुगतान (1.00 करोड़ रुपए), चूंकि अनुदान के राजस्व भाग में बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is required for meeting additional expenditure for the following purposes:

- (a) For payment of project operational cost and committed expenditure in respect of Modernisation, Computerisation and Networking of Ministry of Corporate Affairs and its field offices (Rs.9.43 crore). This will entail a cash outgo.
- (b) For payment of renovation work in New Delhi and Allahabad, ground rent for Chandigarh plot and construction work at Hyderabad (Rs.1.00 crore). As savings are available in the Revenue Section of the Grant, this will not entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.19

संस्कृति मंत्रालय
MINISTRY OF CULTURE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 19 देखिए)।

(See page 19 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	1239.90	36.10	1276.00	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	0.02	9.00	9.02	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	1239.92	45.10	1285.02	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2205-कला एवं संस्कृति	2205-Art and Culture				
स्वीकृत	Voted:	0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02	
जोड़ राजस्व भाग	Total Revenue Section	Voted:	0.01	0.01	0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4202-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	4202-Capital Outlay on Education Sports, Art and Culture				
स्वीकृत	Voted:	9.00 (गc)	...	9.00	
जोड़ पूंजी भाग	Total Capital Section	Voted:	9.00	...	9.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	9.01	0.01	9.02

ये पूरक अनुदान निम्नलिखित के लिए मांगे गए हैं:

- (क) (i) सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र को निम्नलिखित के लिए सहायता अनुदान (1) हैदराबाद और उदयपुर में इसके क्षेत्रीय केन्द्रों की चालू भवन निर्माण परियोजनाओं के लिए (3.00 करोड़ रुपए); तथा (2) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन/पेंशन लाभों संबंधी अतिरिक्त व्यय (1.30 करोड़ रुपए)।
- (ii) वेतन अनुदान और उत्पादन अनुदान में वृद्धि के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु नृत्य, नाटक और नाट्यशाला के नर्तकवृंद को सहायता हेतु सहायता अनुदान (10.00 करोड़ रुपए)।
- (iii) शताब्दी उत्सव और वार्षिकोत्सव समारोह योजना के तहत रविन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती समारोह के लिए सहायता अनुदान (1.00 करोड़ रुपए)।
- (iv) राष्ट्रीय स्मारकों का रखरखाव योजना के तहत अहमदाबाद के शाहीबाग में सरदार वल्लभभाई पटेल मेमोरियल संस्थान और गुजरात के कस्मसाद में सरदार पटेल ट्रस्ट के विकास हेतु सहायता अनुदान (10.00 करोड़ रुपए)।
- (v) भारतीय सांस्कृतिक परम्परा (आईसीएच) की यूनेस्को प्रतिनिधि सूची, आईसीएच की राष्ट्रीय सम्पत्ति-सूची तैयार करना,

The supplementary grants are sought for the following:

- (a) (i) Grants-in-aid to Centre for Cultural Resources and Training (1) for the ongoing Building Projects of its Regional Centres at Hyderabad and Udaipur (Rs.3.00 crore); and (2) additional expenditure on account of salaries/pensionary benefits on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (1.30 crore).
- (ii) Grants-in-aid for Assistance to Dance Drama and Theatre Ensembles to meet additonality due to enhancement of Salary Grant and Production Grant (Rs. 10.00 crore).
- (iii) Grants-in-aid for celebration of 150th birth anniversary of Rabindranath Tagore under the scheme Centenaries and Anniversaries Celebrations (Rs. 1.00 crore).
- (iv) Grants-in-aid for the development of Sardar Vallabhai Patel Memorial Institute at Shahibaugh, Ahmedabad and Sardar Patel Trust at Karamsad in Gujarat under the scheme Maintenance of National Memorials (Rs. 10.00 crore).
- (v) Grants-in-aid to Indira Gandhi National Centre for Arts for the project on preparation of Nomination dossiers

आईसीएच के सांस्कृतिक मानचित्र तैयार करना और श्रव्य/दृश्य अभिलेखागार संबंधी परियोजना के लिए नामांकन डोजियर तैयार करने हेतु इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र को सहायता अनुदान (2.00 करोड़ रुपए)।

- (vi) कलाक्षेत्र, चेन्नई को नाट्यशाला के उन्नयन और बेसेंट सांस्कृतिक केन्द्र छात्रावास, बेसेंट अरुण्डेल उच्च माध्यमिक स्कूल, बेसेंट थियोसोफिकल उच्च माध्यमिक स्कूल और दस्तकारी शिक्षा और अनुसंधान केन्द्र यूनिटों के विकास संबंधी चल रहे निर्माण कार्यों के व्यय की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (2.50 करोड़ रुपए)।
- (vii) सरोजिनी नगर पुस्तकालय की मरम्मत और पुनरुद्धार हेतु दिल्ली पब्लिक पुस्तकालय को सहायता अनुदान (2.00 करोड़ रुपए)।
- (viii) राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन को अंग्रेजी और हिन्दी की पुस्तकें खरीदने तथा विभिन्न राज्य सरकारों की माँग की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (3.50 करोड़ रुपए)।
- (ix) नेहरू तारामंडल के उन्नयन हेतु नेहरू मेमोरियल और पुस्तकालय को सहायता अनुदान (6.00 करोड़ रुपए)।

चूँकि अनुदान के राजस्व भाग में बचत उपलब्ध है, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

- (ख) निम्नलिखित संस्थाओं को सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन/पेंशन लाभों आदि संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान:

- (i) संगीत नाटक अकादमी (0.70 करोड़ रुपए)।
- (ii) साहित्य अकादमी (1.42 करोड़ रुपए)।
- (iii) ललित कला अकादमी (0.85 करोड़ रुपए)।
- (iv) नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (0.40 करोड़ रुपए)।
- (v) द एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता (1.27 करोड़ रुपए)।
- (vi) सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र (सीसीआरटी) (0.30 करोड़ रुपए)।
- (vii) नव नालंदा महावीर और ह्वेनसांग मेमोरियल हॉल (0.40 करोड़ रुपए)।
- (viii) कला क्षेत्र (0.60 करोड़ रुपए)।
- (ix) नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट (0.20 करोड़ रुपए)।
- (x) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी (1.00 करोड़ रुपए)।
- (xi) राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन (0.20 करोड़ रुपए)।
- (xii) खुदा बक्श ओरियन्टल पब्लिक लाइब्रेरी (0.55 करोड़ रुपए)।
- (xiii) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एसआई) (35.00 करोड़ रुपए)।
- (xiv) सांस्कृतिक संपदा के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, लखनऊ (0.54 करोड़ रुपए)।
- (xv) सालारजंग संग्रहालय (0.50 करोड़ रुपए)।
- (xvi) इलाहाबाद संग्रहालय (0.57 करोड़ रुपए)।
- (xvii) नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय (1.20 करोड़ रुपए)।
- (xviii) राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् (11.50 करोड़ रुपए)।
- (xix) भारत के मानवशास्त्र संबंधी सर्वेक्षण, कोलकाता (2.80 करोड़ रुपए)।

for UNESCO Representative List of Indian Cultural Heritage (ICH), setting up of a National inventory of ICH, preparation of Cultural Atlas of ICH and project on Audio/Video archives (Rs 2.00 crore).

- (vi) Grants-in-aid to Kalakshetra, Chennai to meet the expenditure on theatre upgradation and for the ongoing works of development of Besant Cultural Centre Hostel, Besant Arundale Sr. Sec. School, Besant Theosophical Hr. Sec. School and Craft Education & Research Centre Units (Rs. 2.50 crore).
- (vii) Grants-in-aid to Delhi Public Library for repair and renovation of Sarojini Nagar Library (Rs. 2.00 crore).
- (viii) Grants-in-aid to Raja Ram Mohun Roy Library Foundation for purchase of English and Hindi Books and to meet the demand of various State Governments (Rs. 3.50 crore).
- (ix) Grants-in-aid to Nehru Memorial Museum and Library for upgradation of Nehru Planetarium (Rs.6.00 crore).

As saving is available within the Reveue section of the grant, token supplementary is sought.

- (b) Grants-in-aid to the following institutions to meet additional expenditure on account of salaries/pensionary benefits etc. on implementation of Sixth Central Pay Commission Recommendations as accepted by the Government:

- (i) Sangeet Natak Akademi (Rs. 0.70 crore).
- (ii) Sahitya Akademi (Rs. 1.42 crore).
- (iii) Lalit Kala Akademi (Rs. 0.85 crore).
- (iv) National School of Drama (Rs. 0.40 crore).
- (v) The Asiatic Society, Kolkata (Rs. 1.27 crore).
- (vi) Centre for Cultural Resources and Training (CCRT) (Rs. 0.30 crore).
- (vii) Nav Nalanda Mahavihara and Huen TSang Memorial Hall (Rs.0.40 crore).
- (viii) Kalakshetra (Rs. 0.60 crore).
- (ix) National Gallery of Modern Art (Rs. 0.20 crore).
- (x) Delhi Public Library (Rs. 1.00 crore).
- (xi) Raja Ram Mohun Roy Library Foundation (Rs.0.20 crore).
- (xii) Khuda Baksh Oriental Public Library (Rs.0.55 crore).
- (xiii) Archaeological Survey of India (ASI) (Rs.35.00 crore).
- (xiv) National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property Lucknow (Rs. 0.54 crore).
- (xv) Salarjung Museum (Rs. 0.50 crore).
- (xvi) Allahabad Museum (Rs. 0.57 crore).
- (xvii) Nehru Memorial Museum and Library (Rs. 1.20 crore).
- (xviii) National Council of Science Museums (Rs. 11.50 crore).
- (xix) Anthropological Survey of India, Kolkata (Rs. 2.80 crore).

चूँकि अनुदान के राजस्व भाग में बचत उपलब्ध है, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

- (ग) (i) भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए आईएनए में सामान्य पूल कार्यालय आवास भवन के डी ब्लॉक के निर्माण हेतु अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है (4.00 करोड़ रुपए)।
- (ii) भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार भवन, नई दिल्ली के एसी प्लांट को बदलवाने; तथा भारतीय अभिलेखागार (एनएआई) मुख्य भवन और उपभवन, नई दिल्ली में परिवर्धन और परिवर्तन; जयपुर और पुडुचेरी में रिकार्ड सेन्टर, और भोपाल में एनएआई के क्षेत्रीय कार्यालय के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है (0.33 करोड़ रुपए)।
- (iii) नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट (एनजीएमए), नई दिल्ली; और बेंगलोर की एनजीएमए शाखा के नए स्कंध को पूरा करने और उन्हें पूर्णतः चालू करने हेतु अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है (4.67 करोड़ रुपए)।

चूँकि अनुदान के राजस्व भाग से 9.00 करोड़ रुपए की राशि अभ्यर्पित की जाएगी, अतः कोई नकद व्यय नहीं होगा।

As saving is available within the Revenue section of the grant, token supplementary is sought.

- (c) (i) Additional funds are required for construction of D Block in the General Pool Office Accommodation Building at INA, New Delhi for Archaeological Survey of India (Rs. 4.00 crore).
- (ii) Additional funds are required for replacement of AC Plant of National Archives of India Building at New Delhi; and additions and alterations in National Archives of India (NAI) main building and Annexe at New Delhi; Record Centre at Jaipur and Puducherry; and NAI's Regional Office at Bhopal (Rs.0.33 crore).
- (iii) Additional funds are required for completion and making fully functional the new Wing of National Gallery of Modern Art (NGMA), New Delhi; and NGMA Branch at Bangalore (Rs. 4.67 crore).

As an amount of Rs.9.00 crore will be surrendered from Revenue Section of the Grant, there will be no cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 20

रक्षा मंत्रालय
MINISTRY OF DEFENCE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 20 देखिए)।

(See page 20 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010.)

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
भारित	Charged:	0.24	...	0.24	
स्वीकृत	Voted:	9895.93	1473.83	11369.76	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
भारित	Charged:	...	0.40	0.40	
स्वीकृत	Voted:	29.81	0.01	29.82	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	9925.98	1474.24	11400.22	
भारित	Charged:	0.24	0.40	0.64	
स्वीकृत	Voted:	9925.74	1473.84	11399.58	

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2052-सचिवालय-सामान्य	2052-Secretariat-General				
सेवाएं	Services	Voted:	...	17.67 (का)	17.67
2055-पुलिस	2055-Police	Voted:	...	12.14 (खब)	12.14
जोड़ (राजस्व भाग)	Total Revenue Section	Voted:	...	29.81	29.81
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	4047-Capital Outlay on Other Fiscal Services	Charged:	...	0.40 (गक)	0.40
भारित		Voted:	...	0.01 (घद)	0.01
स्वीकृत					
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)			30.22	30.22
भारित		Charged:	...	0.40	0.40
स्वीकृत		Voted:	...	29.82	29.82

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant/appropriation is sought for the following purposes:

(क) वेतन और संस्थापन व्यय पर अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु (17.67 करोड़ रुपए)।

(a) To meet additional requirements on account of salaries and establishment related expenditure (Rs. 17.67 crore).

(ख) "जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेन्ट्री" (जेएकेएलआई) के सम्बन्ध में फौज के लिए आयुध स्टोर्स की अधिप्राप्ति के लिए प्रचालन एवं अन्य व्यय की पूर्ति हेतु (12.14 करोड़ रुपए)।

(b) To meet the operational and other expenses for procurement of Ordnance stores for troops etc. in respect of Jammu & Kashmir Light Infantry (JAKLI)- (Rs. 12.14 crore).

चूंकि समतुल्य बचतें पूंजी भाग में उपलब्ध हैं, अतः उपर्युक्त प्रस्तावों में कोई नगद व्यय नहीं होगा।

As equivalent savings are available in the Capital section, the above proposals do not entail cash outgo.

(ग) उच्च न्यायालय, चैन्नई द्वारा दिए गए निर्देशों से उत्पन्न व्यय की पूर्ति के सम्बन्ध में (0.40 करोड़ रुपए)। चूंकि समतुल्य बचतें अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध हैं, अतः इसमें कोई नगद व्यय नहीं होगा।

(c) Towards meeting expenditure arising out of the directions given by High Court, Chennai (Rs. 0.40 crore). As equivalent savings are available in the voted section of the grant, this will not entail cash outgo.

(घ) तट रक्षा संगठन के लिए एअर क्राफ्ट अधिग्रहण के सम्बन्ध में (50 करोड़ रुपए)। चूंकि बचतें उसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

(d) Towards acquisition of Air Crafts for Coast Guards Organization (Rs. 50 crore). As savings are available within the same section, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.21

रक्षा पेंशन
DEFENCE PENSIONS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 21 देखिए)।

(See page 21 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010).

			(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	0.25	...	0.25
	स्वीकृत	Voted:	21789.75	...	21789.75
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	2210.00	...	2210.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		24000.00	...	24000.00
	भारित	Charged:	0.25	...	0.25
	स्वीकृत	Voted:	23999.75	...	23999.75

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071-Pensions and Other Retirement Benefits			
	स्वीकृत	Voted:	...	2210.00
			2210.00	2210.00

यह पूरक अनुदान सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप पेंशन, पारिवारिक पेंशन उपदान, पेंशन का रुपांतरित मूल्य, छुट्टी नकदीकरण की वर्धित आवश्यकता और बकाया राशि के 60 प्रतिशत भुगतान और वर्ष 2009-10 के दौरान सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु माँगा गया है। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for meeting additional expenditure on account of increased requirement in pension, family pension, gratuity, commuted value of pension, leave encashment and payment of 60% of arrears due to implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government and also due to increase in the number of fresh retirees during the year 2009-10. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.23

रक्षा सेवाएं - नौ सेना
DEFENCE SERVICES - NAVY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 23 देखिए)।

(See page 23 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
भारित	Charged:	1.73	...	1.73
स्वीकृत	Voted:	8402.38	...	8402.38
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
भारित	Charged:	2.50	...	2.50
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	8406.61	...	8406.61
भारित	Charged:	4.23	...	4.23
स्वीकृत	Voted:	8402.38	...	8402.38

II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2077-रक्षा सेवाएं - नौ सेना	भारित 2077-Defence Services - Navy Charged:	...	2.50	2.50

यह पूरक विनियोग केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय के कारण हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए अपेक्षित है। चूंकि समतुल्य बचतें अनुदान के स्वीकृत भाग के अंतर्गत उपलब्ध हैं, अतः इसमें कोई नगद व्यय नहीं होगा।

The supplementary appropriation is required to recoup the advance sanctioned from the Contingency Fund of India for meeting expenditure arising out of judgement awarded by Central Administrative Tribunal. As equivalent savings are available within the voted section of the grant, this will not entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.24

रक्षा सेवाएं - वायु सेना
DEFENCE SERVICES - AIR FORCE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 24 देखिए)।

(See page 24 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
भारित	Charged:	1.24	...	1.24
स्वीकृत	Voted:	14909.86	...	14909.86
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
भारित	Charged:	1.45	...	1.45
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	14912.55	...	14912.55
भारित	Charged:	2.69	...	2.69
स्वीकृत	Voted:	14909.86	...	14909.86

II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2078-रक्षा सेवाएं - वायु सेवा	2078- Defence Services-Air Force			
भारित	Charged:	...	1.45	1.45

यह पूरक विनियोग दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए न्यायालय आदेश की वजह से हुए व्यय की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए अपेक्षित हैं। चूंकि समतुल्य बचतें अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध हैं, अतः इसमें कोई नगद व्यय नहीं होगा।

The supplementary appropriation is required to recoup the advance sanctioned from the Contingency Fund of India for meeting expenditure arising out of court decree awarded by High Court of Delhi. As equivalent savings are available within the voted section of the grant, this will not entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 28

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 28 देखिए)।

(See page 28 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010.)

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	1331.97	290.30	1622.27	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	1331.98	290.30	1622.28	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	Voted:	0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान उस सोसाइटी के प्रारंभिक कार्यकलापों के लिए निधियां प्रदान करने के मांगा गया है, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र आजीविका परियोजना का कार्यान्वयन करेगी (4.50 करोड़ रुपए)।

The supplementary grant is sought for providing funds for the preparatory activities of the Society which will implement the NER Livelihood Project (Rs. 4.50 crore).

चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.29

पृथ्वी विज्ञान
MINISTRY OF EARTH SCIENCES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 29 देखिए)।

(See page 29 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
भारित	Charged:	0.15	...	0.15
स्वीकृत	Voted:	922.82	290.38	1213.20
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	0.04	0.01	0.05
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	923.01	290.39	1213.40
भारित	Charged:	0.15	...	0.15
स्वीकृत	Voted:	922.86	290.39	1213.25

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3403-समुद्र विज्ञान संबंधी		3403-Oceanographic				
अनुसंधान	स्वीकृत	Research	Voted:	0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02
3425-अन्य वैज्ञानिक		3425- Other Scientific				
अनुसंधान	स्वीकृत	Research	Voted:	...	0.01 (गc)	0.01
3455-मौसम विज्ञान	स्वीकृत	3455- Meteorology	Voted:	...	0.01 (घd)	0.01
जोड़ राजस्व भाग	स्वीकृत	Total Revenue Section	Voted:	0.01	0.03	0.04
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
5403-समुद्रविज्ञान संबंधी		5403- Capital Outlay on				
पर पूंजी परियव्यय	स्वीकृत	Oceanographic Research	Voted:	0.01 (ङe)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.02	0.03	0.05

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित के लिए माँगा गया है:

(क) (i) समुद्र से प्राप्त औषधि योजना संबंधी उपकरणों की अधिप्राप्ति (3.00 करोड़ रुपए) (ii) राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान, गोवा और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद द्वारा संयुक्त रूप से 'हिन्द महासागर में महासागर जीव भू-रसायन' कार्यकलाप का कार्यान्वयन (3.00 करोड़ रुपए); और (iii) समुद्री सजीव संसाधन और मत्स्यिकी समुद्र विज्ञान संबंधी अनुसंधान जलयान के लिए सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (0.35 करोड़ रुपए)।

(ख) समुद्री विज्ञान संबंधी अनुसंधान जलयान और समुद्री सजीव संसाधन योजनाओं के लिए संविदात्मक सेवाओं संबंधी भुगतान (1.11 करोड़ रुपए)।

(ग) भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे के लिए सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (3.00 करोड़ रुपए)।

The supplementary grant is sought for:

- (a) (i) procurement of equipments relating to scheme Drugs from Sea (Rs.3.00 Crore); (ii) implementation of an activity 'Ocean Biogeochemistry in the Indian Ocean' jointly by National Institute of Oceanography, Goa and Physical Research Laboratory, Ahmedabad (Rs.3.00 Crore); and (iii) meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government for Marine Living Resources and Fishery Oceanographic Research Vessel (Rs.0.35 Crore).
- (b) payments relating to contractual services for the schemes Oceanographic Research Vessel and Marine Living Resources (Rs.1.11 Crore).
- (c) meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government for Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune (Rs. 3.00 Crore).

- (घ) मौसम विज्ञान की विभिन्न योजनाओं के लिए सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (26.89 करोड़ रुपए)।
- (ङ) एकीकृत तटवर्तीय एवं समुद्री क्षेत्र प्रबंधन संबंधी 'पारितंत्र प्रतिरूपण' परियोजना के संबंध में मशीनरी एवं उपकरणों की अधिप्राप्ति (1.50 करोड़ रुपए)।

चूँकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरकों की मांग की गई है।

- (d) meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government for different schemes of Meteorology (Rs.26.89 Crore).
- (e) procurement of machinery and equipments relating to project 'Ecosystem Modelling' relating to scheme Integrated Coastal and Marine Area Management (Rs.1.50 Crore).

As savings are available within the same section of the Grant, token supplementaries are sought.

मांग संख्या DEMAND NO.30

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 30 देखिए)।

(See page 30 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	1.80	...	1.80
	स्वीकृत	Voted:	2090.70	36.50	2127.20
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	0.05	0.01	0.06
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	2092.55	36.51	2129.06
	भारित	Charged:	1.80	...	1.80
	स्वीकृत	Voted:	2090.75	36.51	2127.26

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ	स्वीकृत	3451-Secretariat-Economic Services	Voted:	...	0.01 (का)
2406-वानिकी एवं वन्य जीव	स्वीकृत	2406-Forestry and Wild Life	Voted:	0.01 (खब)	0.01 (गक)
3435-पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण	स्वीकृत	3435-Ecology and Environment	Voted:	0.01 (घद)	0.01 (ङे)
जोड़ राजस्व भाग		Total Revenue Section	0.02	0.03	0.05
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
5425-अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरण संबंधी अनुसंधान पर पूंजी परियोजना	स्वीकृत	5425-Capital Outlay on other Scientific and Environmental Research	Voted:	0.01 (चफ)	...
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.03	0.03
				0.03	0.06

इस पूरक अनुदान की मांग निम्नलिखित के लिए की गयी है:

The supplementary grant is sought for:

(क) सरकार द्वारा यथा-स्वीकृत छोटे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतनों के कारण अतिरिक्त व्यय (5.00 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।

(a) Meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs.5.00 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ख) प्रतिपूर्ति रूप में जापानी इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा निधि पोषित (ऋण संघटक) की जाने वाली 'वन प्रबन्ध क्षमता निर्माण तथा कार्मिक प्रशिक्षण' नामक नई विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना पर व्यय (0.30 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।

(b) Meeting expenditure on new Externally Aided Project 'Capacity Building for Forest Management and Training of Personnel' to be funded (loan component) by the Japanese International Cooperation Agency (JICA) in reimbursable mode (Rs.0.30 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (ग) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में वेतन के कारण पशुओं के कल्याण के सम्बन्ध में सहायता अनुदान के अतिरिक्त व्यय (0.55 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।
- (घ) अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (i) भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण हेतु नए वैज्ञानिक उपकरणों की खरीद प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण भण्डारण प्रणालियों आदि द्वारा ढांचागत सुविधाओं में वृद्धि करना (6.00 करोड़ रुपए); (ii) भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण हेतु नए वैज्ञानिक उपकरणों की खरीद प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण भण्डारण प्रणालियों आदि द्वारा ढांचागत सुविधाओं में वृद्धि करना (5.00 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।
- (ङ) अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (i) '2002 में आईयूसीएन, यूएनईपी तथा यूएनडीपी द्वारा स्थापित सतत विकास हेतु सहायक उद्यमों' की सदस्यता के लिए अन्तरराष्ट्रीय सहयोग (0.52 करोड़ रुपए) तथा 2005 से 2008 तक क्योटो प्रोटोकॉल के कोर बजट के सम्बन्ध में वार्षिक सदस्यता अंशदान (0.93 करोड़ रुपए); (ii) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन के कारण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सहायता अनुदान (4.14 करोड़ रुपए); और (iii) राज्यों (110.56 करोड़ रुपए) तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (17.60 करोड़ रुपए) को जल उपकर हिस्से की प्रतिपूर्ति; (iv) भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण को सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन के कारण सहायता अनुदान (6.00 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।
- (च) निम्नलिखित के लिए (i) शहरी विकास मंत्रालय के भूमि तथा विकास कार्यालय से सम्बद्ध भू-लागत के लिए भुगतान करने हेतु भारत की आकस्मिकता निधि से प्राप्त अग्रिम की प्रतिपूर्ति (0.49 करोड़ रुपए); और (ii) अलीगंज (जोरबाग), नई दिल्ली में स्थित भूमि पर कार्यालय निर्माण (1.51 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।
- (c) Meeting additional expenditure of Grants-in-aid for Welfare of Animals on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs.0.55 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) Meeting additional expenditure on (i) augmentation of infrastructure facilities in Botanical Survey of India for purchase of new scientific instruments, modernisation of laboratories, storage systems, etc. (Rs.6.00 crore); (ii) Zoological Survey of India for purchase of new scientific instruments, modernisation of laboratories, storage systems, etc. (Rs.5.00 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (e) Meeting additional expenditure on (i) International Cooperation for membership of 'Supporting Enterprises for Sustainable Development founded by IUCN, UNEP and UNDP in 2002' (Rs.0.52 crore) and Annual Membership contribution to core budget of Kyoto Protocol from 2005 to 2008 (Rs.0.93 crore); (ii) grants-in-aid to Central Pollution Control Board on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs.4.14 crore); and (iii) reimbursement of Water Cess share to States (Rs.110.56 crore) and to Central Pollution Control Board (Rs.17.60 crore); (iv) Grants-in-aid to Botanical Survey of India on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs.6.00 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (f) For (i) recoupment of an advance obtained from the Contingency Fund of India to make payment towards cost of land to the Land and Development Office of Ministry of Urban Development (Rs.0.49 crore); and (ii) construction of office building on the land at Aliganj (Jorbagh), New Delhi (Rs.1.51 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.31

विदेश मंत्रालय
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 31 देखिए)।

(See page 31 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
भारित	Charged:	0.03	...	0.03
स्वीकृत	Voted:	5767.97	525.00	6292.97
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	...	297.50	297.50
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	5768.00	822.50	6590.50
भारित	Charged:	0.03	...	0.03
स्वीकृत	Voted:	5767.97	822.50	6590.47

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
7605-विदेशी सरकारों को अग्रिम	7605-Advances to Foreign Governments			
स्वीकृत	Voted:	297.50	...	297.50

यह पूरक अनुदान विभिन्न पनबिजली परियोजनाएं (एचईपी) अर्थात् पुनटसंगछु-I और II एचईपी, मांगेच एचईपी आदि आरंभ करने हेतु भूटान सरकार को ऋण प्रदान करने हेतु अपेक्षित है।

The supplementary grant is required for extending loans to Government of Bhutan for undertaking various Hydro-Electric Projects (HEPs) viz. Punatsangchhu-I & II HEPs, Manghechu HEP, etc.

चूँकि अनुदान के राजस्व भाग (स्वीकृत) से समतुल्य बचतें अभ्यर्पित की जाएंगी. अतः इस पूरक अनुदान में कोई नकद व्यय नहीं होगा।

This supplementary does not entail any cash outgo, as equivalent savings will be surrendered from the Revenue (Voted) Section of the Grant.

मांग संख्या DEMAND NO. 32

आर्थिक कार्य विभाग

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 32 देखिए)।

(See page 32 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत		Voted:	5636.42	7763.65	13400.07
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत		Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			
स्वीकृत		Voted:	5636.43	7763.65	13400.08

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
3466-अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान	स्वीकृत	3466-International Financial Institutions	Voted:	...	0.01
				0.01	0.01

यह पूरक अनुदान विश्व बैंक द्वारा प्रशासित अफगानिस्तान पुनर्निर्माण न्यास निधि को अंशदान देने के लिए भुगतान (1.00 करोड़ रुपए) करने हेतु और पूंजी बाजार सुधार तथा पेंशन प्रशासन के लिए विश्व बैंक तकनीकी सहायता ऋण (3.00 करोड़ रुपए) उपलब्ध कराने के लिए अपेक्षित है। चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध है, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

The supplementary grant is required for making payment (Rs.1.00 crore) towards contribution to Afghanistan Reconstruction Trust Fund administered by the World Bank and providing World Bank Technical Assistance loan (Rs. 3.00 crore) for Capital Market Reforms and Pension Administration. As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 33

वित्तीय सेवा विभाग

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 33 देखिए)।

(See page 33 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	35446.52	2967.02	38413.54
पूरक अनुदान:		SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत	Voted:	400.02	1266.00	1666.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	35846.54	4233.02	40079.56

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	स्वीकृत	2235- Social Security and Welfare	Voted: ...	0.01 (का)	0.01
2416-कृषि वित्तीय संस्थान	स्वीकृत	2416- Agricultural Financial Institutions	Voted: ...	0.01 (खb)	0.01
2885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय	स्वीकृत	2885- Other Outlays on Industries and Minerals	Voted: ...	400.00 (गc)	400.00
जोड़ राजस्व भाग	स्वीकृत	Total Revenue Section	Voted: ...	400.02	400.02
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION			
5465-सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	स्वीकृत	5465- Investments in General Financial and Trading Institutions	Voted: ...	1266.00 (घd)	1266.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted: ...	1666.02	1666.02

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकता के उपर्युक्त अनुमानों में नीचे दिखाई गयी प्राप्तियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the receipts shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

पूंजी भाग		CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
5465-सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	स्वीकृत	5465- Investments in General Financial and Trading Institutions	Voted: ...	(-) 1266.00	(-) 1266.00
6885-अन्य उद्योगों तथा खनिजों पर ऋण	स्वीकृत	6885- Loans for other Industries and Minerals	Voted: ...	(-) 400.00	(-) 400.00

इस पूरक अनुदान की मांग निम्नलिखित प्रयोजनार्थ की गयी है:

The supplementary grant is sought for the following purposes:

(क) (i) समुदाय आधारित सार्वभौम स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कम्पनियों को सब्सिडी हेतु अतिरिक्त आवश्यकता (21.61 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु।

(a) (i) For meeting additional expenditure (Rs. 21.61 crore) towards subsidy to public sector general insurance companies for community based universal health insurance scheme.

(ii) वरिष्ठ नागरिक हेतु पेंशन योजना के लिए जीवन बीमा निगम को ब्याज सब्सिडी हेतु अतिरिक्त व्यय (98.82 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु।

(ii) For meeting additional expenditure (Rs. 98.82 crore) towards interest subsidy to Life Insurance Corporation (LIC) for pension plan for senior citizens.

चूंकि, अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

- (ख) (i) अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना के सुदृढीकरण हेतु पुनर्जीवन पैकेज के लिए सरकारी अंशदान के प्रति राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को सहायता अनुदान (800 करोड़ रुपए) के भुगतान हेतु।
- (ii) विकास सम्बन्धी लागत तथा प्रोत्साहन हस्तक्षेप की पूर्ति हेतु वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि को सरकारी अंशदान के लिए राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक को भुगतान हेतु (10 करोड़ रुपए)।
- (iii) विकास सम्बन्धी लागत तथा प्रोत्साहन हस्तक्षेप की पूर्ति हेतु वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि को सरकारी अंशदान के लिए राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक को भुगतान हेतु (10 करोड़ रुपए)।
- चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गयी है।
- (ग) भारग्रस्त परिसम्पत्ति स्थिरीकरण निधि को जारी प्रतिभूतियों के उन्मोचन हेतु व्यय (400 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु।
- भारग्रस्त परिसम्पत्ति स्थिरीकरण से समतुल्य वसूली को ध्यान में रखने के बाद, इसमें नकद व्यय नहीं होगा।
- (घ) सरकार को अतिरिक्त चुकता पूंजी के वापस लौटाने से भारतीय युनाइटेड बैंक की चुकता इक्विटी पूंजी की पुनर्संरचना हेतु और सरकार द्वारा बैंक की सदृश राशि को पूंजी प्रारक्षित निधि तथा चुकता पूंजी में साथ-साथ मिलाना। इसमें नकद व्यय नहीं होगा।
- (b) (i) For payment of grants-in-aid (Rs. 800 crore) to National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) towards Government's contribution for revival package for strengthening Short Term Cooperative Credit Structure (STCCS).
- (ii) For payment (Rs. 10 crore) to National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) towards Government's contribution for Financial Inclusion Fund (FIF) for meeting the cost of developmental and promotional intervention.
- (iii) For payment (Rs. 10 crore) to National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) towards Government's contribution for Financial Inclusion Technology Fund (FITF) for meeting the cost of developmental and promotional intervention.
- As savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) For meeting expenditure (Rs. 400 crore) towards redemption of securities issued to Stressed Assets Stabilisation Fund (SASF).
- After taking into account matching recovery from Stressed Assets Stabilisation Fund (SASF), this will not entail cash outgo.
- (d) For restructuring the paid up equity capital of United Bank of India by return of excess paid up capital to the Government and simultaneous infusion of similar amount by the Government to the capital reserve and paid up capital of the bank. This will not entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.35

राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण
TRANSFERS TO STATE AND UNION TERRITORY GOVERNMENTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 35 देखिए)।

(See page 35 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
भारित	Charged:	34394.08	6625.00	41019.08	
स्वीकृत	Voted:	69174.09	...	69174.09	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
भारित	Charged:	...	1400.00	1400.00	
स्वीकृत	Voted:	1200.02	...	1200.02	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	104768.19	8025.00	112793.19	
भारित	Charged:	34394.08	8025.00	42419.08	
स्वीकृत	Voted:	70374.11	...	70374.11	
II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:					
II. This Supplementary Appropriation/Grant will be accounted for under the following Major Heads:					
		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2245-प्राकृतिक आपदाओं हेतु राहत	2245-Relief on account of Natural Calamities	Voted:	...	1200.00 (का)	1200.00
3681-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	Voted:	0.01 (खब)	0.01 (गक)	0.02
जोड़ राजस्व भाग	Total Revenue Section	Voted:	0.01	1200.01	1200.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
7601-राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम	7601-Loans and Advances to State Governments	Charged:	1400.00 (घद)	...	1400.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		1400.01	1200.01	2600.02
भारित	Charged:	1400.00	...	1400.00	
स्वीकृत	Voted:	0.01	1200.01	1200.02	

यह पूरक विनियोग/अनुदान निम्नलिखित हेतु आवश्यक है:

- (क) राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एनसीसीएफ)। इसमें नगद व्यय होगा।
- (ख) 2005-06 की बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त हुई परिसंपत्तियों का दीर्घावधिक पुनर्निर्माण (179.64 करोड़ रुपए)। चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।
- (ग) अरुणाचल प्रदेश सरकार को सहायता अनुदान (100 करोड़ रुपए)। चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।
- (घ) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए)। इसमें कोई नगद व्यय नहीं होगा क्योंकि समतुल्य बचतें अनुदान के राजस्व (भारित) भाग से अभ्यर्पित की जाएंगी।

The supplementary appropriation/grant is required for :-

- (a) National Calamity Contingency Fund (NCCF). This will entail cash outgo.
- (b) Long Term reconstruction of assets damaged during 2005-06 Floods (Rs.179.64 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) Grants-in-aid to Government of Arunachal Pradesh (Rs.100 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) Additional Central Assistance (ACA) for Externally Aided Projects. It does not entail any cash outgo, as equivalent savings will be surrendered from the Revenue (Charged) Section of the Grant.

The supplementary grant is sought for making additional payment (Rs.5.74 crore) towards service charges to National Securities Depository Limited (NSDL) under the New Pension Scheme. After taking into account the savings available in the same section of the Grant, supplementary for the balance amount is sought. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 39

पेंशन

PENSIONS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 39 देखिए)।

(See page 39 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010.)

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान		I. ORIGINAL GRANT			
	भारित	Charged:	67.59	...	67.59
	स्वीकृत	Voted:	10899.08	...	10899.08
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	4533.33	...	4533.33
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	15500.00	...	15500.00
	भारित	Charged:	67.59	...	67.59
	स्वीकृत	Voted:	15432.41	...	15432.41

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	स्वीकृत	2071 - Pensions and Other Retirement benefits	Voted:	...	4533.33
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	...	4533.33

यह पूरक अनुदान सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग को सिफारिशों के कार्यन्वयन पर नीचे उल्लिखित पेंशन/ पारिवारिक पेंशन/ बकाया राशि और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु मांगा गया है;

- अधिवर्षिता (2070.00 करोड़ रुपए);
- परिवारिक पेंशन (818.33 करोड़ रुपए);
- पेंशन का परिवर्तित मूल्य (730.00 करोड़ रुपए);
- छुट्टी नकदीकरण (66.00 करोड़ रुपए);
- उपदान (590.00 करोड़ रुपए);
- अनुग्रह राशि (2.00 करोड़ रुपए);
- परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (नई पेंशन योजना) (157.00 करोड़ रुपए); तथा
- सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंगिंग कोरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एसपीएमसीआईएल) पेंशन निधि (100.00 करोड़ रुपए); इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for meeting additional expenditure on account of Pensions/Family Pensions/arrears and other Retirement Benefits mentioned below on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government:

- Superannuation (Rs.2070.00 crore);
- Family Pension (Rs.818.33 crore);
- Commuted Value of Pension-(Rs.730.00 crore);
- Leave Encashment- (Rs.66.00 crore);
- Gratuity (Rs.590.00 crore);
- Ex-Gratia (Rs.2.00 crore);
- Defined Contribution Pension Scheme (New Pension Scheme) (Rs. 157.00 crore); and
- Security Printing and Minting Corporation of India Ltd. (SPMCIL) Pension Fund (Rs.100.00 crore).

This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 41

राजस्व विभाग

DEPARTMENT OF REVENUE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 41 देखिए)।

(See page 41 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत	Voted:	9645.54	2.31	9647.85
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	9645.57	2.31	9647.88
	भारित	Charged:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत	Voted:	9645.55	2.31	9647.86

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत	2070-Other Administrative Services	Voted:	...	0.01
				0.01	0.01

यह पूरक अनुदान मादक द्रव्यों पर नियंत्रण रखने सम्बन्धी, गतिविधियों हेतु गैर सरकारी संगठनों (1.81 करोड़ रुपए) और अन्य संगठनों (0.19 करोड़ रुपए) को सहायता अनुदान जारी करने हेतु अपेक्षित है। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

The supplementary grant is required for releasing grants-in-aid to Non Governmental Organisations (Rs. 1.81 crore) and other organisations (Rs. 0.19 crore) towards undertaking activities for Control of Drug Abuse. As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.44

विनिवेश विभाग

DEPARTMENT OF DISINVESTMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 44 देखिए)।

(See page 44 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	18.78	2240.00	2258.78	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	...	3139.90	3139.90	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	18.78	5379.90	5398.68	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5467-एनआईएफ के निवेश पर पूंजी परिव्यय	5467-Capital Outlay on Investment of NIF				
स्वीकृत	Voted:	...	3139.90	3139.90	
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	...	3139.90	3139.90	

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता पहचान की गयी सामाजिक क्षेत्र योजनाओं के सम्बन्ध में व्यय के लिए राष्ट्रीय निवेश निधि का विनिवेश प्राप्तियों के अन्तरण हेतु है। इसमें नगद व्यय होगा। तथापि, ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियों के तौर पर समतुल्य राशि प्राप्त की गयी है।

The supplementary grant is required for transfer of disinvestment receipts to National Investment Fund for expenditure in respect of identified Social Sector Schemes. This will entail cash outgo. However, an equivalent amount has been received as Non-debt Capital receipts.

मांग संख्या DEMAND NO. 46

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 46 देखिए)।

(See page 46 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010)

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	21024.20	1700.75	22724.95	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	0.03	...	0.03	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	21024.23	1700.75	22724.98	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2210-चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health				
स्वीकृत	Voted:	0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02	
2211-परिवार कल्याण	2211-Family Welfare				
स्वीकृत	Voted:	...	0.01 (गc)	0.01	
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	0.01	0.02	0.03	

इन पूरक अनुदानों की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनार्थ है :

The supplementary grants are required for the following purposes:

(क) (i) स्वाइन फ्लू (एच1एन1) औषधि की प्राप्ति तथा स्वाइन फ्लू रोधी मीडिया अभियान की वर्धित लागत हेतु व्यय की पूर्ति हेतु (227.00 करोड़ रुपए)। भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम राशि स्वीकृत की गयी थी जिसकी प्रतिपूर्ति पूरक अनुदान के पारित होने के बाद की जाएगी।

(a) (i) To meet expenditure for procurement of drugs for Swine flu (H1N1) and increased cost of anti-Swine-flu media campaign (Rs. 227.00 crore). An advance was sanctioned from Contingency Fund of India which shall be recouped after supplementary grant is passed.

(ii) सरकार द्वारा यथा-स्वीकृत छोटे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु निम्नलिखित संस्थानों को सहायता अनुदान :

(ii) Grants-in-aid to the following Institutes for meeting additional expenditure on account of salary on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government :

1. बल्लभभाई पटेल चेस्ट संस्थान, दिल्ली (5.00 करोड़ रुपए);
2. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (143.51 करोड़ रुपए);
3. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तथा स्नायु विज्ञान संस्थान, बंगलौर (6.37 करोड़ रुपए);
4. अखिल भारतीय वाक् तथा श्रवण संस्थान, मैसूर (17.69 करोड़ रुपए);
5. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआर), चंडीगढ़ (53.00 करोड़ रुपए);
6. स्नातकोत्तर केन्द्र, जोआईपीएमईआर, पुडुचेरि (42.00 करोड़ रुपए);

1. Vallabhbhai Patel Chest Institute, Delhi (Rs. 5.00 crore);
2. All India Institute of Medical Sciences, New Delhi (Rs. 143.51 crore);
3. National Institute of Mental Health & Neurosciences, Bangalore (Rs. 6.37 crore);
4. All India Institute of Speech & Hearing, Mysore (Rs. 17.69 crore);
5. Post Graduate Institute of Medical Education & Research (PGIMER), Chandigarh (Rs. 53.00 crore);
6. Post Graduate Centre, JIPMER, Puducherry (Rs. 42.00 crore);

7. कस्तुरबा हेल्थ सोसाइटी, वर्धा चिकित्सा कालेज, सेवाग्राम (5.60 करोड़ रुपए);
8. भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण (22.00 करोड़ रुपए);
9. भारतीय पेस्टूर संस्थान, कुनुरा (5.85 करोड़ रुपए);
10. लाला राम स्वरूप यक्ष्मा तथा सम्बद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली (10.85 करोड़ रुपए);
11. राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली (0.35 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।

(ख) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे वेतन आयोग के कार्यान्वयन पर वेतन के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु निम्नालिखित संस्थानों को सहायता अनुदान :

1. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआर), चंडीगढ़ (10.00 करोड़ रुपए);
2. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तथा स्नायु विज्ञान संस्थान, बंगलौर (1.31 करोड़ रुपए);
3. लाला राम स्वरूप यक्ष्मा तथा सम्बद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली (1.41 करोड़ रुपए);
4. रीजनल स्नातकोत्तर केन्द्र, जेआईपीएमईआर, पुडुचेरि (20.00 करोड़ रुपए);
5. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (136.88 करोड़ रुपए);
6. अखिल भारतीय वाक् तथा श्रवण संस्थान, मैसूर (0.30 करोड़ रुपए);
7. राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली (0.19 करोड़ रुपए);
8. नई दिल्ली यक्ष्मा केन्द्र (0.48 करोड़ रुपए);
9. राष्ट्रीय चितरंजन कैंसर संस्थान, कोलकता (2.59 करोड़ रुपए);
10. भारतीय भेषज संग्रह आयोग (0.81 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।

(ग) (i) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु निम्नालिखित संस्थानों को सहायता अनुदान :

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली (0.97 करोड़ रुपए);
2. अन्तरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुम्बई (2.70 करोड़ रुपए)।

(ii) ओरल पोलियो वेक्सीन की प्राप्ति हेतु लम्बित देयता के निपटान के लिए (0.53 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।

7. Kasturba Health Society, Wardha for Medical College at Sewagram (Rs. 5.60 crore);
8. Food Safety and Standards Authority of India (Rs. 22.00 crore);
9. Pasteur Institute of India, Coonoor (Rs. 5.85 crore);
10. Lala Ram Swarup Institute of T.B. & Allied Diseases, New Delhi (Rs. 10.85 crore);
11. National Academy of Medical Sciences, New Delhi (Rs. 0.35 crore).

As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

(b) Grants-in-aid to the following Institutes for meeting additional expenditure on account of salary on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government :

1. Post Graduate Institute of Medical Education & Research (PGIMER), Chandigarh (Rs. 10.00 crore);
2. National Institute of Mental Health & Neurosciences, Bangalore (Rs. 1.31 crore);
3. Lala Ram Swarup Institute of T.B. & Allied Diseases, New Delhi (Rs. 1.41 crore);
4. Regional Post Graduate Centre, JIPMER, Puducherry (Rs. 20.00 crore);
5. All India Institute of Medical Sciences, New Delhi (Rs. 136.88 crore);
6. All India Institute of Speech & Hearing, Mysore (Rs. 0.30 crore);
7. National Academy of Medical Sciences, New Delhi (Rs. 0.19 crore);
8. New Delhi T.B. Centre (Rs. 0.48 crore);
9. Chittaranjan National Cancer Institute, Kolkata (Rs. 2.59 crore);
10. Indian Pharmacopoeia Commission (Rs. 0.81 crore).

As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

(c) (i) Grants-in-aid to the following Institutes for meeting additional expenditure on account of salary on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government :

1. National Institute of Helath & Family Welfare, New Delhi (Rs. 0.97 crore);
2. International Institute of Population Sciences, Mumbai (Rs. 2.70 crore).

(ii) To settle the pending liability for procurement of Oral Polio Vaccines (Rs. 0.53 crore).

As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 49

भारी उद्योग विभाग
DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 49 देखिए)।

(See page 49 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010)

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	275.56	536.44	812.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	0.01	0.01	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			
स्वीकृत	Voted:	275.57	536.45	812.02

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852-उद्योग	2852-Industries	Voted: ...	0.01 (का)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4858-इन्जीनियरिंग उद्योगों पर पूंजी परियोजना	4858-Capital Outlay on Engineering Industries	Voted: 0.01 (खब)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted: 0.01	0.01	0.02

इस पूरक अनुदान की मांग निम्नलिखित प्रयोजनार्थ हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant is required for the following purposes:

- (क) कम्पनी के बंद होने के कारण कर्मचारियों के वेतन और मजदूरी तथा सांविधिक देयों के भुगतान हेतु भारत यंत्र निगम लि. को सहायता अनुदान (2.52 करोड़ रुपए); भारत वैगन तथा इन्जीनियरिंग लि. को कम्पनी के अनुमोदित पुनर्संरचित आयोजना के भाग के रूप में कर्मचारियों के वेतन तथा मजदूरी और सांविधिक के भुगतान हेतु सहायता अनुदान (2.30 करोड़ रुपए)। इस पूरक अनुदान की मांग दिनांक 1.4.2009 से 31.3.2010 तक की अवधि हेतु राजकीय परिसमापक के वेतन भुगतान तथा प्रशासनिक व्यय हेतु राष्ट्रीय औद्योगिकी विकास निगम लि. (0.09 करोड़ रुपए) को सहायता अनुदान उपलब्ध कराने के लिए भी की गयी है। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।
- (ख) आवश्यक लेखांकन समायोजन अर्थात् इन्स्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड कोटा के सम्बन्ध में उसके अनुमोदित पुनर्संरचना आयोजना के भाग के रूप में भारत सरकार के ऋण (38.36 करोड़ रुपए) की 3.5 प्रतिशत तरजीही शेयर पूंजी में बदलने हेतु सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गयी है।
- (a) Grants-in-aid to Bharat Yantra Nigam Ltd. (Rs. 2.52 crore) for payment of salaries and wages and statutory dues of employees, due to closure of the Company; grants-in-aid to Bharat Wagon and Engineering Company Ltd. (Rs. 2.30 crore) for payment of salaries and wages and statutory dues of employees, as part of approved restructuring plan of the company. This supplementary grant is also sought for providing grants-in-aid to National Industrial Development Corporation Ltd. (Rs. 0.09 crore) for payment of salaries to the Official Liquidator and administrative expenses for the period 1.4.2009 to 31.3.2010. As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) A token supplementary is sought for carrying out necessary accounting adjustments viz. conversion of Government of India loan (Rs. 38.36 crore) into 3.5% preference share capital in respect of Instrumentation Limited, Kota, as part of approved restructuring plan of the company.

मांग संख्या DEMAND NO. 51

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 51 देखिए)।

(See page 51 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010)

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व	पूंजी	जोड़	
		Revenue	Capital	Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
भारित	Charged:	0.20	...	0.20	
स्वीकृत	Voted:	1488.34	125.86	1614.20	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
भारित	Charged:	0.39	...	0.39	
स्वीकृत	Voted:	195.83	...	195.83	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1684.76	125.86	1810.62	
भारित	Charged:	0.59	...	0.59	
स्वीकृत	Voted:	1684.17	125.86	1810.03	

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
		Plan	Non-Plan	Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat General Services	Voted:	...	0.01 (का)	0.01
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070-Other Administrative Services	Charged:	...	0.39 (खब)	0.39
		Voted:	...	120.82 (गं)	120.82
3454-जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी	3454-Census Surveys and Statistics	Voted:	...	75.00 (घद)	75.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	196.22	196.22	
भारित	Charged:	...	0.39	0.39	
स्वीकृत	Voted:	...	195.83	195.83	

इस पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant/appropriation is required for :

(क) गृह मंत्रालय के विभागीय लेखा संगठन पर व्यय की पूर्ति (9.46 करोड़ रुपए) (a) meeting expenditure on Departmental Accounting Organisation of Ministry of Home Affairs (Rs.9.46 crore)

चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ख) (i) आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विवाचन प्रभार का भुगतान (0.21 करोड़ रुपए) (b) (i) Payment of arbitration charges as awarded by Andhra Pradesh High Court (Rs.0.21 crore):

(ii) सिटी सिविल कोर्ट, हैदराबाद द्वारा दिए गए विवाचन प्रभार का भुगतान (0.14 करोड़ रुपए) और

(ii) payment of arbitration charges as awarded by City Civil Court, Hyderabad (Rs.0.14 crore): and

(iii) पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली द्वारा दिए गए विवाचन प्रभार का भुगतान (0.04 करोड़ रुपए);

(iii) payment of arbitration charges as awarded by Patiala House Court, New Delhi (Rs.0.04 crore):

इसमें नगद व्यय होगा।

This will entail cash outgo.

(ग) इंटेलेजेंस ब्यूरो (185.00 करोड़ रुपए), ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन (16.04 करोड़ रुपए), जोनल काउंसिल (0.07 करोड़ रुपए), अन्तर राज्य (c) meeting establishment related expenditure of Intelligence Bureau (Rs.185.00 crore), Bureau of Immigration (Rs.16.04

सचिवालय परिषद (0.12 करोड़ रुपए), डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल डिफेंस (0.43 करोड़ रुपए), नेशनल सिविल डिफेंस कॉलेज (0.34 करोड़ रुपए) तथा राजभाषा विभाग (5.37 करोड़ रुपए) के संस्थापना सम्बन्धी व्यय की पूर्ति।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध 86.55 करोड़ रुपए की बचतों को ध्यान में रखने के बाद, इसमें 120.82 करोड़ रुपए का निवल नगद व्यय होगा।

(घ) 2011 की जनगणना के संचालन के लिए संस्थापना और अन्य सम्बद्ध व्यय की पूर्ति (138.00 करोड़ रुपए)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध 63.80 करोड़ रुपए की बचत को ध्यान में रखने के बाद इसमें 75.00 करोड़ रुपए का निवल नगद व्यय होगी।

crore), Zonal Council (Rs.0.07 crore), Inter State Council Secretariat (Rs.0.12 crore), Director General of Civil Defence (Rs.0.43 crore), National Civil Defence College (Rs.0.34 crore) and Department of Official Language (Rs.5.37 crore).

Taking into account savings of Rs.86.55 crore available within the same Section of the Grant, this will entail a net cash outgo of Rs.120.82 crore.

(d) meeting establishment and other related expenditure for conducting Census 2011 (Rs.138.00 crore).

Taking into account savings of Rs.63.00 crore available within the same Section of the Grant, this will entail a net cash outgo of Rs.75.00 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 53

पुलिस
POLICE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 53 देखिए)।

(See page 53 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010)

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित		Charged:	3.78	7.05
	स्वीकृत		Voted:	26502.26	7521.77
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			10.83
	भारित		Charged:	...	0.70
	स्वीकृत		Voted:	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	26506.06	7529.54	34035.60
	भारित		Charged:	3.78	7.75
	स्वीकृत		Voted:	26502.28	7521.79
					11.53
					34024.07

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2055-पुलिस	स्वीकृत	2055- Police	Voted:	...	0.01 (का)
3602-संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत	3602- Grants-in-aid to Union Territory Governments	Voted:	0.01 (खb)	...
जोड़ राजस्व भाग	स्वीकृत	Total Revenue Section	Voted:	0.01	0.01
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
4055-पुलिस पर पूंजी परिव्यय	भारित	4055- Capital Outlay on Police	Charged:	...	0.70 (गc)
	स्वीकृत		Voted:	0.01 (घd)	0.01 (ङe)
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.02	0.72
	भारित		Charged:	...	0.70
	स्वीकृत		Voted:	0.02	0.02
					0.04

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनार्थ है:

The supplementary grant is required for the following purposes:

(क) (i) घरेलू यात्रा व्यय (74.11 करोड़ रुपए), राशन लागत (221.77 करोड़ रुपए) और कपड़ा तथा टेंट व्यवस्था (63.48 करोड़ रुपए) के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।

(a) (i) meeting additional expenditure on Domestic Travel Expenses (Rs. 74.11 crore), Cost of Ration (Rs. 221.77 crore) and Clothing & Tentage (Rs. 63.48 crore).

(ii) केन्द्रीय अर्द्ध सैन्य बलों के विभागीय लेखांकन संगठन से सम्बद्ध व्यय की पूर्ति हेतु (26.51 करोड़ रुपए)।

(ii) meeting expenditure on Departmental Accounting Organisation of Central Para Military Forces (Rs. 26.51 crore).

(iii) अन्तरराष्ट्रीय द्विपक्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम पर व्यय की पूर्ति हेतु (0.70 करोड़ रुपए)।

(iii) meeting expenditure on International Bilateral Training Programme (Rs. 0.70 crore).

(iv) केन्द्रीय अर्द्ध सैन्य बलों के कार्मिकों के रिश्तेदारों के सम्बन्ध में अनुग्रह क्षतिपूर्ति का भुगतान (30.00 करोड़ रुपए)।

(iv) payment of ex-gratia compensation to the Next of Kins (NoKs) of Central Para Military Forces personnel (Rs. 30.00 crore).

(v) राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड से सम्बद्ध व्यय की पूर्ति हेतु (1.47 करोड़ रुपए)।

(v) meeting expenditure on National Intelligence Grid (NATGRID) (Rs. 1.47 crore).

चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।	As savings are available within same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख) राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए एमटीएनएल को बैंडविड्थ प्रभारों का भुगतान (30.00 करोड़ रुपए)।	(b) payment of Bandwidth charges to MTNL for Commonwealth Games, 2010 (Rs. 30.00 crore).
चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।	As savings are available within same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग) भारत-पाक सीमा कार्यों के अन्तर्गत विवाचन अवॉर्ड्स का भुगतान।	(c) payment of Arbitration Awards under Indo-Pak Border Works.
चूंकि अनुदान के पूंजी स्वीकृत भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, अतः इसमें कोई नगद व्यय नहीं होगा।	As an equivalent amount will be surrendered from the Capital Voted Section of the Grant, there will be no cash outgo.
(घ) पुलिस हाउसिंग पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (23.62 करोड़ रुपए)।	(d) meeting additional expenditure on Police Housing (Rs. 23.62 crore).
चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।	As savings are available within same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ङ) (i) दिल्ली पुलिस की सी-4-1 सीसीटीवी परियोजना पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति।	(e) (i) meeting additional expenditure on C-4-1 CCTV project of Delhi Police (Rs. 37.25 crore).
(ii) राष्ट्रीय इंटेलीजेंस ग्रिड (नेटग्रिड) पर व्यय की पूर्ति (0.03 करोड़ रुपए)।	(ii) meeting expenditure on National Intelligence Grid (NATGRID) (Rs. 0.03 crore).
(iii) केन्द्रीय अर्द्ध सैन्य बलों के कार्यालय भवन के लिए भूमि अधिग्रहण पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (163.54 करोड़ रुपए)।	(iii) meeting additional expenditure on acquisition of land for Office Building of Central Para Military Forces (Rs. 163.54 crore).
(iv) असम राइफलस के आवासीय भवन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (18.00 करोड़ रुपए)	(iv) meeting additional expenditure on Residential Building of Assam Rifles (Rs. 18.00 crore).
चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक मांगा गया है।	As savings are available within same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 54

गृह मंत्रालय के अन्य व्यय

OTHER EXPENDITURE OF THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 54 देखिए)।

(See page 54 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
भारित	Charged:	0.02	...	0.02
स्वीकृत	Voted:	1353.54	63.79	1417.33
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	7.92	48.00	55.92
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1361.48	111.79	1473.27
भारित	Charged:	0.02	...	0.02
स्वीकृत	Voted:	1361.46	111.79	1473.25

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
2245-प्राकृतिक आपदा राहत		स्वीकृत	2245-Relief on account of Natural Calamities	Voted:	...	7.91 (का)	7.91
2250-अन्य सामाजिक सेवाएं		स्वीकृत	2250-Other Social Services	Voted:	0.01 (खb)	...	0.01
जोड़ राजस्व भाग		स्वीकृत	Total Revenue Section	Voted :	0.01	7.91	7.92
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD					
4235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजी परिव्यय		स्वीकृत	4235-Capital Outlay on Social Security and Welfare	Voted:	...	48.00 (गc)	48.00
जोड़ (पूरक)		स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.01	55.91	55.92

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित है :

- (क) (i) राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के स्थापना संबंधी व्यय की पूर्ति (33.12 करोड़ रुपए)।
- (ii) जीओआई-यूएनडीपी आपदा जोखिम न्यूनकरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन (5.00 करोड़ रुपए)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध 30.21 करोड़ रुपए की बचत को ध्यान में रखने के बाद, इसमें 7.91 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा।

- (ख) लेफ्ट विंग अतिवादी प्रभावित राज्यों में मीडिया प्लान पर व्यय की पूर्ति (7.00 करोड़ रुपए)।

चूंकि बचतें अनुदान के उसी भाग के अंतर्गत उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

- (ग) रेपको बैंक में शेयर पूंजी पर व्यय की पूर्ति।

चूंकि अनुदान के राजस्व स्वीकृत भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is sought for the following purposes :

- (a) (i) meeting establishment related expenditure of National Disaster Response Force (Rs.33.12 crore).
- (ii) implementation of GOI-UNDP Disaster Risk Reduction Programme (Rs.5.00 crore).

Taking into account savings of Rs.30.21 crore available within the same Section of the Grant, this will entail a net cash outgo of Rs.7.91 crore.

- (b) meeting expenditure on Media Plan in Left Wing Extremism affected States (Rs.7.00 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (c) meeting expenditure on share capital in the Repco Bank.

As an equivalent amount will be surrendered from the Revenue Voted Section of the Grant, there will be no cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.55

संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण

TRANSFERS TO UNION TERRITORY GOVERNMENTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 55 देखिए)।

(See page 55 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	3407.87	72.00	3479.87	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	105.68	...	105.68	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	3513.55	72.00	3585.55	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602- Grants-in-aid to Union Territory Governments			
स्वीकृत	Voted:	0.01 (का)	105.67 (खb)	105.68
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	0.01	105.67	105.68

इस पूरक अनुदान आवश्यकता निम्नलिखित पर अतिरिक्त व्यय के लिए है:

The supplementary grant is required for meeting additional expenditure on:

(क) राष्ट्रमंडल खेल 2010, दिल्ली के लिए (1000.00 करोड़ रुपए)।

(a) Commonwealth Games 2010, for Delhi (Rs.1000.00 crore).

चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

As matching savings are available within same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ख) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के कारण संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी का वेतन। इसमें नकद व्यय होगा।

(b) Salaries for UT of Puducherry on account of implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 57

स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग

DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 57 देखिए)।

(See page 57 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010.)

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान	I. ORIGINAL GRANT				
स्वीकृत	Voted:	41319.58	750.00	42069.58	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	41319.59	750.00	42069.59	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2202-सामान्य शिक्षा	स्वीकृत 2202-General Education	Voted: ...	0.01	0.01	
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत Total (Supplementary)	Voted: ...	0.01	0.01	

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा गया है;
सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग को सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन/बकाया राशि संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु निम्नलिखित संस्थानों को सहायता अनुदान:

- (i) राष्ट्रीय बाल भवन (0.87 करोड़ रुपए).
- (ii) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (272.61 करोड़ रुपए).
- (iii) नवोदय विद्यालय (34.91 करोड़ रुपए).
- (iv) तिब्बती स्कूल सोसाइटी (2.33 करोड़ रुपए).

चूंकि अनुदान के राजस्व भाग में बचतें उपलब्ध हैं; अतः कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The Supplementary Grant is required for the following purposes:
Grants-in-aid to the following institutions for meeting additional expenditure on account of salaries/arrears on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government:

- (i) National Bal Bhavan (Rs.0.87 crore).
- (ii) Kendriya Vidyalaya Sangathan (272.61 crore).
- (iii) Navodaya Vidyalayas (34.91 crore).
- (iv) Tibetan School Society (2.33 crore).

As savings are available within the Revenue Section of the grant, there will be no cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.58

उच्च शिक्षा विभाग
DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 58 देखिए)।

(See page 58 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	15429.00	...	15429.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	87.12	100.00	187.12
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			
स्वीकृत	Voted:	15516.12	100.00	15616.12

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
			Plan	Non-Plan	Total	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2202-सामान्य		2202- General				
शिक्षा	स्वीकृत	Education	Voted:	87.08 (का)	0.01 (खb)	87.09
2203-तकनीकी		2203- Technical				
शिक्षा	स्वीकृत	Education	Voted:	...	0.01 (गc)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र		2552- North Eastern Areas				
	स्वीकृत		Voted:	0.01 (घd)	0.01 (ङe)	0.02
जोड़ राजस्व भाग		Total Revenue Section	Voted:	87.09	0.03	87.12
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
6202-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति हेतु ऋण		6202- Loans for Education, Sports, Art and Culture				
	स्वीकृत		Voted:	100.00 (चf)	...	100.00
जोड़ पूंजी भाग		Total Capital Section	Voted:	100.00	...	100.00
जोड़ (परक)		Total (Supplementary)	Voted:	187.09	0.03	187.12

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकता के उपरोक्त अनुमानों में नीचे दर्शाई गई वसूलियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2202-सामान्य		2202- General				
शिक्षा	स्वीकृत	Education	Voted:	87.08	...	87.08

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा गया है:

The supplementary grant is required for the following purposes:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(क) (i) दिल्ली विश्वविद्यालय (33.75 करोड़ रुपए), मैसूर विश्वविद्यालय (33.33 करोड़ रुपए) और पंजाब विश्वविद्यालय (20.00 करोड़ रुपए) को सहायता अनुदान। चूंकि व्यय की पूर्ति भारत के लोक लेखे की 'सामाजिक एवं अवसंरचना निधि' से की जाएगी, अतः कोई नकद व्यय नहीं होगा।</p> <p>(ii) डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल कॉलेज, दिल्ली को निधियों के अंतरण हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को (2.00 करोड़ रुपए)।</p> | <p>(a) (i) Grants-in-aid to University of Delhi (Rs. 33.75 crore), University of Mysore (Rs. 33.33 crore) and University of Punjab (Rs. 20.00 crore). As the expenditure will be met from the 'Social and Infrastructure Development Fund' placed in the Public Account of India, there will be no cash outgo.</p> <p>(ii) University Grants Commission for Transfer of funds to Dr. Zakir Hussain Memorial College, Delhi (Rs. 2.00 crore)</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

चूँकि अनुदान के उसी भाग में समतुल्य बचत उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

- (iii) निम्नलिखित पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग को सहायता अनुदान (सीएसटीटी) (1) क्षेत्रीय भाषाओं में विकास और प्रकाशन संबंधी प्रौद्योगिकी (0.60 करोड़ रुपए); (2) गैर-हिन्दी भाषी राज्यों में सीएसटीटी के प्रकाशन संबंधी कार्यकलापों के लिए (0.20 करोड़ रुपए)।

चूँकि अनुदान के इसी भाग में समतुल्य बचत उपलब्ध है अतः सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

- (ख) (1) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर वेतनों/बकाया राशियों के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु निम्नलिखित संस्थाओं को सहायता अनुदान:

- (i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (134.64 करोड़ रुपए)।
- (ii) केन्द्रीय विश्वविद्यालय (363.85 करोड़ रुपए)।
- (iii) भारतीय विज्ञान अनुसंधान परिषद् (3.05 करोड़ रुपए)।
- (iv) ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना (0.20 करोड़ रुपए)।
- (v) भारतीय दर्शनशास्त्र अनुसंधान परिषद् (0.60 करोड़ रुपए)।
- (vi) हिन्दी शिक्षण मंडल आगरा (2.33 करोड़ रुपए)।
- (vii) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (3.68 करोड़ रुपए)।
- (viii) ऑरोविले प्रबंधन (0.09 करोड़ रुपए)।
- (ix) राष्ट्रीय शिक्षा नियोजन एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (2.36 करोड़ रुपए)।

- (2) डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल कॉलेज, दिल्ली को निधियाँ प्रदान करने हेतु अनुदान आयोग विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान (0.55 करोड़ रुपए)।
- (3) संपत्ति कर के भुगतान हेतु केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को सहायता अनुदान (29.13 करोड़ रुपए)।
- (4) मानदेय, पेंशन और आकस्मिकता अनुदान आदि के भुगतान हेतु राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर योजना के तहत सहायता अनुदान (0.70 करोड़ रुपए)।
- (5) भारत में संयुक्त राज्य शिक्षा फाउंडेशन को कर की प्रतिपूर्ति के लिए आयकर और सीमा शुल्क की वापसी योजना के तहत सहायता अनुदान (0.44 करोड़ रुपए)।
- (6) विदेशी सरकार/संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्तियों में से विदेश जा रहे भारतीय विद्यार्थी योजना के तहत यू.के. के लिए छात्रवृत्ति पर किए जाने वाले व्यय के कारण सहायता अनुसंधान (0.19 करोड़ रुपए)।
- (7) विश्व पुस्तक मेला के आयोजन के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट/इंस्टीट्यूट ऑन बुक प्रमोशन योजना के तहत सहायता अनुदान (3.19 करोड़ रुपए)।

चूँकि अनुदान के इसी भाग में समतुल्य बचत उपलब्ध है, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

- (ग) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर वेतनों/बकाया राशियों के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु निम्नलिखित संस्थाओं को सहायता अनुदान:

- (i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (30.69 करोड़ रुपए)।
- (ii) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर (6.28 करोड़ रुपए)।
- (iii) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर (1.34 करोड़ रुपए)।
- (iv) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी (3.43 करोड़ रुपए)।

As matching saving is available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (iii) Grants in aid to Commission for Scientific & Technical Terminology (CSTT) for meeting additional expenditure on (1) evolving and publishing technology in regional languages (Rs.0.60 crore); (2) for publishing activities of CSTT in Non- Hindi speaking States (Rs.0.20 crore).

As matching saving is available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (b) (1) Grants-in-aid to the following institutions for meeting additional expenditure on account of salaries/arrears on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government:

- (i) University Grants Commission (Rs. 134.64 crore)
- (ii) Central Universities (Rs.363.85 crore)
- (iii) Indian Council of Social Science Research (Rs. 3.05 crore)
- (iv) Establishment of Rural Universities (Rs.0.20 crore)
- (v) Indian Council of Philosophical Research (Rs.0.60 crore)
- (vi) Hindi Shikshan Mandal Agra (Rs.2.33 crore)
- (vii) Rashtriya Sanskrit Sansthan (Rs.3.68 crore)
- (viii) Auroville Management (Rs.0.09 crore)
- (ix) National University of Education Planning & Administration (Rs.2.36 crore).

- (2) Grants-in-aid to University Grants Commission for providing funds to Dr. Zakir Hussain Memorial College, Delhi (Rs.0.55 crore)
- (3) Grants-in-aid to Central Universities for payment of property tax (Rs. 29.13 crore)
- (4) Grants-in-aid under the scheme National Research Professors for payment of honorarium, pension and contingency grant etc. (Rs. 0.70 crore).
- (5) Grants-in-aid under the scheme Refund of Income Tax and Customs Duty to United States Education Foundation in India for reimbursement of Tax (Rs. 0.44 crore)
- (6) Grants-in-aid under the scheme Indian Scholars going abroad against scholarships offered by Foreign Govt./ Organizations on account of expenditure to be incurred on Scholarship for U.K. (Rs.0.19 crore)
- (7) Grants-in-aid under the scheme of National Book Trust/ Institutions for Book Promotion for organizing World Book Fair (Rs.3.19 crore)

As matching saving is available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (c) Grants-in-aid to the following institutions for meeting additional expenditure on account of salaries/arrears on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government:

- (i) Indian Institutes of Technology (Rs.30.69 crore)
- (ii) Indian Institute of Science, Bangalore (Rs.6.28 crore)
- (iii) Indian Institute of Information Technology and Management, Gwalior (Rs.1.34 crore)
- (iv) National Institute for Foundry and Forge Technology (Rs. 3.43 crore)

<p>(v) स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, दिल्ली (6.96 करोड़ रुपए)।</p> <p>(vi) संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलोजी (10.03 करोड़ रुपए)।</p> <p>(vii) बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, बम्बई, कोलकाता, कानपुर और चेन्नई (0.50 करोड़ रुपए)।</p>		<p>(v) School of Planning and Architecture, Delhi (Rs.6.96 crore)</p> <p>(vi) Sant Longowal Institute of Engineering & Technology (Rs.10.03 crore)</p> <p>(vii) Board of Apprenticeship Training, Bombay, Kolkata, Kanpur & Chennai (Rs.0.50 crore)</p>
<p>चूँकि अनुदान के इसी भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।</p>		<p>As matching saving is available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>
<p>(घ) भवन निर्माण संबंधी कार्यकलापों के लिए केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझाड़ को सहायता अनुदान (14.00 करोड़ रुपए)।</p>		<p>(d) Grants-in-aid to Central Institute of Technology, Kokrajhar for construction activities (Rs.14.00 crore).</p>
<p>चूँकि अनुदान के इसी भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।</p>		<p>As matching savings is available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.</p>
<p>(ङ) सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन पर वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, इटानगर को सहायता अनुदान (7.00 करोड़ रुपए)। चूँकि अनुदान के इसी भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।</p>		<p>(e) Grants-in-aid to North Eastern Regional Institute of Science and Technology, Itanagar for meeting additional expenditure on account of Salaries on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendation as accepted by Government (Rs.7.00 crore). As matching saving is available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>
<p>(च) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास अनुसंधान पार्क को ऋण (100.00 करोड़ रुपए)।</p>		<p>(f) Loan to Indian Institute of Technology, Madras Research Park (Rs.100.00 crore).</p>
<p>चूँकि अनुदान के राजस्व भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, अतः कोई नकद व्यय नहीं होगा।</p>		<p>As equal amount will be surrendered from the Revenue section of the grant, there will be no cash outgo.</p>

मांग संख्या DEMAND NO. 59

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 59 देखिए)।

(See page 59 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-10).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	0.03	...	0.03
	स्वीकृत	Voted:	2120.03	448.01	2568.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	2120.07	448.01	2568.08
	भारित	Charged:	0.03	...	0.03
	स्वीकृत	Voted:	2120.04	448.01	2568.05

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2220-सूचना और प्रचार	स्वीकृत	2220-Information and Publicity	Voted:	0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान फिल्म निर्माण के लिए गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान (1 करोड़ रुपए) प्रदान करने के लिए अपेक्षित है। चूंकि अनुदान के राजस्व भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

The Supplementary Grant is required to provide grants-in-aid to the Non-Government Organisations for production of documentary films (Rs. 1 crore). As savings are available in the revenue section of the grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 60

श्रम और रोजगार मंत्रालय

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 60 देखिए)।

(See page 60 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान	I. ORIGINAL GRANT				
	भारित	Charged:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत	Voted:	2702.64	760.23	3462.87
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2702.67	760.23	3462.90	
	भारित	Charged:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत	Voted:	2702.65	760.23	3462.88

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2230-श्रम एवं रोजगार	स्वीकृत	2230-Labour and Employment	Voted:	0.01	...	0.01

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता कार्यालय व्यय, घरेलू यात्रा व्यय तथा श्रम और रोजगार सांख्यिकीय प्रणाली की व्यावसायिक सेवाओं के तहत रोजगार और बेरोजगारों के सर्वेक्षण संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु है (10.39 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के राजस्व भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is required for meeting additional expenditure towards survey of employment and unemployment for Office Expenses, Domestic Travel Expenses and Professional Services of Labour and Employment Statistical System (Rs.10.39 crore).

As savings are available within the Revenue Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.61

चुनाव आयोग
ELECTION COMMISSION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 61 देखिए)।

(See page 61 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	21.00	...	21.00	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	5.59	...	5.59	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	26.59	...	26.59	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2015-चुनाव	2015-Elections				
स्वीकृत	Voted:	...	5.59	5.59	

यह पूरक अनुदान वेतन, चिकित्सा उपचार, यात्रा व्यय, अधिवक्ताओं को शुल्क, चुनावों में ड्यूटी पर नियोजित पर्यवेक्षकों को मानदेय जारी करने सहित कार्यालय व्यय के सम्बन्ध में संस्थापना व्यय के अतिरिक्त खर्च (6.26 करोड़ रुपए) को पूरा करने हेतु अपेक्षित है।

6.26 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति आंशिक तौर पर अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध 0.67 करोड़ रुपए की बचत द्वारा की जाएगी। 5.59 करोड़ रुपए की शेष राशि का निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for meeting additional expenditure on establishment in respect of salaries, medical treatment, travel expenses, fees to advocates, office expenses including release of honorarium to observers deployed on duty in elections (Rs.6.26 crore).

Additionality of Rs.6.26 crore will be partly met by savings of Rs.0.67 crore available in the same section of the Grant. The balance amount of Rs.5.59 crore will entail a net cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 62

विधि एवं न्याय

LAW AND JUSTICE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 62 देखिए)।

(See page 62 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान	I. ORIGINAL GRANT			
	भारित	Charged:
	स्वीकृत	Voted:	1637.11	40.89
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			1678.00
	स्वीकृत	Voted:	0.01	...
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			0.01
	स्वीकृत	Voted:	1637.12	40.89
				1678.01

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2014-न्याय प्रशासन	2014- Administration of Justice			
	स्वीकृत	Voted:	0.01	...
				0.01

यह पूरक अनुदान "ग्राम न्यायालयों को स्थापना और संचालन हेतु राज्य सरकारों को सहायता" संबंधी अतिरिक्त व्यय (10.00 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु अपेक्षित है।

चूंकि अनुदान के राजस्व भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांग गया है।

The supplementary grant is required for meeting additional expenditure on "Assistance to State Governments for establishing and operating Gram Nyayalayas" (Rs. 10.00 core).

As savings are available within the Revenue Section of the Grant, a token supplementary is sought.

संख्या NO. 63 (विनियोग) (APPROPRIATION)

भारत का उच्चतम न्यायालय
SUPREME COURT OF INDIA

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 63 देखिए)।

(See page 63 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	88.02	...	88.02
	स्वीकृत	Voted:
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित	Charged:	10.81	...	10.81
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
	भारित	Charged:	98.83	...	98.83

II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2014-न्याय प्रशासन	2014-Administration of Justice			
	भारित	Charged:	...	10.81
			10.81	10.81

यह पूरक विनियोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है:

- (i) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन के कारण (7.59 करोड़ रुपए)।
- (ii) सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस की सेवाएँ प्राप्त करने हेतु और उच्चतम न्यायालय भवन में तोड़ फोड़ रोधी उपकरण, सीसीटीवी और अन्य सुरक्षा संबंधी उपकरण प्रदान करने हेतु (3.22 करोड़ रुपए)।

इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary appropriation is required for meeting additional expenditure for the following purposes:

- (i) On account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs. 7.59 crore).
- (ii) For availing the services of Delhi Police for security and for providing of Anti Sabotage equipments, CCTV and other security related equipments in the Supreme Court Building (Rs. 3.22 crore).

This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 64

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 64 देखिए)।

(See page 64 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	2023.02	10.43	2033.45	
इस समय आवश्यक रकम	Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान	the amount now required:	Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	Voted:	2023.04	10.43	2033.47

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
		Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2851-ग्रामीण और लघु	2851- Village and Small			
उद्योग	Industries	Voted:		
स्वीकृत		0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनार्थ है :

The supplementary grant is required for the following purposes:

- (क) अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (i) बॉर कोडिंग प्राप्त करने हेतु विपणन विकास सहायता कार्यक्रम योजना और लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेले में भागीदारी हेतु सब्सिडी (1.50 करोड़ रुपए), (ii) ऋण सम्बद्ध पूंजी सब्सिडी योजना हेतु अनुसूचित जाति उप-आयोजना (6.70 करोड़ रुपए) और आदिवासी उप-आयोजना (1.32 करोड़ रुपए) सहित प्रौद्योगिकी सहायता संस्थान तथा कार्यक्रम की गुणवत्ता (55.41 करोड़ रुपए); (iii) डाटाबेस का उन्नयन (1.60 करोड़ रुपए) (iv) उद्योग संघ द्वारा परीक्षण केन्द्रों हेतु वचनबद्धता के प्रति प्रेरक सेवा संस्थानों और कार्यक्रम (1.41 करोड़ रुपए) और छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण बकाया वेतन के भुगतान हेतु, तथा (v) निष्पादन तथा क्रेडिट रेटिंग योजना से सम्बद्ध व्यय की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को अतिरिक्त सहायता अनुदान (20.40 करोड़ रुपए)।

- (a) For meeting the additional expenditure on (i) subsidies (Rs. 1.50 crore) for the scheme Marketing Development Assistance Programme for obtaining bar coding and for participation in the International Trade Fair by the Small and Medium Enterprises; (ii) Quality of Technology Support Institution & Programme (Rs. 55.41 crore) including Scheduled Caste Sub-Plan (Rs. 6.70 crore) and Tribal Sub-Plan (Rs. 1.32 crore) for Credit Linked Capital Subsidy Scheme; (iii) Updation of Database (Rs.1.60 crore); (iv) Promotional Services Institutions and Programmes (Rs. 1.41 crore) towards commitment for testing centres by Industry Association and for payment of arrears of salaries on account of implementation of sixth Central Pay Commission recommendations; and (v) additional grants-in-aid (Rs. 20.40 crore) to National Small Industries Corporation for meeting the expenditure on Performance and Credit Ratings scheme.

चूंकि, अनुदान के राजस्व भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।

As savings are available within the Revenue Section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (ख) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण बकाया वेतनों तथा पेंशन के भुगतान हेतु खादी तथा ग्रामीण उद्योग आयोग (63.24 करोड़ रुपए) तथा नारियल जटा बोर्ड (2.86 करोड़ रुपए) को अन्य प्रशासनिक खर्च पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।

- (b) For meeting additional expenditure on Other Administrative Expenses of Khadi & Village Industries Commission (Rs. 63.24 crore) and Coir Board (Rs. 2.86 crore) for payment of arrears of salaries and pensions on account of implementation of sixth Central Pay Commission recommendations.

चूंकि अनुदान के राजस्व भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।

As savings are available within the Revenue Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 65

खान मंत्रालय
MINISTRY OF MINES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 65 देखिए)।

(See page 65 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	0.14	...	0.14
	स्वीकृत	Voted:	551.46	38.40	589.86
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	21.13	...	21.13
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	572.73	38.40	611.13	
	भारित	Charged:	0.14	...	0.14
	स्वीकृत	Voted:	572.59	38.40	610.99

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2853-अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	स्वीकृत	2853-Non-ferrous Mining and Metallurgical Industries	Voted:	...	21.13
				21.13	21.13

यह पूरक अनुदान भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण (40.63 करोड़ रुपए) और भारतीय खान ब्यूरो (2.14 करोड़ रुपए) के सम्बन्ध में वेतन के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु मांगा गया है। 42.77 करोड़ रुपए की कुल मांग में से, 21.64 करोड़ रुपए की राशि, अनुदान के राजस्व भाग के अन्तर्गत उपलब्ध बचतों और अनुदान के पूंजी भाग के अंतर्गत उपलब्ध 2 करोड़ रुपए की बचतों से पूरी की जाएगी। इस पूरक अनुदान में 19.13 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for meeting additional expenditure on salaries in respect of Geological Survey of India (Rs. 40.63 crore) and Indian Bureau of Mines (Rs.2.14 crore). Out of the total requirement of Rs. 42.77 crore, an amount of Rs.21.64 crore will be met from savings available within the Revenue Section of the Grant and savings of Rs.2 crore available under Capital Section of the Grant. This supplementary grant will entail net cash outgo of Rs.19.13 crore.

मांग संख्या DEMAND NO.67

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 67 देखिए)।

(See page 67 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	608.20	19.80	628.00	
इस समय आवश्यक रकम	Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान	the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	608.21	19.80	628.01	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2810-नवीन और नवीकरणीय	2810-New and Renewable			
ऊर्जा	Energy	Voted:	...	0.01
स्वीकृत				0.01

यह पूरक अनुदान इंटरनेशनल रिन्यूबल एनर्जी एजेंसी (आईआरईएनए) को भारत के आंशिक अंशदान (0.57 करोड़ रुपए) और यूनाइटेड नेशन इकॉनॉमिक एंड सोशल कमीशन फोर एशिया एंड पैसिफिक (यूनेस्कोप) को अंशदान (0.40 करोड़ रुपए) के प्रयोजन के लिए मांगा गया है। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is required for the purpose of India's annual contribution (Rs.0.57 crore) to International Renewable Energy Agency (IRENA) and contribution (Rs.0.40 crore) to United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific (UNESCAP). As savings are available within same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 71

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 71 देखिए)।

(See page 71 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	12.21	9.00	21.21
	स्वीकृत	Voted:	507.44	146.85	654.29
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित	Charged:	3.05	...	3.05
	स्वीकृत	Voted:	39.13	15.21	54.34
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	561.83	171.06	732.89
	भारित	Charged:	15.26	9.00	24.26
	स्वीकृत	Voted:	546.57	162.06	708.63

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2014-न्याय प्रशासन	स्वीकृत	2014-Administration of Justice	Voted:	9.00 (का)	9.00
2051-लोक सेवा आयोग	स्वीकृत	2051-Public Service Commission	Voted:	0.31 (खब)	0.31
2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं	स्वीकृत	2052-Secretariat General Services	Voted:	2.81 (गक)	2.81
2055-पुलिस	भारित	2055-Police	Charged:	0.05 (घद)	0.05
	स्वीकृत		Voted:	27.00 (डे)	27.00
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत	2070-Other Administrative Services	Charged:	3.00 (चफ)	3.00
	भारित		Voted:	0.01 (छग)	0.01
जोड़ राजस्व भाग		Total Revenue Section	...	42.18	42.18
	भारित		Charged:	3.05	3.05
	स्वीकृत		Voted:	39.13	39.13
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
4055-पुलिस पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4055-Capital Outlay on Police	Voted:	15.10 (जह)	15.10
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4059-Capital Outlay on Public Works	Voted:	0.11 (झा)	0.11
जोड़ पूंजी भाग		Total Capital Section	Voted:	0.11	15.21
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)	15.10	42.29	57.39
	भारित		Charged:	3.05	3.05
	स्वीकृत		Voted:	39.24	54.34

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित के लिए अपेक्षित है:

(क) से (ग) और (ड) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति की पूर्ति हेतु।

इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant/appropriation is required for:

(a) to (c) and (e) : meeting additional expenditure on account of Salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government.

This will entail cash outgo.

(घ) न्यायालय के निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो संबंधी व्यय।

चूंकि राजस्व स्वीकृत भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(ङ) केन्द्रीय सतर्कता आयोग संबंधी स्थापना और अन्य संबद्ध व्यय।

इसमें नकद व्यय होगा।

(च) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान का स्थापना व्यय (5.94 करोड़ रुपये)।

चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

(छ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के मुख्यालय भवन का निर्माण संबंधी व्यय।

चूंकि राजस्व भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(ज) कर्मचारी चयन आयोग के पूर्वोत्तर क्षेत्र कार्यालय के कार्यालय भवन की खरीद।

चूंकि राजस्व भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(d) expenditure on Central Bureau of Investigation as per court directives.

As an equivalent amount will be surrendered from the Revenue Voted Section, there will be no cash outgo.

(f) establishment and other related expenditure on Central Vigilance Commission.

This will entail cash outgo.

(g) establishment expenditure of Indian Institute of Public Administration (Rs. 5.94 crore).

As savings are available within the same Section, a token supplementary is sought.

(h) expenditure on construction of Headquarters building of Central Bureau of Investigation.

As an equivalent amount will be surrendered from the Revenue Section, there will be no cash outgo.

(i) purchase of office building for NER office of the Staff Selection Commission.

As an equivalent amount will be surrendered from the Revenue Section, there will be no cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 74

विद्युत मंत्रालय
MINISTRY OF POWER

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 74 देखिए)।

(See page 74 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	7617.73	1889.00	9506.73	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	75.93	...	75.93	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	7693.66	1889.00	9582.66	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2075-विविध सामान्य सेवाएं		2075- Miscellaneous General				
	स्वीकृत	Services	Voted:	...	75.74 (का)	75.74
2801-विद्युत	स्वीकृत	2801- Power	Voted:	0.19 (खb)	...	0.19
जोड़ (प्रक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.19	75.74	75.93

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा गया है:

The supplementary grant is required for the following purposes:

- (क) निम्नलिखित आवश्यक लेखांकन समायोजनों के लिए, अर्थात् (i) दुलहस्ती और यूरी-I परियोजनाओं के लिए एनएचपीसी द्वारा गारंटी शुल्क के विलम्ब के किए गए भुगतान के कारण 51.45 करोड़ रुपए के गारंटी शुल्क पर लगाए गए अधिभार की माफी तथा (ii) चमेरा पन बिजली संबंधी विदेशी ऋण के संबंध में 24.29 करोड़ रुपए के गारंटी शुल्क की माफी। इसकी पूर्ति प्राप्तियों द्वारा की जाएगी, अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि. (टीएचडीसी) को विष्णुगढ़ पीपलकोटी पन बिजली परियोजना से सम्बद्ध अध्ययन हेतु विश्व बैंक से प्राप्त सहायता प्रदान करने हेतु (0.19 करोड़ रुपए)। यह व्यय लेखांकन समायोजन के स्वरूप का है, अतः इसमें नकद व्यय नहीं होगा।
- (a) For carrying out necessary accounting adjustments viz. (i) waiver of surcharge on guarantee fee of Rs. 51.45 crore on account of delayed payment of guarantee fee made by NHPC for the projects Dulhasti and Uri-I, and (ii) waiver of guarantee fee of Rs. 24.29 crore in respect of foreign loan pertaining to Chamera Hydro-Electric Power. This will be matched by receipts, hence it does not entail any cash outgo.
- (b) For passing on aid received from World Bank to Tehri Hydro Development Corporation Limited (THDC) for studies on Vishnugad Pipalkoti Hydro Electric Project (Rs. 0.19 crore). This expenditure is in the nature of accounting adjustments, hence, it does not entail cash outgo.

संख्या NO.78 (विनियोग)(APPROPRIATION)

संघ लोक सेवा आयोग
UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 78 देखिए)।

(See page 78 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
भारित	Charged:	110.91	...	110.91
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
भारित	Charged:	17.10	...	17.10
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			
भारित	Charged:	128.01	...	128.01

II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2051-संघ लोक सेवा आयोग	2051-Public Service Commission			
भारित	Charged:	...	17.10	17.10

इस पूरक विनियोग की आवश्यकता आयोग द्वारा संचालित परीक्षाओं और इसके द्वारा किए गए चयन पर हुए अतिरिक्त व्यय (20 करोड़ रुपए) की पूर्ति के लिए है।

20 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय की आंशिक तौर पर पूर्ति अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध 2.90 करोड़ रुपए की बचत द्वारा की जाएगी। 17.10 करोड़ रुपए की शेष राशि का निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary appropriation is required for meeting additional expenditure for examinations conducted by the Commission and selections made by it (Rs.20 crore).

Additionality of Rs.20 crore will be partly met by savings of Rs.2.90 crore available in the same section of the Grant. The balance amount of Rs.17.10 crore will entail a net cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 79

उप-राष्ट्रपति का सचिवालय
SECRETARIAT OF THE VICE- PRESIDENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 79 देखिए)।

(See page 79 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:
	स्वीकृत	Voted:	2.34	2.34
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	0.41	0.41
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			
	स्वीकृत	Voted:	2.75	2.75

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2012-राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	2012-President, Vice-President, Governor, Administrator of Union Territories			
	स्वीकृत	Voted:	...	0.41

यह पूरक अनुदान सरकार द्वारा यथास्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु तथा राष्ट्रीय कार्यक्रमों में अत्यधिक महत्वपूर्ण व्यक्तियों के आवभगत तथा कार्यालय व्यय की विभिन्न मदों की कीमतों में वृद्धि के मुद्रास्फीतिकारी प्रभाव को कम करने के लिए उप-राष्ट्रपति भवन और सचिवालय परिसर में स्वच्छता संबंधी संविदात्मक सेवा हेतु अपेक्षित है (0.41 करोड़ रुपए)।

इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for meeting additional expenditure on account of salaries on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government and for meeting additional expenditure on entertainment of VVIPs in National Functions and to neutralise the inflationary impact of increase in prices for various items of office expenditure, contractual service in the Vice President's House and Secretariat premises towards sanitation (Rs.0.41 crore).

This will entail a cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 80

ग्रामीण विकास विभाग

DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 80 देखिए)।

(See page 80 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान		I. ORIGINAL GRANT			
स्वीकृत		Voted:	106648.83	1.25	106650.08
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	स्वीकृत	Supplementary Estimate of the amount now required:			
		Voted:	154.45	...	154.45
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			
	स्वीकृत	Voted:	106803.28	1.25	106804.53

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2515-अन्य ग्रामीण विकास		2515-Other Rural Development				
कार्यक्रम	स्वीकृत	Programmes	Voted:	1.35(का)	3.27(खb)	4.62
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत	2552-North Eastern Areas	Voted:	15.00(गc)	...	15.00
3451-सचिवालय आर्थिक		3451-Secretariat Economic				
सेवाएं	स्वीकृत	Services	Voted:	...	1.18(घd)	1.18
3601-राज्य सरकारों को सहायता		3601-Grants-in-aid to				
अनुदान	स्वीकृत	State Governments	Voted:	133.50(ङe)	...	133.50
3602-संघ राज्य क्षेत्र की		3602-Grants-in-aid to				
सरकारों को		Union Territory				
सहायता अनुदान	स्वीकृत	Governments	Voted:	0.15(चf)	...	0.15
जोड़ (परक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	150.00	4.45	154.45

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित के लिए है:

- (क) देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों (बीपीएल) का सर्वेक्षण करने संबंधी प्रशासनिक व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।
- (ख) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी) को उसके गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को बकाया राशि और सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के संबंध में अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।
- (ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ हेतु चलाई जा रही योजनाओं/परियोजनाओं के तहत प्रावधान में बढ़ोतरी हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।
- (घ) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग को सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन संबंधी अतिरिक्त आवश्यकता को पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।
- (ङ) और (च) देश में बीपीएल सर्वेक्षण हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for the following purposes:

- (a) for meeting the administrative expenditure for carrying out BPL survey in the country. This will entail cash outgo.
- (b) for providing additional grants-in-aid to National Institute of Rural Development (NIRD) towards payment of arrears and retirement benefits to the non-academic staff of the Institute on account of implementation of recommendations of sixth CPC. This will entail cash outgo.
- (c) For augmentation of provision under the schemes/projects for the benefit of North Eastern Region and Sikkim. This will entail cash outgo.
- (d) for meeting the additional requirement of salaries on account of implementation of recommendations of sixth CPC. This will entail cash outgo.
- (e) & (f) for carrying out BPL survey in the country. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 84

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 84 देखिए)।

(See page 84 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:
	स्वीकृत	Voted:	2686.30	4.70
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			2691.00
	स्वीकृत	Voted:	6.77	...
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2693.07	4.70	2697.77
	भारित	Charged:
	स्वीकृत	Voted:	2693.07	4.70
				2697.77

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research			
	स्वीकृत	Voted:	0.01 (का)	6.76 (खb)
				6.77

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित हेतु है :

(क) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद को सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन पर वेतन और पेंशन सहायता के कारण सहायता अनुदान पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (47.90 करोड़ रुपए)। चूंकि बचत अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध है, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

(ख) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद को सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन पर वेतन और पेंशन सहायता के कारण सहायता अनुदान पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (110.76 करोड़ रुपए)। चूंकि 104.00 करोड़ रुपए का बचत अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध है, अतः इसमें 6.76 करोड़ रुपए का निवल नगद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for :

- (a) meeting additional expenditure on grants-in-aid on account of Salaries and Pensions assistance to the Council for Scientific and Industrial Research on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs.47.90 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting additional expenditure on grants-in-aid on account of Salaries and Pensions assistance to the Council for Scientific and Industrial Research on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs.110.76 crore). As savings of Rs.104.00 crore are available within the same section of the Grant, this will entail net cash outgo of Rs.6.76 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 86

नौवहन मंत्रालय

MINISTRY OF SHIPPING

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 86 देखिए)।

(See page 86 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान		I. ORIGINAL GRANT			
स्वीकृत		Voted:	1442.43	508.10	1950.53
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	स्वीकृत	Supplementary Estimate of the amount now required:			
		Voted:	0.02	0.03	0.05
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत	Total (Original plus Supplementary)			
		Voted:	1442.45	508.13	1950.58

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
3056-अंतर्देशीय जल परिवहन	स्वीकृत	3056-Inland Water Transport			
		Voted:	0.01(का)	...	0.01
3605-अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	स्वीकृत	3605-Technical and Economic Cooperation with other countries			
		Voted:	...	0.01(खb)	0.01
जोड़ पूंजी भाग	स्वीकृत	Total Revenue Section	Voted:	0.01	0.02
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
5051-पत्तनों और दीपस्तंभों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	5051-Capital Outlay on Ports and Lighthouses			
		Voted:	0.01(गc)	...	0.01
5075-अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	5075-Capital Outlay on Other Transport Services			
		Voted:	0.01(घd)	...	0.01
6858-इंजीनियरिंग उद्योगों के लिए ऋण	स्वीकृत	6858-Loans for Engineering Industries			
		Voted:	...	0.01(ङe)	0.01
जोड़ पूंजी भाग	स्वीकृत	Total Capital Section	Voted:	0.02	0.03
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.03	0.05

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित के लिए मांगा गया है:

The supplementary grant is sought for the following purposes:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(क) अंतर्देशीय जल मार्गों के विकास के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (19.85 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।</p> <p>(ख) अंतर्देशीय जलमार्गों के प्रोटोकॉल मार्गों के रखरखाव हेतु बांग्लादेश सरकार को देय अनुदान संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (1.90 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।</p> <p>(ग) इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांशशिपमेंट टर्मिनल (आईसीटीटी), कोचीन पोर्ट ट्रस्ट में रेल कनेक्टिविटी परियोजना संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (7.69 करोड़ रुपए) तथा अंडमान द्वीपसमूहों में सूनामी द्वारा नष्ट सुविधाओं के पुनर्निर्माण संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति</p> | <p>(a) For meeting additional expenditure for development of Inland Waterways (Rs.19.85 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> <p>(b) For meeting additional expenditure on account of grants payable to the Government of Bangladesh for maintenance of protocol routes of Inland Waterways (Rs.1.90 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> <p>(c) For meeting additional expenditure on the Rail-connectivity project at the International Container Transshipment Terminal (ICTT), Cochin Port Trust (Rs. 7.69 crore) and for meeting additional expenditure on</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

हेतु (60.00 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

(घ) प्रमुख पत्तनों के लिए वेब बेस्ड डेटा इंटरचेंज के विकास संबंधी अतिरिक्त व्यय का पूर्ति हेतु (3.00 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं; अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

(ङ) हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि. को वर्ष 1992 से सांविधिक देय राशि और मजदूरी की बकाया राशि के भुगतान के लिए अर्थापय ऋणों पर अतिरिक्त व्यय को पूर्ति हेतु (2.60 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं; अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

Reconstruction of facilities wrecked by Tsunami in the Andaman Islands (Rs. 60.00 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

(d) For meeting additional expenditure on development of Web Based Data Interchange for Major Ports (Rs.3.00 crore). As savings are available within same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

(e) For meeting additional expenditure on Ways & Means loans to Hoogly Dock & Port Engineers Ltd. for payment of statutory dues and wage arrears from 1992 (Rs.2.60 crore). As savings are available within same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 87

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 87 देखिए)।

(See page 87 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
भारित	Charged:	1.38	9.62	11.00
स्वीकृत	Voted:	16895.18	15842.00	32737.18
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	0.01	311.00	311.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	16896.57	16162.62	33059.19
भारित	Charged:	1.38	9.62	11.00
स्वीकृत	Voted:	16895.19	16153.00	33048.19

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3601-राज्य सरकारों को		3601-Grants-in-aid to				
सहायता अनुदान	स्वीकृत	State Governments	Voted:	0.01 (का)	...	0.01
जोड़ राजस्व भाग	स्वीकृत	Total Revenue Section	Voted :	0.01	...	0.01
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
4552-पूर्वोत्तर क्षेत्र पर		4552-Capital Outlay on North				
पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	Eastern Areas	Voted:	52.00 (खb)	...	52.00
5054-सड़कों और पुलों पर		5054-Capital Outlay on				
पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	Roads and Bridges	Voted :	259.00 (गc)	...	259.00
जोड़ पूंजी भाग	स्वीकृत	Total Capital Section	Voted :	311.00	...	311.00
जोड़ (प्रक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted :	311.01	...	311.01

ये पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगे गए हैं :

The supplementary grant are sought for following purposes :

- (क) विभिन्न सीमावर्ती राज्यों की सामारिक रूप से महत्वपूर्ण और सीमावर्ती सड़कों संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु, (40 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (ख) सड़क स्कंध द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्यों के विकास के संबंध में पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के आवंटन हेतु (52.00 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के राजस्व स्वीकृत भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, अतः इस अनुदान में नकद व्यय नहीं होगा।

- (a) For meeting additional expenditure on Strategic and Border Roads falling in various border States (Rs. 40.00 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) For allocation in the North Eastern Region and Sikkim on development of National Highways works undertaken by Roads Wing (Rs. 52.00 crore). As an equivalent amount will be surrendered from the Revenue Voted Section of the Grant, the supplementary will not entail cash outgo.

- (ग) (i) सड़क स्कंध द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्यों के विकास संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (948.00 करोड़ रुपये)।
- (ii) बीआरडीबी द्वारा आरम्भ किए गए राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्यों के विकास संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (156.00 करोड़ रुपये)।

अनुदान के उसी भाग में 845.00 करोड़ रुपये की उपलब्ध बचतों और 259.00 करोड़ रुपये की राशि, जो अनुदान के राजस्व भाग से अभ्यर्पित की जाएगी, को ध्यान में रखने के पश्चात्, इस पूरक अनुदान में नकद व्यय नहीं होगा।

- (c) (i) For meeting additional expenditure on development of National Highways works undertaken by Roads Wing (Rs. 948.00 crore).
- (ii) For meeting additional expenditure on development of National Highways works undertaken by Border Roads Development Board (BRDB) (Rs. 156.00 crores).

After taking into account savings of Rs. 845.00 crore available in the same Section of the Grant and an amount of Rs. 259.00 crore which will be surrendered from the Revenue Voted Section of the Grant, the supplementary will not entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 88

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 88 देखिए)।

(See page 88 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	2446.00	139.00	2585.00	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	0.02	...	0.02	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	2446.02	139.00	2585.02	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2225-अनु. जातियों, अनु. जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण	2225- Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes				
स्वीकृत	Voted:	...	0.01 (का)	0.01	
2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2235- Social Security and Welfare				
स्वीकृत	Voted:	0.01 (खब)	...	0.01	
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	0.01	0.01	0.02

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए है:-

- (क) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यालय को स्थापना व्यय की पूर्ति के लिए अतिरिक्त सहायता अनुदान जारी करने हेतु (0.15 करोड़ रुपए)।
- (ख) दीनदयाल पुनर्वास योजना के तहत योजना में संशोधन के कारण विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों को अतिरिक्त सहायता अनुदान जारी करने हेतु (16.99 करोड़ रुपए)।

चूँकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं; अतः सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

This Supplementary Grant is required for the following purposes:-

- (a) For releasing additional Grants-in-aid to the Office of National Commission of Backward Classes for meeting establishment expenditure (Rs.0.15 crore).
- (b) For releasing additional Grants-in-aid to various Voluntary Organizations under the Deendayal Rehabilitation Scheme due to revision in the scheme (Rs.16.99 crore).

As savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.90

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 90 देखिए)।

(See page 90 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-10).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:
	स्वीकृत	Voted:	2104.72	10.55
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			2115.27
	स्वीकृत	Voted:	0.03	...
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	Voted:	2104.75	10.55
	स्वीकृत			2115.30

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	2052-Secretariat-General Services	Voted:	...	0.01 (का)
3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ	3451-Secretariat-Economic Services	Voted:	...	0.01 (खb)
3454-जनगणना सर्वेक्षण और आँकड़े	3454-Census Surveys and Statistics	Voted:	...	0.01 (गc)
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	...	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant is required for meeting additional expenditure for the following purposes:

- (क) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर प्रशासनिक मंत्रालय के वेतन हेतु (0.97 करोड़ रुपए)
- (ख) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर प्रशासनिक मंत्रालय के वेतन हेतु (0.71 करोड़ रुपए)
- (ग) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर भारतीय सांख्यिकीय संस्थान (आईएसआई), कोलकाता (20.65 करोड़ रुपए) और प्रशासनिक मंत्रालय (11.63 करोड़ रुपए) के वेतनों और पेंशनों आदि संबंधी सहायता अनुदान माँगा गया है।

- (a) Salaries of the administrative Ministry on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs.0.97 crore)
- (b) Salaries of the administrative Ministry on implementation of Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government (Rs.0.71 crore)
- (c) On account of grants-in-aid towards salaries and pension etc. on implementation of the Sixth Central Pay Commission recommendations as accepted by the Government in respect of Indian Statistical Institute (ISI), Kolkata (Rs.20.65 crore) and salaries of the administrative Ministry (Rs.11.63 crore).

चूंकि अनुदान की राजस्व भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

As savings are available within the Revenue Section of the Grant, token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.91

इस्पात मंत्रालय
MINISTRY OF STEEL

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 91 देखिए)।

(See page 91 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	115.01	8.00	123.01	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	728.69	0.01	728.70	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	843.70	8.01	851.71	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2852-उद्योग	स्वीकृत	2852-Industries	Voted:	...	728.69 (का)	728.69
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
4852-लौह तथा इस्पात उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	4852-Capital Outlay on Iron and Steel Industries	Voted:	0.01 (खब)	...	0.01
जोड़ (परक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.01	728.69	728.70

इन पूरक अनुदान को निम्नलिखित प्रयोजनार्थ मांगा गया है:

(क) आवश्यक लेखांकन समायोजनों को करने के लिए अर्थात् बिसरा स्टोन लाइम कम्पनी लि. (बीएसएलसी) के सम्बन्ध में दिनांक 31.3.2009 की स्थिति के अनुसार बकाया ब्याज (624.20 करोड़ रुपए) की माफी, बर्ड ग्रुप ऑफ कम्पनीज के अनुमोदित वित्तीय पुनर्संरचना आयोजना के भाग के रूप में करनपुरा डिवलपमेंट कम्पनी लि. और इसकी अनुषंगी स्कॉट एंड सैक्सबी लि. के सम्बन्ध में दिनांक 31.3.2009 की स्थिति के अनुसार ब्याज (96.43 करोड़ रुपए) की माफी। चूंकि इन्हें प्राप्तियों से समतुल्य किया जाएगा, इसलिए कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) आवश्यक लेखांकन समायोजनों को करने के लिए अर्थात् बर्ड ग्रुप ऑफ कम्पनीज के अनुमोदित वित्तीय पुनर्संरचना आयोजना के भाग के रूप में बिसरा स्टोन लाइम कम्पनी लि. (बीएसएलसी) के सम्बन्ध में ऋण से इक्विटी में बदलने (86.79 करोड़ रुपए) हेतु सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is sought for the following purposes:

(a) for carrying out necessary accounting adjustments viz. waiver of outstanding interest (Rs.624.20 crore) as on 31.3.2009 in respect of Bisra Stone Lime Company Ltd. (BSLC), write off of loan (Rs.8.06 crore) and waiver of interest (Rs.96.43 crore) as on 31.3.2009 in respect of Karanpura Development Company Ltd. and its subsidiary Scott & Saxby Ltd. (SSL), as part of approved financial restructuring plan of the Bird Group of Companies. As these will be matched by receipts, there will be no cash outgo.

(b) a token supplementary is sought for carrying out necessary accounting adjustments viz. conversion of loan into equity (Rs.86.79 crore) in respect of Bisra Stone Lime Company Ltd. (BSLC) as part of approved financial restructuring plan of the Bird Group of Companies.

मांग संख्या DEMAND NO. 92

कपड़ा मंत्रालय
MINISTRY OF TEXTILES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 92 देखिए)।

(See page 92 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत		Voted:	11343.75	184.00	11527.75
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान	स्वीकृत	the amount now required: Voted:	514.45	...	514.45
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary) Voted:	11858.20	184.00	12042.20

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

राजस्व भाग मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
2851-ग्रामीण एवं लघु उद्योग	स्वीकृत	2851- Village and Small Industries	Voted:	0.01 (क) (a)	13.27 (ख) (b)	13.28
2852-उद्योग	स्वीकृत	2852- Industries	Voted:	0.01 (ग) (c)	499.91 (घ) (d)	499.92
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत	2552- North Eastern Areas	Voted:	0.01 (ङ) (e)	...	0.01
3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत	3451- Secretariat-Economic Services	Voted:	...	1.24 (च) (f)	1.24
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.03	514.42	514.45

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा गया है:

The supplementary grant is required for the following purposes:

- (क) केन्द्रीय रेशम बोर्ड को अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (40.00 करोड़ रुपए); तथा विद्युत करघा उद्योगों (3.64 करोड़ रुपए) और मिल गेट प्राइस स्कीम (4.22 करोड़ रुपए) संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (ख) केन्द्रीय रेशम बोर्ड के वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (13.34 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग में 0.07 करोड़ रुपए की बचतें उपलब्ध हैं, अतः 13.27 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।
- (ग) (i) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) के लिए टीयूएफएस के सर्वेक्षण और अध्ययन संबंधी प्रशासनिक व्यय हेतु (7.35 करोड़ रुपए), (ii) ओबीसी कोटा आरक्षण के कार्यान्वयन हेतु, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) केन्द्रों का उन्नयन (77.64 करोड़ रुपए) तथा (iii) तकनीकी कपड़ों पर अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु (12 करोड़ रुपए) तथा (iv) विदेशी निवेश संवर्धन योजना को सहायता अनुदान (4.20 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (घ) कपास पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की कार्रवाई के कारण भारतीय कपास निगम को हानियों की प्रतिपूर्ति हेतु (500 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग में 0.09 करोड़ रुपए की बचतें उपलब्ध हैं, अतः इसमें 499.91 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।
- (a) for providing additional grants-in-aid to Central Silk Board (Rs. 40.00 crore), for meeting additional expenditure on Powerloom Industries (Rs.3.64 crore) and Mill Gate Price Scheme (Rs. 4.22 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) for meeting additional expenditure on salaries of Central Silk Board (Rs. 13.34 crore). As savings of Rs. 0.07 crore is available within the same section of the Grant, this will entail cash outgo of Rs. 13.27 crore.
- (c) (i) for administrative expenses (Rs. 7.35 crore) on Technology Upgradation Fund Scheme (TUFS) towards survey and study of TUFS, (ii) upgradation of National Institute of Fashion Technology (NIFT) Centers (Rs. 77.64 crore) for implementation of OBC quota reservation, (iii) for meeting additional requirements (Rs. 12 crore) on Technical Textiles and (iv) Grants-in-aid (Rs. 4.20 crore) to Foreign Investment Promotion Scheme. As savings are available within same section of the grant, a token supplementary is sought.
- (d) for re-imbursement of losses (Rs. 500 crore) to Cotton Corporation of India on account of MSP operation on cotton. As savings of Rs. 0.09 crore is available within the same Section of Grant, this will entail cash outgo of Rs. 499.91 crore.

- (ड.) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए कपड़ा (26.75 करोड़ रुपए), हस्तकला (0.76 करोड़ रुपए) और रेशम उत्पादन (30.40 करोड़ रुपए) संबंधी परियोजनाओं/योजनाओं के तहत प्रावधान का संवर्धन। चूंकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (e) augmentation of provision under the projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim towards Textiles (Rs. 26.75 crore), Handicrafts (Rs. 0.76 crore) and Sericulture (Rs. 30.40 crore). As savings are available within same section of the grant, a token supplementary is sought.
- (च) सचिवालय के वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।
- (f) for meeting additional expenditure on salaries of the Secretariat. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 93

पर्यटन मंत्रालय
MINISTRY OF TOURISM

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 93 देखिए)।

(See page 93 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	1064.00	6.00	1070.00	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	0.02	...	0.02	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	1064.02	6.00	1070.02	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	Voted:	0.01 (का)	...	0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	Voted:	0.01 (खb)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)				
	स्वीकृत	Voted:	0.02	...	0.02

यह पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित के लिए है;
निम्नलिखित चालू योजनाओं हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए;

(क) (i) मेलों और उत्सवों के आयोजन हेतु आतिथ्य सत्कार सहित घरेलू प्रोत्साहन तथा प्रचार; (3.00 करोड़ रुपए)

(ii) उनके पर्यटन उत्पादों को प्रोत्साहन देने हेतु सूचना प्रौद्योगिक पहल कदमियों के प्रयासों के सहायतार्थ निर्देश तथा प्रशासन के तहत सूचना प्रौद्योगिकी (1.00 करोड़ रुपए); और

(iii) होटल प्रबन्धन संस्थान/खाद्य क्राफ्ट संस्थान/भारतीय पर्यटन तथा यात्रा प्रबंधन संस्थान/राष्ट्रीय होटल प्रबन्धन केंटरिंग प्रौद्योगिकी परिषद की सहायता के तहत चालू योजनाओं/परियोजनाओं हेतु (8.00 करोड़ रुपए)।

निम्नलिखित चालू योजनाओं हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए;

(ख) (i) मेलों और उत्सवों के आयोजन हेतु आतिथ्य सत्कार सहित घरेलू प्रोत्साहन तथा प्रचार (1.00 करोड़ रुपए);

(ii) उनके पर्यटन उत्पादों को प्रोत्साहन देने हेतु सूचना प्रौद्योगिक पहल कदमियों के प्रयासों के सहायतार्थ निर्देश तथा प्रशासन के तहत सूचना प्रौद्योगिकी (0.50 करोड़ रुपए);

चूंकि अनुदान के राजस्व भाग के अन्तर्गत समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरकों की मांग की गयी है।

The supplementary grant is sought for :
Central Assistance to State Governments to meet the additional expenditure on the following on-going schemes:

(a) (i) Domestic Promotion and Publicity including Hospitality for organizing fairs and festivals (Rs. 3.00 crore),

(ii) Information Technology under Direction and Administration to supplement the efforts in Information Technology initiatives in promoting Tourism Products (Rs.1.00 crore); and

(iii) For on-going schemes/projects under assistance to Institutes of Hotel Management (IHMs)/Food Craft Institutes (FCI)/India Institutes of Tourism & Travel Management (IITM)/National Council of Hotel Management Catering Technology (NCHMCT) (Rs. 8.00 crore).

Central Assistance to Union Territory Governments to meet additional expenditure on the following on-going schemes:

(b) (i) Domestic Promotion and Publicity including Hospitality for organizing fairs and festivals (Rs. 1.00 crore),

(ii) Information Technology under Direction and Administration to supplement the efforts in Information Technology initiatives in promoting Tourism Products (Rs.0.50 crore).

As matching savings are available within the same Section of the Grant, token supplementaries are sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 100

शहरी विकास विभाग
DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 123 देखिए)।

(See page 123 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	29.91	27.00	56.91
	स्वीकृत	Voted:	1008.52	2600.36	3608.88
इस समय आवश्यक रकम	Supplementary Estimate of				
का पूरक अनुमान	the amount now required:	Voted:	414.76	2025.10	2439.86
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		1453.19	4652.46	6105.65
	भारित	Charged:	29.91	27.00	56.91
	स्वीकृत	Voted:	1423.28	4625.46	6048.74

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2217-शहरी विकास	स्वीकृत	Voted:	414.75 (क)	0.01 (ख)	414.76
जोड़ राजस्व भाग	स्वीकृत	Voted:	414.75	0.01	414.76
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4217-शहरी विकास पर	स्वीकृत	Voted:	350.00 (ग)	...	350.00
पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	Voted:	1675.10 (घ)	...	1675.10
6217-शहरी विकास के लिए	स्वीकृत	Voted:	2025.10	...	2025.10
ऋण	स्वीकृत	Voted:	2439.85	0.01	2439.86
जोड़ पूंजी भाग	स्वीकृत				
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत				

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा गया है:

The supplementary grant is sought for the following purposes:

(क) राष्ट्रमंडल खेल - 2010 के संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आरंभ की गई परियोजनाओं संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (404.55 करोड़ रुपए) और राष्ट्रमंडल खेल - 2010 के पहले पूरा किए जाने वाले चरण-II नेटवर्क संबंधी कार्य के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को अनुदानों के रूप में (10.20 करोड़ रुपए)। इसमें नकद व्यय होगा।

(a) For meeting additional expenditure on projects undertaken by Delhi Development Authority in connection with Commonwealth Games-2010 (Rs. 404.55 crore) and as grants to Delhi Metro Rail Corporation for the work relating to Phase-II Network to be completed before Commonwealth Games-2010 (Rs. 10.20 crore). This will entail cash outgo.

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नियोजन बोर्ड द्वारा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिश के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (0.45 करोड़ रुपए)।

(b) For meeting additional expenditure on implementation of recommendation of Sixth Central Pay Commission Report by the National Capital Region Planning Board (Rs. 0.45 crore).

चूंकि, अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

As savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ग) राष्ट्रमंडल खेल - 2010 के पहले पूरा किए जाने वाले चरण चरण-II नेटवर्क संबंधी कार्य के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को इक्विटी के रूप में (350.00 करोड़ रुपए)। इसमें नकद व्यय होगा।

(c) As equity to Delhi Metro Rail Corporation (Rs. 350.00 crore) in connection with work related to Phase-II Network to be completed before Commonwealth Games - 2010. This will entail cash outgo.

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(घ) (i) वर्ष के दौरान दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) (1500 करोड़ रुपए; बंगलौर मेट्रो (135 करोड़ रुपए) और चेन्नई मेट्रो (40 करोड़ रुपए) को पास थ्रू सहायता (पीटीए) के रूप में ऋण प्रदान करने हुते। इसमें नकद व्यय होगा।</p> <p>(ii) दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को केन्द्रीय. करों के लिए अधीनस्थ ऋण (0.10 करोड़ रुपए)। चूंकि, अनुदान के राजस्व स्वीकृत भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।</p> | <p>(d) (i) For providing loan as Pass Through Assistance (PTA) to Delhi Metro Rail Corporation (Rs. 1500 crore); Bangalore Metro (Rs. 135 crore) and Chennai Metro (Rs. 40 crore) during the year. This will entail cash outgo.</p> <p>(ii) As Subordinate Debt for Central Taxes to Delhi Metro Rail Corporation (Rs. 0.10 crore). As an equivalent amount will be surrendered from the Revenue Section of the Grant, this will not entail cash outgo.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

मांग संख्या DEMAND NO.101

लोक निर्माण कार्य
PUBLIC WORKS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 124 देखिए)।

(See page 124 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	1.00	1.00	2.00
	स्वीकृत	Voted:	1117.25	403.30	1520.55
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	25.52	...	25.52
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1143.77	404.30	1548.07	
	भारित	Charged:	1.00	1.00	2.00
	स्वीकृत	Voted:	1142.77	403.30	1546.07

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2059-लोक निर्माण कार्य	2059-Public Works	Voted:	...	25.52
				25.52

यह पूरक अनुदान सीपीडब्ल्यूडी के नियमित कर्मचारियों के वेतन और भत्तों संबंधी अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु माँगा गया है। चूँकि अनुदान के पूंजी भाग से 13.42 करोड़ रुपए की बचतें अभ्यर्पित की हो जाएँगी, अतः इसमें 12.10 करोड़ व्यय का निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for meeting additional requirements on pay and allowances of the regular employees of Central Public Works Department. As savings of Rs.13.42 crore will be surrendered from the Capital Section of the Grant, this will entail a net cash outgo of Rs.12.10 crore.

मांग संख्या DEMAND NO.103

जल संसाधन

MINISTRY OF WATER RESOURCES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 126 देखिए)।

(See page 126 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	...	4.00	4.00
	स्वीकृत	Voted:	941.53	84.01	1025.54
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	941.54	88.01	1029.55
	भारित	Charged:	...	4.00	4.00
	स्वीकृत	Voted:	941.54	84.01	1025.55

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ	स्वीकृत	3451-Secretariat -Economic Services	Voted:	...	0.01
				0.01	0.01

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता वनसधरा जल विवादों को निपटाने हेतु अधिकरण के गठन के लिए स्थापना संबंधी व्यय (1.02 करोड़ रुपए) के लिए है। चूँकि अनुदान के उसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

The supplementary grant is required for establishment related expenditure on constitution of a Tribunal to resolve the Vansadhara Water Disputes (Rs.1.02 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.104

महिला तथा बाल विकास मंत्रालय

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 127 देखिए)।

(See page 127 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010)

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	7428.00	...	7428.00	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	1200.00	...	1200.00	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	8628.00	...	8628.00	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3601-राज्यों सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	Voted:	1080.00 (का)	...	1080.00
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	Voted:	120.00 (खb)	...	120.00
जोड़ पूरक भाग	Total Supplementary	Voted:	1200.00	...	1200.00

इन पूरक अनुदानों की मांग निम्नलिखित प्रयोजनार्थ है:

The supplementary grant is required for the following purposes:-

(क) समेकित बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु राज्य सरकारों को सहायता अनुदान (1080.00 करोड़ रुपए)।

(a) Grants-in-aid to State Governments for meeting additional requirement under Integrated Child Development Services (ICDS) Scheme (Rs.1080.00 crore).

इसमें नगद व्यय होगा।

This will entail cash outgo.

(ख) समेकित बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अतिरिक्त आवश्यकता (120.00 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु।

(b) For meeting additional requirement for North Eastern Areas under Integrated Child Development Services (ICDS) Scheme (120.00 crore).

इसमें नगद व्यय होगा।

This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.105

युवा कार्य और खेल मंत्रालय

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2009-2010 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 128 देखिए)।

(See page 128 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2009-2010)

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	2579.30	493.70	3073.00	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	312.42	350.58	663.00	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	Voted:	2891.72	844.28	3736.00

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2204-खेल और युवा सेवाएं	2204-Sports and Youth Services	Voted:	298.00 (का)	12.82 (खb)	310.82
2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251-Secretariat-Social Services	Voted:	...	1.60 (गc)	1.60
जोड़ राजस्व भाग	Total Revenue Section	Voted:	298.00	14.42	312.42
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
6202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति के लिए ऋण	6202-Loans for Education, Sports, Art and Culture	Voted:	...	350.58 (घd)	350.58
जोड़ पूंजी भाग	Total Capital Section	Voted:	...	350.58	350.58
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	298.00	365.00	663.00

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता राष्ट्रमण्डल खेल, 2010 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रयोजनार्थ है:

The supplementary grant is required for the following purposes under Commonwealth Games, 2010:

- (क) (i) राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए दिल्ली के अन्य भागों में खेल सुविधाओं के पुनर्सृजन हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) के स्टेडियमों को सहायता अनुदान (15.00 करोड़ रुपए)।
- (ii) राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु, अखिल भारतीय टेनिस संघ (एआईटीए) को सहायता अनुदान (0.95 करोड़ रुपए)।
- (iii) अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए टीमों की तैयारी सम्बन्धी योजना को सहायता अनुदान (50.00 करोड़ रुपए)।
- (iv) अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के स्थान का उन्नयन/सृजन योजना के लिए सहायता अनुदान (12.00 करोड़ रुपए)।
- (v) राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के लिए हाईड्रेफिनिशन टीवी की कनेक्टिविटी मुहैया कराने हेतु महानगर टेलीफोन निगम लि. (एमटीएनएल) को वर्धित ढांचागत सुविधाओं के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना (100.00 करोड़ रुपए)।
- (vi) राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के सम्बन्ध में एकीकृत सुरक्षा समाधान

- (a) (i) Grants-in-aid to Sports Authority of India(SAI) Stadia for meeting the additional expenditure for recreation of playing facilities in the other parts of Delhi for Commonwealth Games, 2010 (Rs.15.00 crore).
- (ii) Grants-in-aid to All India Tennis Association(AITA) for meeting the additional expenditure under Commonwealth Games, 2010 (Rs.0.95 crore).
- (iii) Grants-in-aid to the scheme 'Preparation of Teams for Commonwealth Games, 2010' for meeting the additional expenditure (Rs.50.00.Crore).
- (iv) Grants-in-aid to the scheme 'Upgradation/Creation of Venue for Commonwealth Games, 2010' for meeting the additional expenditure (Rs.12.00 Crore).
- (v) To meet additional requirement for incremental infrastructure for Mahanagar Telephone Nigam Limited (MTNL) to provide connectivity to High Definition T.V. for Commonwealth Games 2010 (Rs.100.00 crore).
- (vi) To meet additional amount in respect of Integrated

के सम्बन्ध में अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु (120.05 करोड़ रुपए)।

चूंकि इसी अनुदान के पूंजी बाग से 30.00 करोड़ रुपए की राशि अभ्यर्पित की जाएगी, इसलिए इसमें 268.00 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।

(ख) वेतन, बकाया तथा पेंशन आदि की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु निम्नलिखित संस्थानों को सहायता अनुदान :

(1) राष्ट्रीय लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान (2.22 करोड़ रुपए); और

(2) भारतीय खेल प्राधिकरण (10.60 करोड़ रुपए)

इसमें 12.82 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।

(ग) युवा कार्य तथा खेल मंत्रालय के स्टाफ हेतु वेतन भुगतान के अतिरिक्त राशि (1.60 करोड़ रुपए) अपेक्षित है।

इसमें नकद व्यय होगा।

(घ) राष्ट्रमण्डल खेल, 2010 की आयोजन समिति को ऋण तथा अग्रिमों की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु (350.68 करोड़ रुपए)।

इसमें नकद व्यय होगा।

Security Solution for Commonwealth Games, 2010 (Rs.120.05 crore).

As an amount of Rs.30.00 crore will be surrendered from Capital Section of the same Grant, this will entail cash outgo of Rs.268.00 crore.

(b) Grants-in-aid to the following Institutions for meeting additional requirement for Salary, Arrears and Pensions etc :

1. Laxmibai National Institute of Physical Education (Rs.2.22 crore); and

2. Sports Authority of India (Rs.10.60 crore)

This will entail cash outgo of Rs.12.82 crore.

(c) Additional amount is required for payment of salary for the staff of Ministry of Youth Affairs and Sports (Rs.1.60 crore).

This will entail cash outgo.

(d) For meeting additional requirement under Loan and Advances to Organizing Committee for Commonwealth Games, 2010 (Rs.350.58 crore).

This will entail net cash outgo.

अनुबंध ANNEXURE

वित्त मंत्रालय के. का.ज्ञा. एफ.1(23)-बी(एसी)/2005-दि. 25.05.2006 में यथा अपेक्षित संसद में प्रस्तुत की जाने वाली मदें जहां जारी पुनर्विनियोग आदेशों का वर्धित बजट प्रावधान पर प्रभाव पड़ता है।

Items requiring report to Parliament, as required in Ministry of Finance's O.M. No.F.1(23)-B(AC)/2005 dated 25.05.2006, where Re-appropriation Orders issued has the effect of increasing Budget Provision.

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

क्र. सं. Sl. No.	मंत्रालय/विभाग का नाम Name of the Ministry/ Department	योजना Scheme	बजट अनुमान Budget Estimates	पुनर्विनियोग की राशि Amount of Re-appropriation	टिप्पणियां Remarks
1	2	3	4	5	6

वित्त वर्ष 2008-09

Financial Year 2008-09

1. कृषि और सहकारिता
विभाग

Department of
Agriculture and
Co-operation

आयोजना

2401-फसल कार्य

बीजों के उत्पादन और वितरण हेतु बीज
अवसंरचना सुविधाओं का विकास
और सुदृढीकरण

Plan

2401-Crop Husbandry

Development and strengthening
of Seed Infrastructure facilities
for Production and Distribution
of Seeds

100.00

400.21

प्रधानमंत्री के पैकेज के लिए।

For PM's package.

राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान

National Institute of Plant Health
Management

...

0.91

सीसीईए के अनुमोदन से हाल ही में स्थापित
राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान को
अनुदान हेतु।

For grants to National Institute of Plant
Health Management, newly established
with the approval of CCEA.

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस)
के कार्यान्वयन हेतु जीआईसी/एआईसी
को भुगतान

Payment to GIC/AIC for
implementation of National
Agricultural Insurance Scheme
(NAIS)

644.00

50.00

कृषि बीमा कम्पनी (एआईसी) के दावों की
प्रतिपूर्ति।

Reimbursement of claims of
Agriculture Insurance Company
(AIC).

मौसम आधारित फसल बीमा योजना

Weather-based Crop Insurance
Scheme

50.00

50.00

कृषि बीमा कम्पनी (एआईसी) के दावों की
प्रतिपूर्ति।

Reimbursement of claims of
Agriculture Insurance Company
(AIC).

एकीकृत तेलहन, पाम ऑयल, दलहन
और मक्का विकास

Integrated Oilseed, Oil Palm,
Pulses & Maize Development

84.35

75.00

वर्धित मांगों की पूर्ति।

Meeting enhanced demands.

3601-राज्य सरकारों को सहायता
अनुदान

प्रशिक्षण की आऊटसोर्सिंग और नव-
विकसित कृषि उपकरणों का प्रदर्शन

राज्यों से अधिक माँग

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		3601-Grants in aid to State Governments			
		Outsourcing of Training & Demonstration of newly developed agricultural equipments	3.67	2.00	More demand from states.
		फसल पश्च प्रौद्योगिकी Post Harvest Technology	2.50	1.70	
2.	पशुपालन, डेयरी कार्य और मात्सियिकी विभाग Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries	पशु रोग नियंत्रण (मु.शी.3601) Animal Disease Control (M.H.3601)	64.10	22.00	पक्षी इन्फ्लूएंजा के नियंत्रण हेतु राज्य सरकारों से अधिक मांगों के कारण अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। Additional amount is required due to more demands from State Governments for control of avian influenza.
		समुद्री मात्सियिकी, अवसरचना और फसल पश्च ऑपरेशन (मु.शी. 3601) Development of Marine Fisheries, Infrastructure and Post Harvest Operations (M.H. 3601)	25.00	10.00	राज्य सरकारों के मतस्यपालन बंदरगाहों के चालू निर्माणकार्य और मछली पकड़ने की परियोजनाओं के संबंध में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। Additional amount is required towards construction of ongoing fishing harbours and fish landing projects to State Governments.
4.	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय Ministry of Labour and Employment	कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (मु.शी. 2230) Employees' Pension Scheme, 1995 (MH 2230)	1101.34	65.88	सरकार के अंशदान के हिस्से की बकाया राशि के भुगतान हेतु। To payment of arrears of Government's share of contribution.
		असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए समाजिक सुरक्षा योजना (मु.शी. 2230) Social Security for Unorganised sector workers scheme (MH 2230)	4.00	98.06	योजना के वित्तपोषण की पद्धति में परिवर्तन। Change in the funding pattern of scheme.
		केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड को अनुदान (मु.शी. 2230) Grants to Central Board for Worker's Education (MH 2230)	24.00	3.00	छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट का कार्यान्वयन। Implementation of 6th Central Pay Commission report.
		लौह, मैंगनीज क्रोम अयस्क निधि को अंतरण (मु.शी. 2230) Transfer to Iron, Manganese Chrome Ore Fund (MH 2230)	21.50	3.50	उपकर का अधिक संग्रहण। More collection of cess.
		लाइमस्टोन और डोलोमाइट खान निधि को अंतरण (मु.शी. 2230) Transfer to Limestone and Dolomite Mine Fund (MH 2230)	22.50	2.00	उपकर का अधिक संग्रहण। More collection of cess.

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		दक्षता विकास पहल (मु.शी. 2230) Skill Development Initiative (MH 2230)	0.21	45.79	अधिक प्रशिक्षुओं को कवर करने और वजीफा की अधिक दर का भुगतान करने का लक्ष्य। Target to cover more trainees and payment of higher rate of stipend.
		केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली व्यावसायिक प्रशिक्षण सेवाओं में सुधार हेतु विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना। (मु.शी. 3601) Externally Aided Project for Reforms and Improvement in Vocational Training Services rendered by Central and State Governments (MH 3601)	100.01	98.99	दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र और पॉन्डिचेरी से अधिक प्रस्ताव। More proposals from Union Territory of Delhi and Pondicherry.
5. खान मंत्रालय		1. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण राजस्व विभाग			पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ और छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर संशोधित वेतन और भत्तों संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु।
MINISTRY OF MINES		1. Geological Survey of India Revenue Section			
		A. DIRECTION & ADMINISTRATION			
		Administrative Support	20.30	16.42	To meet the expenditure for the benefit of North Eastern Region and Sikkim & revised Pay & Allowances on 6CPC.
		ख. अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला अनुसंधान			पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु।
		B. RESEARCH & DEVELOPMENT			
		Laboratory Research	4.83	0.23	To meet the expenditure for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.
		ग. सर्वेक्षण और मानचित्र भूतल, हवाई और समुद्री सर्वेक्षण			पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु।
		C. SURVEY & MAPPING			
		Ground, Aerial & Marine Survey	39.32	1.02	To meet the expenditure for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.
		घ. खनिज अन्वेषण इकोनॉमिक मिनरल्स			पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु।
		D. MINERAL EXPLORATION			
		Economic Minerals	13.31	0.80	To meet the expenditure for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.
		घ. अन्य व्यय विभिन्न ऑपरेशनों पर विविध मुख्य व्यय			पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु।

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		D. OTHER EXPENDITURE			
		Miscellaneous Major Expenditure on different operations	8.99	0.21	To meet the expenditure for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.
		सूचना और प्रौद्योगिकी			पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु।
		Information & Technology	0.35	1.00	To meet the expenditure for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.
		पूँजी भाग			पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु।
		अन्य व्यय			
		पूँजीगत आस्तियों का अभिग्रहण			
		Capital Section			
		OTHER EXPENDITURE			
		Acquisition of Capital Assets	47.00	3.00	To meet the expenditure for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.
		II भारतीय खान ब्यूरो			
		राजस्व भाग			पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ और छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर संशोधित वेतन और भत्तों संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु।
		क. स्थापना			
		ख. प्रशिक्षण			पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु।
		II Indian Bureau of Mines			
		Revenue Section			
		A. ESTABLISHMENT	9.61	4.73	To meet the expenditure for the benefit of North Eastern Region and Sikkim & revised Pay & Allowances on 6CPC.
		B. TRAINING	0.12	0.06	To meet the expenditure for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.
		ग. सूचना और प्रौद्योगिकी			पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु।
		C. INFORMATION & TECHNOLOGY	0.75	0.04	To meet the expenditure for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.
		पूँजी भाग			पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु।
		अन्य व्यय			
		पूँजीगत आस्तियों का अभिग्रहण			
		Capital Section			
		OTHER EXPENDITURE			
		Acquisition of Capital Assets	0.01	1.40	To meet the expenditure for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.
		III सचिवालय आर्थिक सेवाएं			
		खान मंत्रालय			व्यावहारिक सेवाओं के तहत परामर्श के
		स्थापना			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		III Secretariat Economic Services			लिए भुगतान संबंधी व्यय और अन्य प्रशासनिक व्यय आदि की पूर्ति हेतु।
		Ministry of Mines			
		Establishment	9.75	0.61	To meet the expenditure on payment to Counsel under Professional Services and other Admn. expenditure.
6. जल संसाधन मंत्रालय		नदी प्रबंधन गतिविधियाँ और सीमावर्ती क्षेत्र संबंधी निर्माण कार्य (3601.03.478.03.00.31-सहायता अनुदान)			बिहार में बाढ़ की आपदा को देखते हुए कोसी बाँध के दशर को बंद किए जाने के निर्माण कार्य के लिए बिहार राज्य की सरकार को सहायता अनुदान तत्काल जारी किए जाने के लिए अधिक निधियों की आवश्यकता थी।
Ministry of Water Resources		River Management Activities and Works Related to Border Areas (3601.03.478.03.00.31-Grants-in-aid)	43.00	30.00	Keeping in view the disaster of flood in Bihar more funds were required for immediate release Grants-in-aid to State Govt. of Bihar for breach closure works of Kosi Barrage.
		केन्द्रीय जल आयोग (2701.80.00.01.00.01-वेतन)			छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण अतिरिक्त वेतन व्यय की पूर्ति हेतु।
		Central Water Commission (2701.80.001.01.00.01-Salaries)	13.16	4.00	To meet the excess salary expenses due to implementation of Sixth CPC recommendations.
		केन्द्रीय जल आयोग (2701.80.00.01.00.01-वेतन)			छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण अतिरिक्त वेतन व्यय की पूर्ति हेतु।
		Central Water Commission (2701.80.001.01.00.01-Salaries)	23.16	10.47	To meet the excess salary expenses due to implementation of Sixth CPC recommendations.
		केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान स्टेशन (2701.80.00.03.02.01-वेतन)			छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण अतिरिक्त वेतन व्यय की पूर्ति हेतु।
		Central Water and Power Research Station (2701.80.004.03.02.01-Salaries)	20.37	5.06	To meet the excess salary expenses due to implementation of Sixth CPC recommendations.
		केन्द्रीय भू-जल बोर्ड (2702.02.00.01.01.01-वेतन)			छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण अतिरिक्त वेतन व्यय की पूर्ति हेतु।
		Central Ground Water Board (2702.02.005.01.01.01-Salaries)	52.99	7.31	To meet the excess salary expenses due to implementation of Sixth CPC recommendations.
		फरक्का बाँध परियोजना (3075.01.20.03.00.28-व्यावसायिक सेवाएँ)			छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण फरक्का बाँध परियोजना में तैनात सीआईएसएफ कर्मचारियों के अतिरिक्त वेतन व्यय की पूर्ति हेतु। क्योंकि उनका वेतन "व्यावसायिक सेवाएँ" यूनिट के तहत दर्ज किया जाता है।

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
	Farakka Barrage Project (3075.01.201.03.00.28-Professtional Services)	8.40	1.25	To meet the excess salary expenses of CISF Officials deployed at Farakka Barrage Project due to implementation of Sixth CPC recommendations (as their salary is booked under the unit 'Professional Services').	
	केन्द्रीय जल आयोग (2701.80.002.01.00.27-लघु निर्माण कार्य)			छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वर्क चार्जड् में लगे कर्मचारियों के अतिरिक्त वेतन व्यय की पूर्ति हेतु।	
	Central Water Commission (2701.80.002.01.00.27-Minor Works)	18.10	5.99	To meet the excess salary expenses due to implementation of Sixth CPC recommendations in respect of staff in work charged establishment.	
	केन्द्रीय जल आयोग (2711.01.800.01.00.27-लघु निर्माण कार्य)			छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वर्क चार्जड् में लगे कर्मचारियों के अतिरिक्त वेतन व्यय की पूर्ति हेतु।	
	Central Water Commission (2711.01.800.01.00.27-Minor Works)	14.20	3.00	To meet the excess salary expenses due to implementations of Sixth CPC recommendation in respect of staff in work charged establishment.	
	केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान स्टेशन (2701.80.004.03.02.01-वेतन) Central Water and Power Research Station (2701.80.004.03.02.01-Salaries)	20.37	1.60	छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण अतिरिक्त वेतन व्यय की पूर्ति हेतु। To meet the excess salary expenses due to implementation of Sixth CPC recommendations.	
	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास (3601-03-478-00.31-सहायता अनुदान)			लघु सिंचाई गणना कार्य को समय पर पूरा करने के लिए राज्य सरकारों से सहायता अनुदानों की अतिरिक्त आवश्यकता के कारण अतिरिक्त व्यय हुआ।	
	Development of Water Resources Information System (3601.03.478.00.31-Grants-in aid)	6.00	3.00	Excess was due to additional requirement from State Govts. under Grants-in-aid to complete the Minor Irrigation Census work in time.	
7. महिला और बाल विकास मंत्रालय	2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण सूचना, जन शिक्षा और प्रकाशन			26-27 फरवरी, 2009 को आयोजित "महिला सम्मेलन" जिसमें पूरे देश से 5000 महिला शिष्टमंडल ने भाग लिया, को देखते हुए।	
Ministry of Women and Child Development	2235-Social Security and Welfare	48.00	11.75	In view of the 'Convention for Women' held on 26th-27th February, 2009 attended by around 5000 women delegates from all over the country.	
	Information, Mass Education and Publication				
	3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान			आँगनवाड़ी कामगारों और आँगनवाड़ी सहायकों के वर्धित मानदेय और छठे केन्द्रीय	

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		समेकित बाल विकास सेवाएँ			वेतन आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के प्रभाव को देखते हुए।
		3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	18.50	24.00	In view of the enhanced honoraria for Anganwadi Workers and Anganwadi Helpers and impact of implementation of the sixth Central Pay Commission Report.
		Integrated Child Development Services			
		3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान			कुछ राज्यों से लम्बित प्रस्तावों को देखते हुए।
		समेकित बाल विकास सेवाएँ			
		3601-Grants-in-aid to State Governments	5524.75	142.00	In view of the pending proposals from some States.
		Integrated Child Development Services			
वित्त वर्ष 2009-10					
Financial Year 2009-10					
3.	उर्वरक विभाग	उद्योग			निधियों की अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु।
		मु.शी. 2852 (आयोजना-भिन्न)			
		नाइट्रोजनी उर्वरक			
	Department of Fertilisers	Industries			To meet additional requirement of funds.
		MH: 2852 (Non-Plan)			
		Nitrogenous Fertilizers	9080.25	2000.00	